लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र
Twelfth Session]

सत्यमेव जयते

Preservation Fumigated On Parliament Library

[खंड 46 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XLVI contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

लोक-सभा वदा-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

दिनांक 24 सितम्बर, 1965 । 2 आश्विन, 1887 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 2850 ऊपर से 18वीं पंक्ति "इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी)" के स्थान पर "इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्र.चं.सेठी)" पढ़िये ।

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 29—शुक्रवार, 24 सितम्बर, 1965/2 आश्विन, 1887 (शक)

No. 29—Friday, 24, September, 1965/Asvina 2, 1887 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
814	सीमेंट की कमी	Shortage of Cement. .	2843–46
815	दिल्ली में स्थायी प्रदर्शनी	Permanent Exhibition in Delhi .	2846–48
816	पूर्व-यूरोपीय देशों के साथ व्यापार	Trade with East European Countries	2848–50
817	छठा इस्पात कारखाना	Sixth Steel Plant . . .	2850–52
818	रेल-यात्रा के लिये स्थानों का आरक्षण	Railway Reservations .	2852–55
819	ग्रामीण औद्योगीकरण	Rural Industrialisation .	2855–58
821	काजू निकालना	Processing of Cashew . .	2858–59
822-क	कलकत्ता में चाय बोर्ड का कार्यालय	Office of Tea Board in Calcutta .	2859–62

अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.			
12	म्योर मिल्स लिमिटेड, कानपुर	The Muir Mills Ltd., Kanpur .	2862–63

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. No.			
820	भारत युगोस्लाविया उद्यम	Indo-Yugoslav Ventures . .	2863
822	हिसार (पंजाब) में कच्चे लौह का संयंत्र	Pig Iron Plant in Hissar (Punjab)	2863–64
823	मुगलहाट (पूर्वी पाकिस्तान) पर रेलगाड़ी का रोका जाना	Detention of Train at Mogalhat (East Pakistan) . . .	2864
823-क	राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रयोगशालायें	National Scientific Laboratories	2864–65
824	बिजली से चलने वाले रेलवे इंजनों का आयात	Import of Electric Locomotives .	2865
825	बिराल (पूर्वी पाकिस्तान सीमा) पर रेलगाड़ी का रोका जाना	Detention of Train at Biral (East Pakistan Border)	2865–66
826	सूरत में जरी एकक तथा नकली रेशम के कारखाने	Jari Units and Art Silk Factories in Surat	2866

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates the question was actually asked on the floor of the House by that Member

1—12 Lok Sabha/65

ता० प्र० संख्या S. Q. Ns.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
827	निर्यात घर	Export Houses	2866–67
828	दुर्गापुर इस्पात कारखाने में विदेशी कर्मचारी	Foreigners Employed in Durgapur Steel Plant	2867
829	दिल्ली में दुग्धचूर्ण की कमी	Scarcity of Powdered Milk in Delhi	2867
830	विशेष इस्पात बनाने वाला कारखाना	Plant for Manufacturing Special Steel	2868
831	रायपुर स्टेशन (दक्षिण पूर्व रेलवे) के निकट रेलगाड़ी और मोटर ट्रक की टक्कर	Train-Motor Truck Collision near Raipur Station (S. E. Rly.) .	2868–69
832	निर्यात संवर्द्धन योजनायें	Export Promotion Schemes	2869
833	अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड	All-India Handicrafts Board .	2869–70
834	उत्तर रेलवे पर पूछ-ताछ व आरक्षण क्लर्क	Enquiry-*cum*-Reservation Clerks on Northern Railway . .	2870–71

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
2739	धान की ढुलाई	Loading of Paddy	2871
2740	दक्षिण-पूर्व रेलवे पर यात्री तथा पार्सल यातायात	Passenger and Parcel Traffic on S. E. Railway . . .	2871
2741	महाराष्ट्र के लिये टिन और सीमेंट का नियतन	Allotment of Tin and Cement to Maharashtra	2871–72
2742	दक्षिण-पूर्व रेलवे में महिला टीटी	Lady Travelling Ticket Examiners on S.E. Railway . . .	2872
2743	एच० एस० एम० पी० हाई स्कूल, आसनसोल में हिन्दी अध्यापक	Hindi Teachers in H.S. M.P. High School, Asansol . . .	2872
2744	अलौह धातुओं का आवंटन	Allotment of Non-ferrous Metals .	2873
2745	तांबे का आवंटन	Allotment of Copper .	2873–74
2746	रेलवे कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना	Pension Scheme for Railway Employees	2874
2747	चामराजनगर-सत्यमंगला रेलवे लाइन	Chamarajanagar—Sathyamangala Railway Line . . .	2874
2748	पश्चिम बंगाल के बांकुरा और मिदनापुर जिलों में खनिज निक्षेप	Mineral Deposits in Bankura and Midnapore Districts in West Bengal	2874–75
2749	पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तर बिहार में कृषि जन्य उद्योग	Agricultural Industries in Eastern U. P. and North Bihar . .	2875
2750	चम्पारन जिले (बिहार) में पाया गया पत्थर चूना तथा कंकड़	Stone Lime and Kankar found in Champaran District (Bihar) .	2875–76

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2751	रेल की पटरियों का दोहरा बनाया जाना	Doubling of Railway Tracks .	2876
2752	पूर्वोत्तर रेलवे में काम करने वाले द्वितीय श्रेणी के क्लर्कों की वरिष्ठता	Seniority of Clerks Grade II working in N. E. Railway .	2876–77
2753	उत्तर प्रदेश के लिये लोहा तथा इस्पात	Iron and Steel for U. P. .	2877
2754	उत्तर प्रदेश का भूतत्वीय सर्वेक्षण	Geological Survey of U. P. .	2877–78
2755	उत्तर प्रदेश के लिये सीमेंट का नियतन	Allotment of Cement to U. P. .	2878
2756	देहरादून-डाक पठार रेल लाइन	Dehradun-Dak Pathar Rail Line	2878–79
2757	कपड़ा सम्बन्धी नीति	Textile Policy .	2879
2758	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का पुनर्गठन	Reorganisation of N. C. D. C. .	2880
2759	सुखाई हुई मिर्ची का लंका को निर्यात	Exports of Dried Chillies to Ceylon	2880
2760	इस्पात संयंत्रों के लिये मशीनों का निर्माण	Manufacture of Machinery for Steel Plants . . .	2880–81
2761	दिल्ली मुख्य स्टेशन पर रेलगाड़ी के एक डिब्बे में एक बच्चे का शव पाया जाना	Dead Body of a Child in a Railway Compartment found at Delhi Main Station . . .	2881
2762	रेलगाड़ी के डिब्बों में शव	Dead Bodies in Railway Compartments	2881
2763	फल परिरक्षण उद्योग	Fruit Preservation Industry .	2881–82
2764	बोकारो कोयला क्षेत्र	Bokaro Coalfield . . .	2882
2765	मैसूर लोहा और इस्पात कारखाना	Mysore Iron and Steel Works	2882
2766	तांबा अयस्क	Copper Ore .	2883
2767	काली मिर्च का निर्यात	Export of Pepper . . .	2883
2768	पोलैंड को लौह-अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore to Poland	2884
2769	मिट्टी के तेल से भरे हुए माल डिब्बों का बरौनी के समीप पटरी से उतर जाना	Derailment of Wagons Containing Kerosene Oil near Barauni	2884
2770	उत्तर रेलवे पर मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment of Goods Train on Northern Rly. . . .	2884–85
2771	आयात की जाने वाली वस्तुओं के विकल्प	Import Substitution . . .	2885
2772	छोटे पैमाने के उद्योग	Small Scale Units . . .	2885–86
2773	ऊन का व्यापार चिन्ह	Trade-mark of Wool . . .	2886
2774	बोरीबन्दर स्टेशन (मध्य रेलवे) पर महारानी विक्टोरिया की मूर्ति	Statue of Queen Victoria at Boribunder Station (Central Railway)	2886–87

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2775	बालासोर में रेलवे पुलों से गुजरने के लिये पास	Passes for Crossing Railway Bridges at Balasore . . .	2887
2776	दक्षिण पूर्व रेलवे पर दोहरे प्लेटफार्म	Double Platforms on S. E. Railway	2887–88
2777	डी० बी० के० रेलवे प्रशासन के अधीन कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Staff under D.B. K. Railway Administration .	2888
2778	केरल में कालमेसरी मशीनी औजार का कारखाना	Kalmassery Machine Tool Factory in Kerala	2888
2779	ओलावाक्कोट डिविज़न (दक्षिण रेलवे) के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता	House Rent Allowance to Railway Employees in Olavakkot Division Southern Railway .	2889
2780	रतलाम में रेलवे अस्पताल	Railway Hospital at Ratlam .	2889
2781	रतलाम के रेलवे कर्मचारी	Railway Employees of Ratlam .	2890
2782	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का विस्तार	Expansion of Durgapur Steel Plant	2890
2783	कानपुर की मिल के मामले की जांच	Enquiry into Affairs of a Mill in Kanpur	2891
2784	सिनेमा आर्क कार्बन का उत्पादन	Production of Cinema Arc Carbon	2891
2785	बंगलौर में रेलवे सहकारी समिति	Railway Co-operative Society at Bangalore	2891
2786	बाइयाप्पानाहाली मार्शलिंग यार्ड	Marshalling Yard of Balappanahalli	2892
2787	भारी प्लेटों और जहाजों का निर्माण	Manufacture of Heavy Plates and Vessels	2892
2788	पूर्वोत्तर रेलवे में स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों का प्रशिक्षण	Training for S. M. & A.S.M. on N.E. Railway . . .	2892
2789	पश्चिम रेलवे के विरार और सफाला स्टेशनों के बीच फ्लैग स्टेशन	Flag Station between Virar and Saphala on Western Railways .	2893
2790	नमकागार (साल्ट पान्स)	Salt Pans . .	2893
2791	डी० बी० के० रेलवे लाइन	D.B.K. Railway Line . .	2893–94
2792	पाकिस्तान से मछलियों का आयात	Import of Fish from Pakistan .	2894
2793	राजस्थान में फ्लोराइट का पाया जाना	Flourite Found in Rajasthan .	2894
2794	उदयपुर-हिम्मतनगर रेलवे लाइन	Udaipur-Himmatnagar Railway Line	2894–95
2795	रतलाम-दुर्गापुर रेलवे लाइन	Ratlam-Durgapur Railway Line .	2895
2797	भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मण्डल का मूल रसायनों सम्बन्धी प्रतिवेदन	Report of Indian Trade Delegation on Basic Chemicals .	2895–96

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)	Re: Calling Atttention Notice (Query)	2896–98
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table .	2898–2900
प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के उत्तर	Replies to Estimates Committee's recommendations . . .	2900
गैर-सरकारी सदस्यों की विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members Bills and Resolutions—	
कार्यवाही-सारांश	Minutes	2900
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	Committee on Absence from sittings of the House—	
कार्यवाही-सारांश	Minutes	2900
सरकारी आश्वासनो सम्बन्धी समिति—	Committee on Government Assurances—	
कार्यवाही-सारांश	Minutes . .	2901
राज्य-सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha .	2901, 2926
प्रश्नों की सूचना के सम्बन्ध में प्राथमिकता	Priority of Notice of Questions .	2901
विधेयक पुरःस्थापित—	Bills introduced—	
(एक) रेलवे (सशस्त्र सेना के व्यक्तियों का नियोजन) विधेयक	(i) Railways (Employment of Members of the Armed Forces) Bill . . .	2902
(दो) कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि विधेयक	(ii) Coal Mines Labour Welfare Fund Bill . .	2902
भारत तथा पाकिस्तान के बीच युद्ध-विराम के बारे मे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प तथा भारत के राष्ट्रमण्डल से सम्बन्ध विच्छेद करने के बारे में संकल्प पत्र चर्चा—	Discussion on U. N. Security Council Resolution Re : Cease-fire between India and Pakistan and Resolution Re : India Quitting the Commonwealth—	
श्री अल्वारेस	Shri Alvares . . .	2903–05
श्री भागवत झा आज़ाद	,, Bhagwat Jha Azad	2905–07
श्री प्र० के० देव	,, P. K. Deo . . .	2908–09
श्री ही० ना० मुकर्जी	,, H. N. Mukherjee .	2909–10
श्री अन्सार हरवानी	,, Ansar Harvani .	2911
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi .	2911–13
श्री अ० चं० गुह	Shri A. C. Guha	2913–14
श्री उ० मू० त्रिवेदी	,, U. M. Trivedi .	2914–16
श्री मु० क० चागला	,, M. C. Chagla .	2916–18
डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia .	2918–20
श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित	Shrimati Vijay Laxmi Pandit	2920–21
श्री मुहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail	2921–22
श्री जी० भ० कृपालानी	,, J. B. Kripalani .	2922–24
श्री लाल बहादुर	,, Lal Bahadur Shastri	2924–25
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	President's Assent to Bills .	2925

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)

LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 24 सितम्बर, 1965/2 आश्विन, 1887 (शक)

Friday, September 24, 1965/Asvina 2, 1887 (Saka)

लोक-सभा दस बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Ten of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सीमेंट की कमी

\+
*814. श्री बागड़ी :
श्री हेमराज :
डा० श्रीनिवासन :
श्री परमशिवन :
श्री जसवन्त मेहता :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री कजरोलकर :
श्री मुहमद कोया :
श्री मधु लिमये :
श्री रामसेवक यादव :
श्री बासप्पा :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सीमेंट की अत्यधिक कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) : सदन की मेज पर एक विवरण रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया । दखिये संख्या एल० टी० 4980/65 ।]

Shri Bagri : According to this Statement, there is only 16 to 20 per cent shortage of cement, but in practice we find that the people living in the rural areas do not get even five per cent of cement. Will the Hon. Minister be pleased to state the percentage of cement supplied to the majority of people who live in the villages and build small houses *vis a vis* the percentage of cement use for the bigger works?

The Minister of Heavy Engineering and Industry in the Ministry of Industry and Supply (Shri T. N. Singh) : It is difficult to estimate the percentage of cement used in the villages and of that used in other places.

Shri Bagri : Mr. Speaker, I am not asking about the percentage only. The quantity of cement available in the villages is negligible while the shortage is only 15 to 16 per cent.

Mr. Speaker : The Hon. Minister says that it is difficult for him to say what the percentage is.

Shri Bagri : I would like to know the steps taken by the Government to ensure that the people get the required quantity of cement. I would also like to know the reasons why cement was not available till now and what arrangements are being made for the future.

Shri T. N. Singh : The production of cement is increasing at the rate of 1 to 1½ million tons per year. I think that cement would be available to the villages and to others also within one or two years in large quantity. We pay particular attention to the villages. We ask the States to give priority to the villages particularly for agricultural works.

Shri Bagri : Mr. Speaker, my question has not been answered. I have asked the reasons why cement has not been made available to the villages, and the steps taken to remove this difficulty. The villages are deprived of all commodities such as cement and sugar.

Mr. Speaker : The Hon. Minister has said that at present there is shortage of cement. But it is hoped that the production would increase within two to three years and the requirements of the villages and other areas will be met.

Shri Bagri : At present, there is only 15 to 16 per cent shortage of cement and it should be supplied to the villages at least to this extent.

Shri Madhu Limaye : In the statement it has been said that the production of cement would be augmented in order to do away with the shortage. The Government gives directive to the cement industry to utilise used jute bags upto 33 per cent. But this results in substantial loss of cement. May I know whether, in view of the present shortage, the Government are contemplating to review its policy regarding the use of old jute bags and to reduce this percentage?

Shri T. N. Singh : We should make the maximum use of jute bags in the present circumstances and as such I do not feel any necessity to review the policy regarding the use of old jute bags.

Shri Madhu Limaye : What about the cement that is wasted through seepage.

Mr. Speaker : How will the cement be supplied if there were no jute bags?

Shri Madhu Limaye : The use of old jute bags results in loss of cement.

Mr. Speaker : If a small quantity of cement is saved, this will result in loss of jute bags.

Shri Ram Sewak Yadav : May I know whether the Hon. Minister is aware that although the cement is not available for agricultural purposes yet it can be purchased in black market for construction of big bungalows; if so, the steps being taken to put an end to this state of affairs.

Shri T. N. Singh : As far as black market is concerned, the Hon. Member might be having more information about it than I possess; but we take necessary action whenever we receive complaints regarding the same.

Shri Bagri : Mr. Speaker, half the question has not been answered.

Shri Ram Sewak Yadav : Is the Hon. Minister not aware of the black market?

श्री बासप्पा : क्या सरकार को जानकारी है कि मैसूर में चितलद्रग जिले के वासादुर्गा क्षेत्र में कच्चा माल उपलब्ध है? क्या यह सच है कि मैसूर के मुख्य मंत्री ने इस बारे में उनसे कहा था, यदि हां तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

अध्यक्ष महोदय : इस समय प्रत्येक राज्य के बारे में प्रश्न नहीं किये जा सकते।

श्री बासप्पा : प्रश्न अधिक उत्पादन के बारे में भी है।

अध्यक्ष महोदय : व्यापक प्रश्न पूछा जा सकता है।

श्री बासप्पा : कृपा करके उन्हें उत्तर देने दीजिये।

श्री त्रि० ना० सिंह : जब कभी भी मैसूर अथवा अन्य राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने मुझे लिखा है मैंने जहां तक सम्भव हुआ उनकी ओर ध्यान देने का प्रयत्न किया है। हम इन मामलों में कुछ कार्यवाही करते हैं परन्तु अन्य बातों पर भी विचार करना पड़ता है।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या सरकार पाकिस्तान को सिलहट के कारखाने के लिये कच्चा माल दिया जाना बन्द किये जाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है और क्या वह आसाम के खासी तथा जंतिया पहाड़ी क्षेत्रों में सिमेंट का कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है?

श्री त्रि० ना० सिंह : इस समय पाकिस्तान को कोई सप्लाई नहीं की जा रही है। यह अभी देखना है कि भविष्य में क्या कदम उठाये जायेंगे।

श्री कजरोलकर : क्या सरकार महाराष्ट्र सरकार को उनकी औद्योगिक योजनाओं तथा आवास परियोजनाओं सम्बन्धी सिमेंट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सिमट देने पर विचार कर रही है?

अध्यक्ष महोदय : इस ओर अवश्य ही ध्यान देना चाहिये क्योंकि वे कभी कभी ही प्रश्न पूछते हैं।

डा० श्रीनिवासन : हमें ज्ञात ही है कि सब जगह सिमेंट का बहुत अभाव है परन्तु चोर बाजार में भी जो थोड़ी मात्रा में सिमेंट मिलता हैं, उसमें भी अपमिश्रण किया गया होता है। इसका उपाय करने के लिये सरकार कौन से कदम उठा रही है?

श्री त्रि० ना० सिंह : यदि काला बाजार करने वाले तथा अपमिश्रण करने वाले आपस में गठबन्धन कर लें तो यह कोई असामान्य बात नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विवरण इस वाक्य से आरम्भ होता है कि "देश में सिमेंट की सम्पूर्ण रूप से कमी है"। इस दृष्टि से वे कौनसे कारण हैं जिनके आधार पर सरकार सिमेंट पर से नियन्त्रण हटा रही है और वह बिना कोई प्रतिबन्ध लगाये मूल्यों को बढ़ने से कैसे रोकेगी?

श्री त्रि० ना० सिंह : माननीय सदस्य को मालूम है कि आपात काल के कारण वह निर्णय फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। परन्तु नियंत्रण हटाने का यह निर्णय प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था; यह विचार था कि अत्यावश्यक वस्तुओं के नियमित सम्भरण से, जिसके सम्बन्ध में हम विचार कर रहे हैं, कुछ बुराइयों को दूर करना सम्भव होगा और इसके साथ-साथ सप्लाई भी अच्छी हो सकेगी ।

Shri Rameshwaranand : Mr. Speaker, at present there are three prices of cement in the country—one is the controlled price, the second one is less than the controlled price and the third is more than the controlled price. For Government constructions the cement is available at less than the controlled price. The villagers are getting cement at a price which is much more than the controlled one, *i.e.*, Rs. 20·00 per bag. Some people get cement at controlled rate also. The reason for these three different prices is that the Government is pursuing a wrong policy regarding distribution. I would like to know whether Government propose to do away with the policy regarding distribution of cement through. B. D. Os. and Inspectors.

अध्यक्ष महोदय : क्या वितरण नीति में परिवर्तन होगा या नहीं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : पूरी नीति पर विचार हो रहा है और हम कार्यवाही करने वाले हैं . . . . .

Shri Ram Sewak Yadav : The question was in Hindi and reply should also be in Hindi.

Shri Rameshwaranand : You know Hindi.

Mr. Speaker : You can use the interpretation equipment.

Shri T. N. Singh : As the House is aware the Prime Minister had announced that cement would be decontrolled. Due to present circumstances it has not been done, but it is under consideration.

श्री रंगा : क्या इस का यह मतलब है कि आपातकालीन स्थिति समाप्त हो गई है और सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी और प्रधान मंत्री की इच्छाओं और निर्णयों को, जो उन्होंने सम्बद्ध मंत्रालय से सलाह करने के बाद किये हैं। मंत्री महोदय बहाने बनाकर धीरे-धीरे समाप्त कर रहे हैं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : यह आरोप बिल्कुल गलत है कि प्रधान मंत्री के निर्णयों को समाप्त किया जा रहा है। प्रधान मंत्री ने जो कुछ निर्णय किया है उसे हम पूरा करेंगे। निर्णय सभी बातों पर विचार करने के पश्चात किये गये थे। अभी आपातकालीन स्थिति समाप्त नहीं हुई।

श्री रंगा : यह आपके लाभ के लिये है।

Permanent Exhibition in Delhi

*815. **Shri**+ **M. L. Dwivedi** :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether any proposal is under consideration to organise a permanent/ exhibition of indigenous machines and spare parts in Delhi; and

(b) if so, whether such exhibitions are proposed to be organised in other parts of the country?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि भारतीय निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन करने और भारत के विकासमान और परिवर्तित हो रहे स्वरूप का, विशेषतः विकास आयोजन और निर्यात क्षमता सम्बन्धी एक चित्र उपस्थित करने के लिये नई दिल्ली में एक स्थायी प्रदर्शनी का आयोजन किया जाये। यह प्रस्ताव भी किया गया है कि भारत के निर्यात योग्य उत्पादों के लिये भारत के प्रमुख वाणिज्यक और औद्योगिक केन्द्रों जैसे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और बंगलौर में प्रदर्शन कक्ष खोले जायें और इस दिशा में कुछ प्रगति भी हुई है।

Shri M. L. Dwivedi : One of the reasons for slow progress of our industries, is that the machinery used in them is not on display any where. There is no display of those machines which are required in ancilliary industries. I want to know when permanent arrangements would be made for this.

Shri Manubhai Shah : As the House is aware many exhibitions are being held in different cities of our country. This question is about export orientation *i. e.* we should display our goods to foreigners. We are setting up a permanent exhibition for that purpose in Delhi. Such products would be displayed for this purpose in five or six big cities.

Shri M. L. Dwivedi : I want to know the amount that has been earmarked for these exhibitions during the fourth plan and the time by which this exhibition would be set up?

Shri Manubhai Shah : The expenditure involved in this would be in order of about rupees three or four crores. Some of the money would be spent this year. Due to emergency it has been delayed and that land is being used for some other purpose. We hope to get it soon and during the first second year of fourth plan much of the work would have been done.

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं कि अखिल भारतीय निर्माता संघ ने सभी देशी मशीनों और पुर्जों को दिल्ली में प्रदर्शित किया था ? क्या उन्हें देश के अन्य भागों में भी दिखाया गया था ?

श्री मनुभाई शाह : यही बात मैं बता रहा था। बहुत सी संस्थायें देश के विभिन्न भागों में प्रदर्शनियां कर रही हैं। हम निर्यात पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और इस प्रकार यह योजना चलाई जा रही है।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या ये प्रदर्शनियां केवल दिखाने के लिये होंगी या वहां पर साथ साथ विक्रय कार्य भी होगा ताकि उस में भाग लेने वाले वहीं पर सामान बेच सकें ?

श्री मनुभाई शाह : दोनों बातों पर विचार किया जायेगा।

Shi Yashpal Singh : Will this exhibition be in Private Sector or in Public Sector? Who would bear the expenses--Government or the exhibitors?

Shri Manubhai Shah : This exhibition is for whole of India and both the sectors will participate in it. The expenses will be born by Government but the goods will come from factory owners.

Shri Tulsidas Jadhav : Is it that those goods would be shown in this exhibition that have to meet competition in international markets or all type of machinery manufactured here would be shown here?

Shri Manubhai Shah : All aspects would be taken into consideration.

श्री दी० चं० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ऐसे व्यापारियों को कैसे आकर्षित करेगी जो हमारा छोटे पैमाने, मध्यम पैमाने या बड़े पैमाने का माल खरीदते है ?

श्री मनुभाई शाह : हम विदेशों से व्यापारिक प्रतिनिधि मंडलों को सरकारी तथा व्यापारिक स्तर पर, आमंत्रित करेंगे ताकि वे स्वयं हमारे उत्पादों को देख सकें और यहीं पर माल खरीद सकें ।

श्री प्रिय गुप्त : हाल ही में म्यूनिच में एक अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन प्रदर्शनी हुई थी उस में भारत का कोई स्टाल नहीं था, जबकि भारत इंजिन, डिब्बे आदि का निर्यात करता है और विमान का निर्माण करता है । इस बारे में सरकार को क्या कहना है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का विषय भिन्न है । We are discussing about Delhi.

श्री प्रिय गुप्त : प्रश्न के भाग (ख) में अन्य देशों में आयोजित प्रदर्शनियों की चर्चा है ।

Shri Achal Singh : Will this exhibition be held at the same place and in the same buildings where the previous exhibition was held?

Shri Manubhai Shah : There are many buildings in good condition in the Kotla Ferozshah Grounds. Those buildings would be utilized. The exhibition would be replaned according to international angle.

पूर्व-यूरोपीय देशों के साथ व्यापार

*816. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पूर्व-यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, विशेषत: अपर परागत वस्तुओं के व्यापार के विस्तार की क्या संभावना है; और

(ख) इस दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है :

विवरण

अपरम्परागत वस्तुओं में पूर्व-युरोपीय देशों के साथ भारत के व्यापार के विस्तार की सम्भावना बहुत अच्छी है। क्योंकि पूर्व-यूरोपीय देशों के साथ व्यापार सम्बन्धित सरकारों की सहमति से द्विपक्षीय आधार पर होता है, इन सरकारों को प्रत्येक अवसर पर उन अपरम्परागत वस्तुओं की आवश्यकता के बारे में बताया जाता है जो उनकी आर्थिक व्यवस्था के लिये आवश्यक हैं और जिनका भारत में निर्माण हो रहा है। सभी व्यापार सम्बन्धी बातचीतों में इस बात पर जोर दिया जाता है और व्यापार समझौतों में बहुत सी इंजीनियरी, रासायनिक और उपभोक्ता वस्तुओं का भारत से निर्यात-योग्य वस्तुओं के रूप में उल्लेख किया जाता है। इस संबंध में अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिये इन देशों में नियमित रूप से प्रदर्शनियों का संगठन किया जाता है, पूर्व-यूरोपीय देशों के क्रय संगठनों की दिलचस्पी अपरम्परागत वस्तुओं में बढ़ाने के लिये तकनीकी और व्यापार प्रतिनिधि मंडल इन देशों में भेजे जाते हैं। राज्य व्यापार निगम ने इन देशों में अपने कार्यालय स्थापित किये हैं और व्यापार समझौतों के अन्तर्गत वस्तुओं को सप्लाई करने के अतिरिक्त वहां के उपक्रमों के साथ सम्पर्क बनाये रखते हैं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : भारत द्वारा पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिये अब तक किन किन देशों के साथ करार हो चुके है और इस सम्बन्ध में क्या क्या सौदे होंगे ?

श्री मनुभाई शाह : पिछले पांच वर्षों में हमारा पूर्वी यूरोप के देशों के साथ बहुत अच्छा व्यापार हुआ है। सोवियत संघ के साथ व्यापार लगभग दस गुना बढ़ गया है। रूस के विदेश व्यापार मंत्री श्री पेटिलचेव तथा उनका दल आने वाला है और चौथी योजना में हमारा प्रत्येक ओर से व्यापार वर्तमान 75 करोड़ रूपये से बढ़ कर 150 करोड़ रुपये हो जायेगा।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि भारत तथा यूगोस्लाविया सरकारों ने व्यापार के विस्तार की सम्भावनाओं पर संयुक्त रुप से कार्यवाही करने का फैसला किया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

श्री मनुभाई शाह : यह सच है। युगोस्लाविया के उपप्रधान मंत्री श्री बरीलेग साल के शुरू में यहां आये थे और हम ने एक संयुक्त आर्थिक सहकार समझौता किया था। हम रिजाक बन्दरगाह पर एक कारखाना लगा रहे है जहां सामान जोड़ कर भारतीय रेल डिब्बों का निर्यात हो सकें और उन्हें यूगोस्लाविया में बेचा जा सके। सभी पूर्वी यूरोपीय देशों को वहां से माल भेजा जायेगा। इसी प्रकार यूगोस्लाविया हमें और देशों में भी कार्य आरंभ करने के लिये सहायता दे रहा है ताकि भारतीय मशीनों, सामान तथा तकनीकी जानकारी का पुनः निर्यात किया जा सके।

श्री रघुनाथ सिंह : इन देशों को हमारे इंजिनियरी तथा बिजली के सामान के निर्यात की क्या आशा है ?

श्री मनुभाई शाह : बहुत आशा है।

श्री वारियर : क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ गैर-सरकारी निर्माताओं को भी इन देशों को माल निर्यात करने का अवसर देगी ?

श्री मनुभाई शाह : यह किया जाता है। हमारे यहां मिश्रित अर्थव्यवस्था है। वास्तव में लीपजिग में हाल ही में हुए मेले में 60 से अधिक उद्योगपतियों ने भाग लिया था और वहां पर हमारे सब से अधिक स्टाल थे।

Shri Gulshan : The Hon. Minister has said that our trade with these countries particularly with Soviet Union will increase. I want to know whether our defence requirements like weapons etc. will also be received from those countries?

Shri Manubhai Shah : If we want to meet all our demands, it will take many years.

श्री श्यामलाल सर्राफ : पूर्वी यूरोप के देशों की समाजवादी अर्थव्यवस्था है। क्या उन देशों को निर्यात करने में हम विश्वासनीय साधनों को पाने में सफल रहे हैं ?

श्री मनुभाई शाह : हम विभिन्न वस्तुओं के सम्बन्ध में पृथक पृथक तरीकों का प्रयोग करते हैं। कुछ उत्पादों को हम राज्य व्यापार निगम द्वारा भेजते है। ये पांच वस्तुएं है। अन्य मामलों में हम गैर-सरकारी व्यापारियों को समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों के साथ व्यापार के लिये बातचीत करवाते हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : हमारे उन देशों से व्यापार में एक त्रुटि यह है कि वहां हमारी वस्तुओं को प्रदर्शित नहीं किया जाता। क्या इस त्रुटि को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है।

श्री मनुभाई शाह : यह ठिक है। हम अपनी सभी प्रदर्शन की वस्तुओं को दिखा नहीं पाते। अपने सीमित संसाधनों के साथ हम प्रत्येक समाजवादी देश में कम से कम एक प्रदर्शनी में भाग लेने का यत्न करते रहे हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या पूर्वी यूरोप के देशों की ऐसी वस्तुओं को जो वस्तुएं चाहिए और हम दे सकते है, उनके विषय में अनुमान लगाया गया है, यदि हां तो क्या हम वह मांग पूरी कर सकते हैं ?

श्री मनुभाई शाह : सभी देशों की सभी मांगे पूरी करना मुश्किल है। हां हम यह प्रयत्न अवश्य करते हैं कि जितना अधिक निर्मित माल भेजा जा सके भेजा जाये। समाजवादी देशों की अर्थ व्यवस्था उपभोक्ता सामान खरीदने के पक्ष में नहीं। वे देश को कच्चा माल खरीदते हैं। हमारी यह कोशिश होती है कि उनको अधिकाधिक निर्मित औद्योगिक माल भेजा जाये।

छठा इस्पात कारखाना

+
*817. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री कनकसबं :**
श्री हिम्मतसिंहका : **श्री मुहम्मद कोया :**

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सरकारी क्षेत्र में छठा इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिये फ्रांस से बात-चीत चल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : फ्रांस की कुछ पार्टियों ने इस देश में इस्पात का एक कारखाना स्थापित करने की संभाव्यता की जांच करने में अभिरूचि दिखाई है। उनसे कहा गया है कि सहयोग/सहायता पर विचार किया जा सकता है बशर्ते उचित शर्तों पर धन का प्रबन्ध किया जा सके। इन पार्टियों से अभी तक कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री प्र० चं० बरुआ : इस कारखाने के स्थापित करने के लिये कौन कौन से स्थान विचाराधीन है ? हास्पेट के बारे में क्या सम्भावना है ? पाचवें कारखाने के लिये यह दूसरा अच्छा स्थान बताया गया था।

श्री प्र० चं० सेठी : यह प्रश्न बहुत बाद में आयेगा। अब तो हम पांचवे कारखाने के बारे में सोच रहे है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार ने भारत के कम से कम वित्तिय भाग और इंजीनियरी सहायता के प्रश्न पर निर्णय कर लिया है ताकि हमे बोकारो की तरह का अनुभव फिर न हो।

श्री प्र० चं० सेठी : यह सब बातें बाद में उठेंगी। अभी तो फ्रांस तथा जर्मनी की पार्टियों ने अभिरुचि दिखाई है।

श्री हिम्मतसिंहका : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कई सरकारी कारखानों के लिये स्थानों का चयन उस स्थानों की विशेषताओं को ध्यान में न रखते हुए किया जाता है क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि इस कारखाने को, स्थान की विशेषताओं को ध्यान में रखकर स्थापित किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : जी हां, स्थान की विशेषताओं का ध्यान रखा जायेगा परन्तु कई ऐसे कारण होते है जो बहुत महत्वपूर्ण होते है। उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सहयोग प्राप्त करने का कार्य हमारे फ्रांस स्थित दूतावास को सौंपा गया है; यदि हां, तो वहां की पार्टियों के नाम चुनने के बारे में क्या प्रगति हुई है और उनकी शर्तें क्या हैं ?

श्री संजीव रेड्डी : यह बातें अभी प्रारंभिक अवस्था में है क्योंकि हमें चौथी योजना में धन की व्यवस्था करनी है। हमारी योजना भी अभी तैयार नहीं हुई है और निफियों को अभी निर्धारित किया जायेगा। इस लिये फ्रांस स्थित हमारे राजदूत अभी आगे की कार्यवाही नहीं कर सकते।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : श्रीमान्, मन्त्रालय ने जिन विशेषज्ञ समितियों की नियुक्ति की है उन की ओरसे कई प्रतिवेदन पेश किये गये हैं परन्तु केवल एक प्रतिवेदन ही पुस्तकालय में रखा गया है। इस प्रतिवेदन में दो स्थानों की सिफारिश की गई है। एक है हास्पेट और दूसरा है विशाखापटनम। उस प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि केवल छटा इस्पात कारखाना ही नहीं अपितु प्रथम इस्पात कारखाना भी हास्पेट में लगाया जाना चाहिये था क्योंकि वहां न केवल भारत से परन्तु सारे विश्व से सस्ता लौह अयस्क प्राप्त होता है। मैं जानना चाहता हूं कि यह सच है या नहीं।

श्री संजीव रेड्डी : मुझे खेद है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। हास्पेट के बारे में उनका बहुत पक्का मत है और मैं उन से सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय : हास्पेट में इस्पात कारखाना लगाने के बारे में यह केवल एक विचार है।

श्री शिंकरे : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश में मुद्रा स्फिति का एक कारण सरकार की ओर से बहुत से इस्पात कारखानों तथा दूसरी बड़ी परियोजनाओं में बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी का लगाया जाना है। क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखेगी कि छटा इस्पात कारखाना उसी हालत में लगाया जायेगा यदि इस के लगाने से देश की वित्तिय स्थिति पर कोई अतिरिक्त प्रतिकूल दबाव न पड़ता हो ?

श्री संजीव रेड्डी : मैं नहीं जानता कि यह कहना उचित है कि इस्पात कारखानों में बड़ी मात्रा में राशि लगाई है और इसी कारण से यह असंतुलन है। मैं इन विचारों से सहमत नहीं हूं क्योंकि जब तक बड़ी मात्रा में राशि न लगाई जाये इस्पात कारखाना नहीं लगाया जा सकता और इस्पात न केवल कृषि, प्रतिरक्षा तथा दूसरे मौलिक कच्चे सामान परन्तु देश की प्रगति के लिये बहुत ही आवश्यक है। जो कुछ भी लागत हो हमें इस्पात का उत्पादन करना ही है। दूसरे विकसित देश इस्पात के उत्पादन में बहुत आगे हैं और यदि हम चौथी योजना में 1 करोड़ 65 लाख टन और पांचवी योजना में 2 करोड़ 60 लाख टन इस्पात का उत्पादन नहीं करते तो हमारे लिये बहुत कठिनाई हो जायगी।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know the names of other countries apart from France with whom discussions have been held and by what time the matter will be finalised?

श्री संजीव रेड्डी : पांचवे इस्पात कारखाने को आंग्ल-अमरीकी सार्थ-संघ लगा रहा है। जर्मन भी इस में रुचि दिखा रहे हैं। फ्रांस के क्रुप्स तथा साइड स्पोर्ड तथा दूसरे छोटे देश भी इस में रुचि ले रहे हैं। और भी कई देश हैं जो इस में रुचि दिखा रहे हैं परन्तु मैं उन का नाम नहीं लेना चाहता। यदि हम रुपये में मुद्रा लगा सकते हों और इस काम में आगे बढ़ने को तैयार हो तो वे देश भी हमें सहायता करने को तैयार हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether France has suggested any place during the discussion where steel plants can be established and whether we have suggested same place to them if so, may I know the names of the places and the estimated cost of the plant?

श्री संजीव रेड्डी : नहीं श्रीमान ब्यौरे का हिसाब नहीं लगाया गया है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या म जान सकता हूं कि क्या सरकार आंग्ल अमरीकी सार्थ-संघ के प्रतिवेदन के ब्यौरे में जाने की वांछनीयता पर विचार कर रही है और जहां तक छटे इस्पात कारखाने का सम्बन्ध है इस को सार्थ-संघ की ओर से बताये गये विशाखापटनम के बाद दूसरे स्थान पर लगाने के लिये उस की अग्रिम योजना बनवाने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री संजीव रेड्डी : यह सारे विषय मंत्रि मंडल के समक्ष है और इन सब पहलुओं पर विचार करने के बादही मंत्रि मंडल कोई निर्णय करेगा ।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तमा : माननीय मन्त्री इस सभा में यह बताते रहे हैं कि उन्होंने स्थान के बारे में राय और निर्णय की बात विशेषज्ञों पर छोड़ दी है। जबकि प्रतिवेदन मिल चुका है तो स्थान के बारे में निर्णय करने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री संजीव रेड्डी : हम अभी जिस गम्भीर स्थिति से गुजरें हैं शायद माननीय महिलासदस्य उस से अवगत नहीं है। निकट भविष्य में मंत्रिमण्डल अवश्य ही इस पर निर्णय करेगा ।

श्री वारियर : इस्पात कारखानों की बढ़ती हुई मांग और आवश्यकता को देखते हुए क्या में जान सकता हूं कि सरकार रांची में इस्पात कारखानों की स्थापना के लिये काम आने वाली मशीनों को देश में बनाने के काम को तेज करने के लिये कदम उठा रही है ताकि बिना किसी के सहयोग के हम स्वयं इस्पात कारखानों की स्थापना कर सकें ?

श्री संजीव रेड्डी : यह हमारा प्रयास है। तीसरी योजना में इस्पात कारखानों की स्थापना में हमने केवल 10 से 15 प्रतिशत देशी माल का प्रयोग किया है। चौथी योजना में हम 35–40 प्रतिशत देशी माल का प्रयोग करेंगे। पांचवी योजना में देशी माल के प्रयोग की प्रतिशतता इस से बहुत अधिक होगी ।

श्री बासप्पा : पांचवे इस्पात कारखाने की स्थापना के लिये स्थान के बारे में जो मतभेद उत्पन्न हो गये हैं उन को दूर करने के लिये क्या सरकार पांचवे और छटे इस्पात कारखाने के स्थानों का एक मात्र फैसला कर देगी ?

श्री संजीव रेड्डी : प्रश्न के सारे पहलू मंत्रि मण्डल के समक्ष हैं। श्री बासप्पा के मूल्यवान् सुझाव पर मंत्रि मण्डल में विचार किया जायेगा ।

रेल-यात्रा के लिये स्थानों का आरक्षण

*818. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासनों को यह मालूम है कि देश भर में रेलों पर रेल यात्रा के लिये बर्थों तथा स्थानों के आरक्षण के सम्बन्ध में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार फैला हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे दूर करने के लिए क्या विशेष कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) शायिकाओं और बैठने की जगहों के आरक्षण के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार और घूसखोरी की कुछ शिकायतें मिल रही हैं ।

(ख) एक बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

1. प्रत्येक शिकायत की पूरी जांच की जाती है और जो मामले साबित हो जाते हैं, उनमें कड़ी सजा दी जाती है ।

2. चूंकि आरक्षण को एक व्यक्ति के नाम से दूसरे के नाम पर बदलना उन कारणों में से एक पाया गया है जो भ्रष्टाचार को फैलाने में सहायक होते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति को कारगर ढंग से निबटाने के लिए भारतीय रेल अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है ।

3. रेलवे प्राधिकारियों के सहयोग से विशेष पुलिस सिब्बन्दी द्वारा अचानक जांच की व्यवस्था की गयी है, ताकि गाड़ियों में शायिकाओं और बैठने की जगहों की बुकिंग में संभावित भ्रष्टाचार की रोकथाम की जा सके।

4. भीड़-भाड़ के समय अवांछनीय तत्वों की गतिविधियों की रोकथाम के लिए कुछ प्रमुख स्टेशनों की टिकट खिड़कियों पर सादी पोशाक में सतर्कता विभाग के कर्मचारियों का विशेष दस्ता और चल-टिकट परीक्षक तैनात किये जाते हैं।

5. टिकट घरों पर, खासतौर पर भीड़-भाड़ के समय, अधिक पर्यवेक्षण कर्मचारी तैनात किये गये हैं, ताकि कर्मचारियों द्वारा अनाचार के प्रति उपेक्षा की सम्भावना को दूर किया जा सके।

6. चूंकि मूल कारण जगह की कमी है, इसलिए पर्याप्त जगह की व्यवस्था करने के उद्देश्य से अधिक गाड़ियां चलाने के लिए हर सम्भव कोशिश की जा रही है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि सभा पटल पर रखे गये विवरण में उल्लिखित छः सूत्री कार्यवाही के बावजूद रेलवे में स्थानों के आरक्षण के विषय में भ्रष्टाचार की समस्या पूरी तरह नहीं सुलझी है? यदि ऐसा है तो क्या सरकार का विचार तेजी से इस समस्या को सुलझाने का है यदि हां तो किस प्रकार?

डा० राम सुभग सिंह : जी हां श्रीमान्। जहां तक सम्भव हो हमारा इरादा इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने है।

अध्यक्ष महोदय : किस प्रकार?

डा० राम सुभग सिंह : छः बातें पहले ही बताई जा चुकी हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या इन छः बातों के अलावा और भी कदम उठाये जाने वाले हैं?

डा० राम सुभग सिंह : जो लोग बिना टिकट के यात्रा करते हैं उन की और अच्छी तरह रोकथाम की जायेगी।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि कितने ऐसे मामले पकड़े गये हैं और ऐसे मामलों में कितने लोगों को सज़ा दी गई है और इस से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुये क्या प्रशासन कुछ और कदम उठाना चाहता है?

डा० राम सुभग सिंह : ऐसे मामलो में जिन व्यक्तियों को पकड़ा गया है उन से या तो किराये के अलावा जुर्माना वसूल किया गया है या....

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं बिना टिकट यात्रा के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। मैं तो रेलवे में स्थानों के आरक्षण के लिये होने वाले भ्रष्टाचार के बारे में पूछ रहा हूं।

डा० राम सुभग सिंह : जो लोग भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े गये हैं उन के विरुद्ध अनुशासनीय कार्यवाही की जाती है। जिन लोगों के विरुद्ध यह कार्यवाही की गई है उन की ठीक संख्या की जानकारी देने के लिये मुझे सूचना चाहिये।

Shri D. N. Tiwary : May I know whether it is a fact that the employees do not change their attitude even after they are issued nominal warnings after making enquiries on the public complaints and they indulge in more corruption?

2—42 Lok Sabha/65

Dr. Ram Subhag Singh : This has been seen on certain places. A specific case has been brought to my notice by the Hon. Member and prompt action is being taken on three big stations and strong action will be taken against thoce concerned.

श्री अ० प्र० शर्मा : रेलवे में स्थानों के आरक्षण में चालू भ्रष्टाचार के बारे में बारबार शिकायते की जाती हैं। जब शिकायते गलत सिद्ध होती है, रेलवे कर्मचारियों के बचाव के लिये, जिन के बचाव का अब कोई प्रबन्ध नहीं है, तो उन लोगों के विरुद्ध जो निराधार शिकायतें करते हैं सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

डा० राम सुभग सिंह : यदि लोक निराधार शिकायतें करते हैं तो उन के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। कुछ मामलों को न्यायालय में भी भेजा गया है। हमारे नियमों में ऐसी व्यवस्था है।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री ने जापानी रेलवे प्रणाली का अध्ययन किया है जो कि स्थानों के आरक्षण के विषय में त्रुटि रहित है ?

डा० राम सुभग सिंह : मैं जापानी पद्धति के बारे में बहुत कम जानता हूं। जो कुछ भी जापानी तथा दूसरी रेलवे विभागों में अच्छा है उस को हम भारतीय रेलवे में लागू करने की कोशिश करेंगे। परन्तु यहां हालात दूसरे हैं और इस लिये बहुत कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं।

Shri Yashpal Singh : May I know whether the Hon. Minister is aware that air conditioned coach is attached to mail or express trains only for one passenger. In these days of hard life may I know whether Government has taken care of such cases of corruption and that the persons who cannot travel without air-condition coach may be allowed to remain in the homes.

Shri Sarjoo Pandey : May I know whether this thing has come to the notice of the Hon. Minister that seats, which are kept for the Uttar Pradesh Government employees in the trains which runs from Lucknow to Delhi, are sold for money and the employees do not travel themselves?

Dr. Ram Subhag Singh : I will enquire about it?

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : कुछ दिन हुये बम्बई के समाचार पत्रों में एक बहुत ही रुचिकर समाचार प्रकाशित हुआ था कि पच्चिमी रेलवे के महा प्रबन्धक अपने कुछ और उंची पद्धती के अधिकारियों के साथ भेस बदल कर आरक्षण की खिड़की पर गये और कि उन को ड्यूटी पर खड़े एक 'पुलिस मैन' ने पीछे हटा दिया और कई घंटे इन्तजार करने के बाद भी अपने लिये स्थान रक्षित नहीं करवा सके थे जहां कि कुछ लोगों ने उन की वहां उपस्थिति में पैसे दे कर अपने लिये स्थान रक्षित करवा लिये, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि इस घटना पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

डा० राम सुभग सिंह : बहुत कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि रेलवे विभाग में रक्षण अनुभाग इस बात में प्रसिद्ध है कि वहां भ्रष्ट अधिकारियों का राज्य है। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इन अधिकारियों को वहां से हटाने का और दूसरे अनुभागों में बदली का कुछ प्रबन्ध करेगी ?

डा० राम सुभग सिंह : मैं इस आक्षेप को नहीं मानता हूं कि केवल रेलवे में ही भ्रष्ट अधिकारी है। यह एक सामाजिक बीमारी हैं और हम सब में जैसा की रेलवे के या दूसरे अधिकारी है। यदि माननीय प्रश्न करने वाले सदस्य कोई विशिष्ट घटना बताते हैं तो हम अवश्य उस अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेंगे।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : अधिकारियों की बदली के बारे में क्या है।

डा० राम सुभग सिंह : उन्होंने कोई घटना नहीं बताई है। वैसे इस का कोई आधार नहीं है।

Shri Bishan Chander Seth : Four months back I wrote a letter to the Ministry regarding corruption in the Railway stating that thousands of people travel without ticket in the trains which go to Shahjahanpur, Pilibhit and Sitapur but uptill today no action has been taken thereon?

Dr. Ram Subhag Singh : Arrangements have been made to check the ticketless travelling between Sitapur and Pilibhit.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मैं जान सकता कि यह सच है कि संसद् सदस्य जो गाड़ियों में स्थान रक्षित करवाते हैं आम तौर पर उनके रद्द करने की सूचना नहीं भेजते और यह भी एक कारण है कि इन स्थानों का काले बाजार के लिये प्रयोग होता है, यदि हां, तो क्या सरकार ने संसद् सदस्यों को निर्देश दिये हैं कि वे विलोपन की सूचना तत्परता से दिया करें।

डा० राम सुभग सिंह : इस प्रकार की एक प्रार्थना लोक सभा सचिवालय की ओर से की गई है।

Shri Ram Sewak Yadav : May I know whether the Hon. Minister is aware that the seats are reserved in the fictitious names of the pass holder? Whenever the request is made the reply is that all are full.

Dr. Ram Subhag Singh : It concerns only to pass holders like us. They can complain against it and it will be looked into.

डा० सरोजिनी महीषी : क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई हैं कि 'स्लीपर कोचों' अर्थात सोने के डिब्बों में खाली स्थानो के बारे में पहले से सूचना नहीं दी जाती और गाड़ी चलने से केवल दस मिनट पूर्व आम तौर इन स्थानों के लिये टिकट बेचे जाते हैं यदि हां तो इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिये क्या विशेष व्यवस्था की जा रही है ?

डा० राम सुभग सिंह : इस के लिये व्यवस्था मौजूद है। यदि माननीय सदस्य कोई विशेष मामले के बारे में बतायें तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे परंतु उन्होंने कोई विशिष्ट मामला नहीं बताया है।

ग्रामीण औद्योगीकरण

*819. **श्री हेडा :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ग्रामीण औद्योगीकरण के लिए 15 क्षेत्र चुनने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो जिलों के नाम क्या हैं और इन क्षेत्रों में किन उद्योगों को प्राथमिकता दी जायेगी ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हेडा : क्या कुछ विशेष क्षेत्रों में जहां कि प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है ग्रामीण औद्योगीकरण के काम को हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव था, यदि हां, तो उस प्रस्ताव का क्या हुआ ?

श्री विबुधेन्द्र मिश्र : प्रश्न यह है कि क्या चुने हुये क्षेत्रों में ग्रामीण औद्योगिकरण के काम को आरम्भ करने का कोई नया प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के बारे में शायद श्री हेडा जानते हैं कि योजना आयोग के अधीन ग्रामीण उद्योग समिति ने सारे देश में 45 क्षेत्रों में 45 ग्रामीण उद्योग केन्द्र स्थापित किये हैं।

श्री हेडा : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इस विचार पर भी ध्यान दिया है कि ग्रामों में किस प्रकार के उद्योग स्थापित किये जाये गये क्योंकि ग्रामों में आधार कृषि है।

श्री विबुधेन्द्र मिश्र : यह योजना उद्योग मंत्रालय की सहमति से बनाई गई थी और इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये उद्योग मंत्रालय के अधिकारी भी इस से संबंधित हैं। इन 45 केन्द्रों में जो उद्योग लगाये जायेंगे उन का आधार कृषि ही है।

Shri Balmiki : This was an impression in the three Plans? That there will be dispersal of industries. May I know whether keeping in view this thing Government have established same industries in the rural areas and that those industries have been removed from the cities and in this way rural industrialisation is encouraged?

श्री विबुधेन्द्र मिश्र : सब प्रयास किये जा रहे हैं....

Shri Balmiki : I want an answer to my question in Hindi.

Mr. Speaker : The Hon. Member may please listen to him and if he does not understand it will be made clear to him.

श्री विबुधेन्द्र मिश्र : सब प्रयास किये जा रहे हैं। परन्तु वहां कुछ भौतिक कठिनाइयां हैं जैसा कि परिवहन की, बिजली की और विद्युत् की और ऐसी और दूसरी भी कठिनाइयां हैं परन्तु इस विचार को व्यवहारिक रूप देने के लिये सब प्रयास किये जा रहे हैं।

Shri Bibhuti Mishra : Just now the Hon. Minister has stated that the Government are not contemplating any arrangement to provide employment in villages. I want to know that after completing three Plans, whether the Government propose to make any arrangement to provide means of livelihood for village folk and to end their poverty; if so, the nature thereof?

The Ministry of Industry and Heavy Engineering in the Ministry of Industry and Supply (Shri T. N. Singh) : It has not been stated that no programme has been launched in villages but what has been stated in the answer is that the 15 areas have not been selected for rural industrialisation as mentioned in the question but experiments are being made at 45 places to find out as to how industries could he set up in far off villages. Much experience has been gained and this programme is proposed to be extended further.

श्री कण्डघन : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या ग्राम्य क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने वालों को लाइसेंस जारी करने और अन्य बातों के मामले में प्राथमिकता दी जाएगी ?

श्री विबुधेन्द्र मिश्र : वास्तव में उन्हें कुछ प्रोत्साहन दिये जाते हैं।

Shri Kashi Ram Gupta : Whether any list of those Industries has been prepared on the basis of special preference to be given to those villages having electricity, which are to be set up during fourth Five Year Plan?

Shri T. N. Singh Fourth Five Year Plan is still under consideration and these matters are also considered by us and the Planning Commission jointly. But nothing can be said about this matter precisely and definitely.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : What small industries could be set up in villages not having electricity and which could prove useful in Government's opinion?

Shri T. N. Singh : Khadi Commission and the Handicrafts Board have made great efforts and they have met with success also.

Shri Sheo Narain : Where are these Centres, stated to have been established located and in which State?

Mr. Speaker : He will lay a list of these centres on the Table.

Shri Rameshwaranand : The Industries which are set up in villages do not get financial assistance in the first instance and if they are able to get it, they do not get sanction from above and if they are able to get it they do not get electricity even if it is available there. Therefore will the Hon. Minister take some effective steps to remove these difficulties?

Shri T. N. Singh : All these persons who want to extend industries in villages are given all help and encouragement to do so but where no electricity is available naturally there is difficulty.

Shri Rameshwaranand : There are cases where electricity is available, loans have also been given and machinery has also been fitted but sanction is not given. I will inform the Hon. Minister about these cases in writing.

Shri Gulshan : In villages, difficulty is experienced in finding labour and electricity for new industries set up in villages but I would live to know the hitch in starting new industries in those village where both labour and electricity are available. I would also like to know the places and the States where these 45 new industries are going to be set up by Government?

Shri T. N. Singh : Experiment is being conducted at 45 places and we are getting acquainted with the various difficulties in this connection. Looking at these difficulties I have no hesitation in saying that though these experiments are very important yet there are very many difficulties in the way. It is not only a matter concerning electricity or skilled labour and though many good entrepreneurs who can handle the job want to undertake it but there is not enough raw material with the Government essential for these and that is why they cannot extend these industries. These industries are not able to function due to shortage of raw material. We have gained a lot of experience about such difficulties and I think that it might be possible to place a better programme before the country after discussing the matter with the Planning Commission.

Shri Gulshan : The Hon. Minister has not said anything about the places and the State where these 45 Centres would be set up.

Mr. Speaker : How can he give a list of these 45 Centres here, just now.

Shri Rameshwaranand : In areas near Yamuna, the paddy growers are not able to get machines for milling rice. They cannot take it to city also because it is tentamount to smuggling.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I want to know the total amount being spent by Government to encourage poultry farming, fish-breeding and bee-keeping and the amount being spent in this connection in the cities?

Shri T. N. Singh : This concerns another Ministry.

Shri K. N. Tiwary : The Hon. Minister has just now stated that many difficulties have been experienced in the experiment being conducted at 45 Centres. Therefore whether any such difficulty has also been experienced which might prevent the setting up of Industries in rural areas and whether experiments are being conducted to find out the way in which such industries could be set up there after removing these difficulties?

Shri T. N. Singh: This does not mean that their use has not been extended. But by experiencing these difficulties we are trying to find out whether a solution of these difficulties could be found out or not. So far no solution has been found but efforts are being made.

काजू निकालना

+
*821. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 27 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 871 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अफ्रीकी देशों से होने वाले सम्भाव्य मुकाबले का सामना करने के लिये मशीनों से काजू निकालने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं, अभी तक नहीं बनाई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री वारियर : क्या सरकार ने अफ्रीकी देशों से यह सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही की है कि वे किस प्रकार की मशीनों को उपयोग में लाते हैं ?

श्री मनुभाई शाह : हम ने टांगानीका में एक कारखाने को देखा भी है। यह पूर्णतया मशीनीकृत एकक है और हम इसका अध्ययन कर रहे हैं और हमारा बहुत शीघ्र ही हम एक काजू बोर्ड स्थापित करने का विचार है जो काजू निकालने के ऐसे ही एककों की स्थापना करेगा।

श्री वारियर : इस तथ्य को दृष्टि से कि हमारे यहां कच्चे काजुओं का अभाव है, क्या मैं जान सकता हूं कि इस कच्चे माल में आत्म निर्भर होने के लिये सरकार क्या विशेष पग उठा रही है ?

श्री मनुभाई शाह : यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस समय हम पूर्वी अफ्रीका, टांगानीका और इन्हीं अन्य क्षेत्रों से दो लाख मट्रिक टन से अधिक कच्चे काजू आयात करते हैं। इस लिये चौथी योजना में हम 3 लाख मैट्रिक टन से अधिक कच्चे काजुओं का उत्पादन करने के लिये विशेष परियोजना बना चुके हैं और मैं पहले ही कह चुका हूं कि काजू बोर्ड की स्थापना विचाराधीन है।

श्री वासुदेवन नायर : चौथी योजना में तीन लाख मैट्रिक टन के उत्पादन की योजना है तो क्या सरकार टांगानीका और केनिया के साथ लम्बी अवधि का कोई समझौता करने का प्रस्ताव कर रही है ताकि कम से कम आगामी पांच वर्षों के लिये कच्चे काजुओं का संभरण सुनिश्चित किया जा सके जब तक कि हम आत्मनिर्भर न हो जाएं ?

श्री मनुभाई शाह : इस दिशा में हमने कई प्रयत्न किये हैं परन्तु जिस देश में भी यह कच्चा काजू पैदा किया जाता है स्वाभाविक ही वह लम्बी अवधि के लिये अपने आप को बांधने की अपेक्षा अपने यहां स्वयं कारखाने लगाने को अधिक लाभदायक समझता है ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : इस तथ्य की दृष्टि से कि पश्चिम के लोग शराब के रुप बोतलों में बन्द काजुओं के दीवाने हैं तो इस संबंध में मंत्री महोदय का क्या करने का प्रस्ताव है ?

श्री मनुभाई शाह : हम ने काजू के फल पर आधारित एक शराब का कारखाना बनाने का भी विचार किया है जिसमें मिरी निकाल कर फल को फैंक दिया जाएगा । इस दिशा में भी कुछ प्रगति होगी ।

कलकत्ता में चाय बोर्ड का कार्यालय

*822-क. **श्री हरि विष्णु कामत** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में चाय बोर्ड का कार्यालय 1 सितम्बर 1965 से बन्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल से परामर्श करने के पश्चात 1 सितम्बर 1965 को चाय बोर्ड का कार्यालय बन्द कर दिया गया क्योंकि चाय बोर्ड के 478 कर्मचारियों में से कुछ लगातार अनुशासनहीनता वाला व्यवहार कर रहे थे और निन्दनीय रवैया अपनाये हुये थे । इस संबंध में 7 सितम्बर 1965 को पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्य मंत्री श्री प्र० चं० सेन द्वारा जारी किये गये वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है । इस वक्तव्य से सभा को पता चल जाएगा कि कुछ कर्मचारियों ने कितना अनुशासनहीनता वाला व्यवहार किया था ।

परन्तु सोमवार, 20 सितम्बर, 1965 से चाय बोर्ड का कार्यालय फिर खुल गया है और यह पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम आयुक्त के प्रयत्नों के फल स्वरूप हुये समझौते के परिणामस्वरूप संभव हुआ है। इस समझौते के अनुसार 10 व्यक्तियों को निलम्बित कर के उन पर दुराचरण तथा अनुशासन-हीनता का आरोप लगाया गया है । 478 में से 455 कर्मचारी 20 सितम्बर से नियमित रुप से काम पर आ रहे हैं और 13 व्यक्ति छुट्टी पर हैं । बोर्ड के कार्यालय सामान्य रुप से कार्य कर रहे हैं ।

वक्तव्य

"गत मास की 31 तारीख को अप्राह्न में कलकत्ता में चाय बोर्ड के कर्मचारियों ने बहुत बड़ी संख्या में बहुत दुर्व्यवहार किया तथा अनुशासनहीनता का परिचय दिया और इकट्ठे होकर बोर्ड के एक कमरे पर धावा बोल दिया जहां एक आवश्यक बैठक हो रही थी जिसमें बाहर के लोग भी उपस्थित थे और इस प्रकार उन्होंने सरकारी कार्य में बाधा डाली । उन्होंने बोर्ड के अध्यक्ष तथा अन्य वरिष्ट अधिकारियों को कमरे से बाहर जाने से रोका और ऊंची आवाज़ में गालियां दीं तथा नारे लगाये । इस परिस्थिति से बाध्य होकर भारत सरकार ने मेरी सलाह से आगामी आदेशों तक यह कार्यालय बन्द कर दिया है ।

चाय बोर्ड एक राष्ट्रीय महत्व का कार्यालय है और यह बहुत खेद का विषय है कि इन कर्मचारियों ने ऐसा दुराचरण और इतना बुरा व्यवहार किया जिस से भारत सरकार को यह कार्यालय बन्द करना पड़ा। देश अब पाकिस्तानी आक्रमण के खतरे का सामना करने में बड़ी गंभीर स्थिति से गुज़र रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि इन परिस्थितियों में कलकत्ता में चाय बोर्ड का कार्यालय बन्द रखना पड़ रहा है क्योंकि इसके कुछ कर्मचारियों ने अनुशासनहीनता वाला और निन्दनीय व्यवहार किया है। मैं चाय बोर्ड के अधिक बुद्धिमान कर्मचारियों से अनुरोध करूंगा कि वह इस दुराचरण की निन्दा करें और भविष्य में सद्व्यवहार की उचित गारंटी दें ताकि चाय बोर्ड के कार्यालय को पुनः खोलने के लिये उचित वातावरण बन सके।

श्री हरि विष्णु कामत : हम उत्तर ठीक से सुन नहीं पाये। कितने व्यक्तियों पर दोषारोप किया गया था ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : दस पर।

श्री हरि विष्णु कामत : किस अपराध के लिये ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : बहुत अधिक अनुशासनहीनता तथा दुर्व्यवहार के लिये।

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that while very few employees went on strike, the pay of all was stopped and that is why this office had to be closed down.

श्री सें० वें० रामस्वामी : यह तो आरम्भ था, परन्तु जब बोर्ड के कार्यालय में एक बैठक हो रही थी उस समय 300 व्यक्ति कार्यालय की ओर दौड़ पड़े और सभापति, उप सभापति, सचिव तथा सभी अधिकारियों को हिन्सात्मक व्यवहार करने की धमकी दी।

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that between the closing down and re-opening of this office, the Country lost lakhs of rupees and if so, how this loss is to be made good ?

Shri Manubhai Shah : There was no loss.

श्री हरि विष्णु कामत : सभा-पटल पर रखे गये विवरण में कहा गया है कि खेद है कि जब कि देश पाकिस्तानी आक्रमण का सामना कर रहा है, उसी समय इन कर्मचारियों ने इस प्रकार दुराचरण तथा दुर्व्यवहार किया जिस से भारत सरकार को बाध्य होकर ये कार्यालय बन्द करना पड़ा। क्या मैं जान सकता हूं कि यह कर्मचारी उसी कार्मिक संघ से संबंध रखते थे जिसका वर्तमान या भूतपूर्व मंत्री पश्चिम बंगाल कांग्रस समिति का मंत्री है और यदि हां तो क्या माननीय मंत्री निश्चयपूर्वक और पक्के तौर पर यह कह सकते हैं कि जिन कर्मचारियों पर दुराचरण, अनुशासनहीनता और दुर्व्यवहार के लिए दोषारोपण किया गया है उनके विरुद्ध मामलों को किसी दबाव में आकर दबा नहीं दिया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : दबाने का तो प्रश्न ही नहीं है क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री का संबंध उस पक्ष से है जो समझौते में भागीदार है।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरे प्रश्न के पहले भाग का, अर्थात्, क्या इन कर्मचारियों का संबंध उस कार्मिक संघ से है जिसका मंत्री पश्चिम बंगाल कांग्रेस समिति का मंत्री है उत्तर नहीं दिया गया।

श्री मनुभाई शाह : प्रश्न की पहली बात पैदा ही नहीं होगी कि कोई कार्मिक संघ किस दल से सम्बन्धित है। जो कोई भी ऐसा कदाचार करता है और ऐसा अनुशासन का कार्य करता है उसको दण्ड दिया ही जायेगा।

श्री हरि विष्णु कामत : परन्तु क्या यह सच है कि इस संघ के मंत्री बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस समिति के भी मंत्री थे।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना है ?

श्री मनुभाई शाह : जी नहीं ।

श्री स० मो० बनर्जी : उपमंत्री महोदय ने यह बताया है कि श्रमायुक्त ने इस विषय को सुलझा दिया है और कार्यालय 20 सितम्बर, 1965 से पुनः काम करने लगा है । मैं समझौते की शर्तें जानना चाहता हूं और क्या कर्मचारियों को यह भी आश्वासन दिया गया है कि उनको सताया नहीं जायेगा ।

श्री सें० वें० रामस्वामी : कर्मचारियों के पिछले आचरण पर खेद प्रकट करने पर और भविष्य में अच्छे आचरण की गारंटी देने पर कार्यालय 20 सितम्बर, 1965 को खोल दिया गया । कुल 478 कर्मचारियों में से 10 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है अथवा आरोप पत्र दिये गये हैं । 468 में से, 455 अपने काम पर आ गए हैं और 12 ने छुट्टी के लिये आवेदन पत्र दिये हैं और 1 अनुपस्थित है ।

अध्यक्ष महोदय : किसी को सताया तो नहीं जायेगा ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : सताने का अर्थ है आवश्यकता से अधिक कार्यवाही करना । जितनी कार्यवाही आवश्यक होगी उतनी ही की जायेगी ।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या सरकार को पता है कि इस बात के होते हुए भी कि चाय बोर्ड के कर्मचारियों की एक रजिस्टर्ड यूनियन है, पश्चिम बंगाल की ए०आई०टी०यू०सी० शाखा के कुछ लोगों ने उनको उकसाया और यदि हां तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मनुभाई शाह : यह बात पैदा नहीं होगी ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि कर्मचारियों की उत्तेजक कार्यवाहियों के बावजद भी चाय बोर्ड के अध्यक्ष का रवैया बहुत सहानुभूतिपूर्ण था और कुछ मामलों में उन्होंने वेतन भी बढ़ा दिया और कार्मिक संघ के नेताओं की सहायता से उन्होंने समस्या को सुलझाने का भरपूर प्रयत्न किया ?

श्री मनुभाई शाह : अध्यक्ष की प्रशंसा के लिये मैं प्रसन्न हूं ।

श्री प्रिय गुप्त : जितने समय के लिये संस्थापन बन्द रहा, श्रमायुक्त के निर्णय के अनुसार क्या वह तालाबंदी थी अथवा हड़ताल थी ?

श्री मनुभाई शाह : केन्द्रीय सरकार ने इसे तालाबन्दी घोषित किया था । निर्णय करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या कर्मचारियों ने कुछ शिकायतों, जिनके कारण यह घटना हुई, के बारे में पहले भी अभ्यावेदन दिया था ?

श्री मनुभाई शाह : ये शिकायतें तो किसी भी संस्थापन में स्वभाविक हैं, और मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूं कि ऐसी सभी तर्कसंगत शिकायतों की सदैव जांच की जायगी । यह एक घोर दुराचारण का मामला था और इसके लिये न तो केन्द्रीय सरकार और न ही चाय बोर्ड कुछ कर सकता है । अतः पश्चिम बंगाल सरकार ने हस्तक्षप किया और समझौता करवा दिया ।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि यह सारा झगड़ा कर्मचारियों की बोनस की मांग के कारण हुआ जिसे चाय बोर्ड के अधिकारियों ने रद्द कर दिया था, और यदि हां, तो इस बोनस के प्रश्न का अन्त में क्या हुआ ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : कर्मचारियों ने इस पूजा बोनस के लिये 200 रुपये प्रति व्यक्ति की मांग की जब कि नियमानुसार उन्हें केवल 75 रुपये मिलने चाहियें। लगभग 300 कर्मचारी उस कमरे में जिसमें बैठक हो रही थी बलपूर्वक घुस गये और यह मांग की कि 200 रुपये की मंजूरी के लिये तुरन्त निर्णय लिया जाये। वास्तव में अधिकारियों को उस कमरे में 8 बजे तक गलत तरीके से रोका गया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रश्न बोनस के विवाद के निर्णय के बारे में है। क्या बोनस के बारे में कोई समझौता हुआ है ?

श्री मनुभाई शाह : पूजा भत्ता संसद् द्वारा पारित नियम के अनुसार दिया जाता है। इस मामले में हम असहाय हैं। इस अनुशासहीन कार्य के पश्चात कुछ भी करना कठिन है। परन्तु भविष्य में यदि इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन आया तो निश्चय ही हम उसके सभी पहलुओं पर विचार करेंगे।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

म्योर मिल्स लिमिटेड, कानपुर

अ० सू० प्र० 12. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि म्योर मिल्स लिमिटेड, कानपुर में अभी तालाबंदी जारी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मिल-मालिकों ने सरकार से 40 लाख रुपये का पुनः स्थापन ऋण मांगा है;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या ऋण मंजूर कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो किन शर्तों पर; और

(च) क्या नियोजकों ने मिल्स को फिर से चालू करने का निश्चय कर लिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) से (च) : वित्तीय सहायता सम्बन्धी प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह मिल इस महीने में अथवा कम से कम अगले महीने तक चालू हो जायेगी जिससे 6,000 कर्मचारियों को काम पर वापिस लिया जा सके ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : हमें आशा है कि यह अगले महीने में चालू हो जायेगी।

श्री स० मो० बनर्जी : इस ऋण के दिये जाने के पश्चात् क्या सरकार कुछ डायरेक्टरों को नियुक्त करेगी अथवा यह पूर्णतया उनके हाथ में रहेगी।

श्री सें० वें० रामस्वामी : दो केन्द्रीय सरकार की ओर से और 1 राज्य सरकार की ओर से।

श्री दाजी : इस मिल के पुनः चालू होने से पूर्व क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि उन 6,000 कर्मचारियों को, जिनको अभी तक मजूरी नहीं मिली, उनकी मजूरी दी जाये और भूखों न मरने दिया जाये।

श्री मनुभाई शाह : अभी तो मिल पर आर्थिक संकट है। अभी मैं कोई वचन नहीं दे सकता। परन्तु हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जैसे ही यह चालू हो, सभी बकाया चीजें तय हो जायें।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : What was the reason for the closure of this Mill ? Was it closed because of mismanagement or due to some other reasons ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : यह गड़बड़ी तब आरम्भ हुई जब 115 वाइन्डर्स ने पहले अपने काम में ढील की और फिर हड़ताल कर दी। तब यह अनुशासनहीनता अन्य सहायक विभागों में भी फैल गई। इसके पश्चात् तालाबंदी करनी पड़ी।

श्री वारियर : क्या सरकार उस ऋण में से, जो वह मिल को देगी, कुछ पेशगी दे सकती है जिससे कर्मचारियों की बकाया मजूरी दी जा सके ?

श्री मनुभाई शाह : इन सब बातों को ध्यान में रखा जायेगा, परन्तु घाटा इतना अधिक है कि इस समय कोई वचन नहीं दिया जा सकता।

Shri Sarjoo Pandey : Is this money being given to this mill for modernisation or for some other purpose ?

Shri Manubhai Shah : It is being given as working capital.

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : केन्द्रीय सरकार की कौन सी एजेंसीं यह ऋण दे रही है?

श्री सें० वें० रामस्वामी : यह आई० एफ० सी० जैसी किसी वित्तीय संस्था द्वारा हो सकता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारत-यूगोस्लाविया उद्यम

*820. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने युगोस्लाविया सरकार से प्रस्ताव किया है कि वे दोनों मिलकर एशिया और अफ्रीका के देशों में औद्योगिक तथा अन्य परियोजनाएं स्थापित करें;

(ख) यदि हां, तो ईस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उस पर यूगोस्लाविया सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : अन्य देशों में भारत-युगोस्लाव सहयोग से संयुक्त औद्योगिक प्रायोजनाओं की स्थापना करने का विचार, युगोस्लाविया में हाल ही में हुई वार्ता में उठा था। यह प्रस्ताव अब भी निर्माणावस्था में है और अभी इसका विवरण तैयार नहीं हुआ है।

हिसार (पंजाब) में कच्चे लोहे का संयंत्र

*822. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब में हिसार में कच्चे लोहे का एक संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत और प्रस्तावित उत्पादन क्षमता क्या है;

(ग) इस वर्ष देश के अन्य भागों में स्थापित किये जाने के लिये अब तक कच्चे लोहे के कितने संयंत्र मंजूर किये गये है; और

(घ) परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : पंजाब सरकार को हिस्सार में 100,000 टन वार्षिक क्षमता का कच्चे लोहे का एक कारखाना स्थापित करने के लिए सितम्बर, 1963 में एक "इन्टेन्ट पत्र" दिया गया था। प्रायोजना की कुल लागत का अनुमान 4 करोड़ रुपए के लगभग है।

(ग) इस साल में अभी तक सरकार ने कोई कच्चे लोहे का कारखाना लगाने की अनुमति नहीं दी है।

(घ) उपर्युक्त, (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मुगलहाट (पूर्वी पाकिस्तान) पर रेलगाड़ी का रोका जाना

*823. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 सितम्बर, 1965 को मुगलहाट (पूर्वी पाकिस्तान) जाने वाली एक भारतीय यात्री गाड़ी को पाकिस्तानी लोगों की भीड़ ने वहीं रोक लिया ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ख) : 205 अप गितालदह-मुगलहाट मिली-जुली गाड़ी भारतीय रेल के इन्जन डिब्बों, कर्मीदल और गार्ड के साथ 6-9-1966 को दिन के एक बजे गितालदह से मुगलहाट (पूर्वी पाकिस्तान) के लिए रवाना हुई थी। इस गाड़ी को उसी दिन उसी कर्मीदल, गार्ड और इंजन-डिब्बों के साथ 206 डाउन मिली-जुली गाड़ी के रूप में मुगलहाट से गितालदह लौटना था। अभी तक यह गाड़ी भारत वापस नहीं आयी है।

पाकिस्तान में रोके गये भारतीय कर्मचारियों को वापस लौटाने के लिए राजनयिक स्तर पर बात-चीत शुरू की गयी है। अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास सोसायटी से भी इस सम्बन्ध में सहायता देने का अनुरोध किया गया है।

राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रयोगशालायें

*823. क. **श्री श० ना० चतुर्वेदी :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं द्वारा बनाये गये उत्पादों और तरीकों को पूर्ण रूप से प्रयोग में नहीं लाया जाता;

(ख) क्या सरकार की लाइसेंस देने की नीति कुछ सीमा तक इसके लिए उत्तरदायी है और अनेक मामलों में लाइसेंस प्राप्त फर्म या तो स्वदेशी उत्पादों का निर्माण करने में बिल्कुल असफल रही है या उनके द्वारा बनाये गये उत्पाद बहुत घटिया किस्म के हैं।

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकारी उपक्रम भी हमारे निर्माताओं द्वारा बनाई गई वस्तुओं की अपेक्षा विदेशी निर्माताओं द्वारा बनाई गई वस्तुओं को ही तरजीह दे रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है।

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र): (क) से (घ) : एक विवरण सदन की मेज़ पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०4987/65।**]

बिजली से चलने वाले रेलवे इंजनों का आयात

***824. श्री मधु लिमये** : क्या **रेलवे** मंत्री 10 सितम्बर 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 541 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने विश्व के प्रमुख औद्योगिक देशों में बने बिजली तथा डीजल से चलने वाले रेलवे इंजनों के मूल्य का तुलनात्मक अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या तीसरी और चौथी योजना काल में इन रेलवे इंजनों के आयात सम्बन्धी नीति मूल्य आधारित है या होगी अथवा दीर्घकालीन उधार मिलने या सहायता मिलने जैसी अन्य बातों पर आधारित होगी; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : तीसरी योजना में जो बिजली रेल इंजन और छोटी लाइन के डीज़ल रेल इंजन बाहर से मंगाये गये उनकी कीमत अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धात्मक दर (International Competitive bids) के आधार पर अदा की गयी। संयुक्त राज्य अमरीका के अन्दर स्पर्धात्मक दरों के आधार पर उस देश द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता के अन्तर्गत संयुक्त राज्य से जो अन्य डीज़ल रेल इंजन मिले हैं, उनकी कीमत सामान्यतः दूसरे देशों के इसी तरह के रेल-इंजनों की कीमत के अनुरूप ही है।

इस तरह तीसरी योजना में रेल इंजनों के आयात का आधार यह रहा है कि इंजनों की तकनीकी उपयुक्तता क्या है, निर्माता की शक्यता कितनी है, रेल इंजनों की सुपुर्दगी कब होगी और उनकी कीमत क्या है। लेकिन, कुछ मामलों में रेल इंजनों की कीमत को ध्यान में रखते हुए इस बात का भी पूरा ख्याल रखा गया कि रेल इंजनों को बाहर से मंगाने के लिये सरकार को विदेशी मुद्रा किस स्रोत से उपलब्ध होगी।

जहां तक चौथी योजना का सवाल है, अभी यह आशा की जा रही है कि उस अवधि में बड़ी लाइन के जितने बिजली और डीज़ल रेल इंजनों की आवश्यकता होगी, वह अपने देश के चितरंजन और वाराणसी के कारखाने में बनने वाले इंजनों से पूरी कर ली जायेंगी। मीटर और / या छोटी लाइन के रेल इंजनों के आयात के लिए अभी कोई योजना नहीं बनायी गयी है।

Detention of Train at Biral (East Pakistan Border)

***825. Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the 102 Down passenger train bound for East Pakistan from Barsoi station via Kathihar Division was detained by the Pakistani at Biral station on the East Pakistan border on the 6th September, 1965 ;

(b) whether it is also a fact that the Guard, Driver and Firemen of the train have been arrested by the Pakistanis ; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c). 105 Up Barsoi-Biral Mixed train with Indian Railways' Rolling Stock, Crew and Guard which left Radhikapur—last border station on the Indian side—at 12-35 hours on 6-9-65 for Biral (East Pakistan) and was scheduled to work back as 102 Dn. Passenger from Biral to Barsoi the same day with the same set of loco crew, guard and stock has not yet returned to India.

Negotiations have been initiated at the diplomatic level for repatriation of Indian staff detained in Pakistan. The International Red Cross Society have also been approached for assistance.

सूरत में जरी एकक तथा नकली रेशम के कारखानें

*826. **श्री श्यामलाल सर्राफ :**

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तांबा पर्याप्त मात्रा में न मिलने तथा नकली रेशम का धागा उपलब्ध न होने के कारण सूरत (गुजरात राज्य) में 1000 से अधिक जरी एकक तथा 50 नकली रेशम के कारखाने बन्द हो गये हैं और अधिक के बन्द होने की सम्भावना है,

(ख) क्या इस स्थिति के कारण हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं तथा इन दोनों उद्योगों में बने माल के निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो सूरत के इन दो उद्योगों में फिर से सामान्य स्थिति कायम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :(क) और (ख) : कई कारणों से नकली रेशम के कुछ कारखाने बन्द हो जाने के बारे में समाचार मिले हैं जिसके फलस्वरुप कुछ कर्मचारी बकार हो गये हैं। परन्तु इसका हमारे जरी उद्योग के निर्यात पर प्रभाव नहीं पड़ा है। जिसका सम्बन्ध सामाजिक सुरक्षा विभाग से है। इसकी जानकारी उसी विभाग से मांगी जा सकती है।

(ग) नकली रेशम सम्बन्धी निर्यात संवर्द्धन की योजना 1-9-65 से संशोधित कर दी गई है, जिसके फलस्वरूप धागा संभरण की स्थिति सुधर जाने की आशा है । जरी के माल की निर्यात संवर्द्धन योजना के अधीन तांब के आयात की भी अनुमति दी जाती है।

निर्यात घर

*827. **श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने के उद्योगों सम्बधी सरकारी कार्यकारी दल ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक राज्य में सहकारिता के आधार पर निर्यात घर और प्रेषण सेवाओं के पैकिंग यूनिट स्थापित किये जाये;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) कार्यकारी दल ने कौन से अन्य सुझाव दिये हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) इस मामले पर सरकार विचार कर रही है।

(ग) कार्यकारी दल की रिपोर्ट में लघु उद्योग के विकास के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया गया है तथा कार्यकारी दल ने अनेक सिफारिशें की हैं। इस दल की रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है और प्रकाशित प्रतिओं के उपलब्ध होते ही उन्हें संसद के पुस्तकालय में रख दिया जायेगा।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने मे विदेशी कर्मचारी

*828. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने में कुल कितने विदेशी कर्मचारी हैं ;

(ख) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाना स्थपित करने के करार में सर्वोच्च तकनीकी कर्मचारियों के रखे जाने के सम्बन्ध में कोई उपबन्ध हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इस कारखाने में कब तक और कितने विदेशी कर्मचारी रखने का विचार है ; और

(घ) उनके वेतन, भत्तों और आवश्यक सुख सुविधाओं पर प्रति वर्ष कितना व्यय होता है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) 31।

(ख) जी, नहीं।

(ग) विदेशी कर्मचारियों की संख्या को उत्तरोत्तर कम करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं परन्तु अभी निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि कितने विदेशी कर्मचारी कितने समय के लिए रखे जाएंगे। इस समय 31 कर्मचारियों की तुलना में 1961, 1962, 1963 और 1964 में इनकी संख्या क्रमश: 81, 71, 57 और 43 थी।

(घ) 1963–64 में 3.35 मिलियन रुपए खर्च हुए और 1964-65 में 2.58 मिलियन रुपए खर्च हुए। 1965–66 में 1.9 मिलियन रुपए खर्च होने का अनुमान है लेकिन खर्च कम होने की संभावना है क्योंकि वास्तव में अब जितने विदेशी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी संख्या उनसे कम हैं जितनों के लिए पहले अनुमान लगाया गया था।

दिल्ली में दुग्धचूर्ण की कमी

*829. **श्री बागड़ी** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बच्चों के लिये दुग्ध चूर्ण की भारी कमी है;

(ख) क्या यह चोर बाजार में बेचा जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप-मंत्री श्री (विबुधन्द्र मिश्र) : (क) दिल्ली में भी बाकी देश के समान ही दुग्ध चूर्ण उसकी बढती हुई मांग को पूरा करने के लिए समुचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है।

(ख) तथा (ग) : उत्पादक द्वारा निर्धारित दुग्ध चूर्ण के उचित मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री करने की शिकायत पर उचित कार्यवाही की जाती है। इसके अलावा दुग्ध चूर्ण के उत्पादन के लिए 5,000 मी० टन की अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस दिए गए हैं तथा अनुमान है कि 1965 में इसका उत्पादन चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में 1000 मी० टन अधिक होगा।

विशेष इस्पात बनाने वाला कारखाना

*830. **श्री वारियर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में विशेष इस्पात के निर्माण के लिये एक कारखाना स्थापित करने के टाटा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) उस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ;

(घ) क्या प्रस्तावित कारखाने की स्थापना में टाटा के साथ सहयोग करने के लिये किसी विदेशी फर्म से प्रार्थना की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो सहयोग करने वाली फर्म का नाम तथा सहयोग की शर्तें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को प्रति वर्ष 50,000 टन मिश्रित और विशेष इस्पात के उत्पादनार्थ बिहार में एक नया औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए 25-8-65 को एक "इन्टेंट-पत्र" दिया गया है ।

(ग) 21 करोड़ रुपए ।

(घ) और (ङ) : सरकार ने किसी फर्म को इस प्रायोजना में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० को सहयोग देने के लिए नहीं कहा है। अभी तक इस बारे में सरकार को पार्टी से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

Train-Motor Truck Collision near Raipur Station (S.E. Rly.)

***831. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Gokaran Prasad :
Shri Bagri :
Shri Maurya :
Shri Alvares :
Shri Lahari Singh :
Shri Lakhmu Bhawani :
Shri Kashi Ram Gupta :
Shri Warior :
Shri Buta Singh :
Shri Gulshan :
Shri Bade :
Shri Hari Vishnu Kamath :
Shri Priya Gupta :
Shri S. M. Banerjee :
Shri P. L. Barupal :
Shri P. H. Bheel :
Shri D. C. Sharma :
Shri Sarjoo Pandey :
Shri Balmiki :
Shri Yajnik :
Shri Ram Harkh Yadav :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a truck was smashed in a goods train-motor truck collision which occurred near Raipur station on the Raipur-Nagpur Section of the South-Eastern Railway on the 6th September 1965 ;

(b) whether any enquiry has been ordered into the accident ;

(c) if so, the outcome thereof ; and

(d) the steps taken or proposed to be taken to prevent such accidents taking place in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) & (b). Yes, Sir.

(c) According to the report of the Committee the accident was due to the driver of the motor truck attempting to cross the railway track in face of the approaching train.

(d) Action to prevent accidents caused by rashness of road vehicle drivers rests primarily with the State Governments. However, a publicity campaign to educate the road users has also been launched by the Railways.

निर्यात संवर्द्धन योजनायें

*832. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में निर्यात संवर्द्धन योजनाओं सम्बन्धी सामान्य नियमों को कड़ा किया है ताकि आयात तथा निर्यात के मामलों में क्रमशः बीजक को अधिक करके दिखाने तथा कम करके दिखाने की कुप्रथा को रोका जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इन नियमों में क्या परिवर्तन किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख) : सदन की मेज़ पर एक विवरण रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4981/65।**]

अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड

*833. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड, नई दिल्ली को निर्यात संवर्द्धन सम्बन्धी गतिविधियों में अनियमितताओं की अनेक शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड, नई दिल्ली ने अनेक फर्मों का, जिनकी निर्यात से कोई आय नहीं है, पंजीयन रद्द नहीं किया है अथवा पंजीयन रद्द करने में असाधारण देरी की है ताकि वे आयात करने के लाइसेंस प्राप्त कर सकें और लाइसेंस प्राप्त वस्तुओं का आयात कर सकें;

(ग) क्या पिछले वर्ष किसी फर्म का पंजीयन रद्द करने के लिये कार्यवाही की गई है और क्या उन फर्मों के नाम विभिन्न प्राधिकारियों को बता दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं तथा उनका पंजीयन रद्द करने में देर होने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) आवश्यक जांच कर लेने और सम्बध्द फर्मों को अपनी स्थिति स्पष्ट कर देने का अवसर देने के पश्चात् बड़ी सावधानी के साथ पंजीकरण को रद्द किया जाता है। पंजीकरण को रद्द करने अथवा दण्ड देने की कार्यवाही किये जाने में विलम्ब होने का कोई मामला नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) : अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड ने 1964 में चार फर्मों के और 1965 में अब तक 186 फर्मों के पंजीकरण रद्द किये हैं और बोर्ड ने विभिन्न सम्बद्ध अधिकारियों को इन के नामों की सूचना दे दी है। पंजीकरण को रद्द करने के अनेक कारण थे, जैसे कि फर्मों के विषय में बुरी किस्म का माल भेजने, गलत घोषणा करने, निर्यात सम्बन्धी कानूनी शर्तों और दायित्वों को न निभा सकने अथवा निर्यात उपार्जनों को देर से प्राप्त करने अथवा न करने की शिकायतें थी

अथवा ऐसे कई अन्य कारण थे जो उन्हें अयोग्य सिद्ध करने और पंजीकरण रद्द करने के लिए काफी थे। आयात और निर्यात के मुख्य नियन्त्रक ने भी इन फर्मों को काली सूची में शामिल कर दिया है। चूंकि दण्ड देने को अन्तिम कार्यवाही सावधान हो जाने की सूचना देने या जवाब तलब करने, काली सूची में नाम शामिल करने के लिये सुनवाई करने और आदेश जारी करने इत्यादि के बाद ही की जाती है, और इस समय यह चल रहा है, इस लिये किसी फर्म का नाम बताना सम्भव नहीं है। इन फर्मों को विचाराधीन सूची में रखा जा चुका है और इन्हें कोई सहायता अथवा आयात करने की अनुमति नहीं दी जाती।

यहां यह बताना उचित प्रतीत होता है कि हजारों अच्छे निर्यातकों (देश के विभिन्न उत्पादों के निर्यात में योग देने वाले निर्यातकों की संख्या लगभग 3–4 लाख है) की अपेक्षा उन फर्मों की संख्या बहुत थोड़ी है जिन का पंजीकरण रद्द किया गया है अथवा जिन्हें काली सूची में शामिल किया गया है। अवहेलना करने वाली समस्त फर्मों के विरुद्ध तत्काल ही बड़ी कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है।

Enquiry-cum-Reservation Clerks on Northern Railway

*834. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Gokaran Prasad:
Shri Bagri:
Shri Maurya:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri Alvares:
Shri Lahri Singh:
Shri Lakhmu Bhawani:
Shri Kashi Ram Gupta:
Shri Warior:
Shri Buta Singh:
Shri Gulshan:
Shri Bade:
Shri Hari Vishnu Kamath:
Shri Priya Gupta:
Shri S. M. Banerjee:
Shri P. L. Barupal:
Shri P. H. Bheel:
Shri D. C. Sharma:
Shri Sarjoo Pandey:
Shri Balmiki:
Shri Yajnik:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an examination for the upgradation in the category of Enquiry-cum-Reservation Clerks on the Northern Railway was held recently;

(b) whether it is a fact that instead of senior employees, the junior employees have been promoted as a result of the said examination;

(c) whether it is also a fact that the persons who have not been given promotion in spite of their being senior employees even include those who have been granted certificates for their meritorious services;

(d) if so, the reasons therefor; and

(e) the action which Government have taken or propose to take in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. In some cases junior employees have been empanelled for promotion. Seniors not empanelled failed to qualify in the selection.

(c) No, Sir.

(d) & (e). Do not arise.

धान की ढुलाई

2739. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में बहुत से खण्डों में मालडिब्बों की कमी होने के कारण धान की ढुलाई बन्द करनी पड़ी अथवा कम करनी पड़ी;

(ख) यदि हां, तो किन खण्डों में इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा ;

(ग) ताडिपल्लीगुडम से केरल तक चावल की ढुलाई की क्या स्थिति है; और

(घ) क्या वहां पर धान ढोने के लिये पर्याप्त मात्रा में माल डिब्बे उपलब्ध हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) जनवरी, 1965 से 20 सितम्बर, 1965 तक की अवधि में ताडेपल्लिगुडम से केरल राज्य को बड़ी लाइन के कुल 1,856 मालडिब्बों में चावल भेजा गया और केवल 12 मालडिब्बों की मांगें बकाये में थीं जो 10 सितम्बर, 1965 को या उसके बाद रेलों पर दर्ज करायी गयी थीं।

(घ) जी, हां ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे पर यात्री तथा पार्सल यातायात

2740. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या रेलवे मंत्री निम्नलिखित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के माचदा तथा पंचकुरा रेलवे स्टेशनों पर 1947 से 1964 तक वर्षवार (इन स्थानों पर आने वाले और यहां से बाहर जाने वाले) यात्रियों तथा पार्सलों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ख) इन कर्मचारियों की (श्रेणीवार) संख्या क्या है जो 1947 में इस यातायात को संभालने का काम कर रहे थे और उनकी संख्या कितनी है जो 1964 में इस काम को संभाल रहे हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख): सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी, लेकिन इतनी पुरानी तारीख, जैसे कि 1947, के आंकड़े शायद ही उपलब्ध हो सकें ।

Allotment of Tin and Cement to Maharashtra

2741. **Shri D. S. Patil :**
Shri Shivaji Rao S. Deshmukh :

Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Maharashtra have requested the Central Government to increase the present quota of tin and cement ; and

(b) if so, the action taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry & Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) & (b). In so far as cement is concerned, a request was received from the Maharashtra Government for an increased quota. In view, however, of the present shortage, it has not been possible to meet the request of the State Government. As I explained in reply to question No. 1475 on the 3rd September, 1965, all efforts are being made to augment supply of cement by greater utilisation of existing capacity and also by expeditious setting up of new units.

As regards tin, no request has, so far, been received from the State Government.

Lady Travelling Ticket Examiners on S. E. Railway

2742. **Shri Kishan Pattnayak :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Lady Travelling Ticket Examiners (Division-wise) on the South Eastern Railway ;

(b) whether complaints have been received for not providing separate Rest Houses for them ; and

(c) whether complaints have also been received for not providing uniforms periodically to these female employees on Khurda Division ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Nil.

(b) & (c) Do not arise.

Hindi Teachers in H. S. M. P. High School, Asansol

2743. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the complaint of Railway employees that as a result of shortage of Hindi teachers in H. S. M. P. High School, Asansol, on the Eastern Railway, Hindi speaking students have been facing difficulty such as coaching of students of two to three classes together ;

(b) whether such complaints have been received also from the guardians of students of other Railway Schools also ; and

(c) if so, the action being taken by the Railway Administration in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) A joint representation dated 15th June, 1962 was received by the Railway from the Guardians of the Hindi speaking students of Higher Secondary Multipurpose School, Asansol, for provision of two more additional teachers in scale Rs. 170—380 (AS) further to the existing two teachers one in scale Rs. 250—470 (AS) and the other in scale Rs. 170—380 (AS). Additional posts were not considered justified by the Railway in view of the small number of students offering Hindi.

(b) No.

(c) Does not arise.

अलौह धातुओं का आवंटन

3744. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योगों को अलौह धातुओं का आवंटन करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में राज्यों के उद्योग निदेशालयों ने स्वयं अपनी प्रक्रियायें निर्धारित कर रखी है और क्या राज्यों ने इस कार्य के लिये सलाहकार समितियां नियुक्त की हैं; और

(ग) वितरण में एकरूपता लाने के लिये अलौह धातु नियंत्रक द्वारा इन धातुओं के वितरण और उपयोग पर क्या नियंत्रण रखा जाता है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) लघु क्षेत्र के लिये अलौह धातुओं जैसे तांबे, जस्ते, सीसे, टीन, अल्युमिनियम और निकल का इकट्ठा आवंटन इस्पात और खान मंत्रालय (खान और धातु विभाग) द्वारा विकास आयुक्त, लघु उद्योग, नई दिल्ली को प्रत्येक छमाही किया जाता है। प्रत्येक राज्य की मांग का निश्चित रूप से पता लगाने के पश्चात् तथा प्रत्येक धातु का पहले किया गया आवंटन और उसकी प्राप्यता के आधार पर विकास आयुक्त इन धातुओं का आवंटन उद्योगों के राज्य निदेशकों को करता है। उद्योगों के राज्य निदेशक अपने-अपने राज्यों के लघु एककों में उनका और आगे वितरण करते है।

(ख) प्रत्येक राज्य सरकार की अपने राज्य-क्षेत्र के एककों में अलौह धातुओं का वितरण करने की अपनी अलग प्रक्रिया होती है। भारत सरकार को इन प्रक्रियाओं का ब्यौरा पता नहीं है। जहां तक भारत सरकार को पता है राज्यों में अलौह धातुओं के वितरण के लिये कोई भी सलाहकार समितियां नहीं है ।

(ग) अभी हाल ही तक यानी दुर्लभ औद्योगिक वस्तु (नियंत्रण) आदेश 1965 के जारी होने तक अलौह धातु नियंत्रक का केवल आयातित तांबे (बिना गढ़ा) के नियतन पर नियंत्रण था। लघु उद्योग के एककों को ऐसे तांबे के परमिट देते समय अलौह धातु नियंत्रक केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कामों के लिए तांबे के प्रयोग के बारे में निर्धारित नीति को ध्यान में रखते हुए राज्यों के उद्योग निदेशकों की सिफारिशों के अनुसार काम करते थे। मिसाल के तौर पर बर्तन निर्माताओं को तांबे के नियतन के सम्बन्ध में यह तय किया गया था कि यह उन्हीं निर्माताओं तक सीमित रखा जाय जिन्हें अप्रैल-सितम्बर, 1962 की अवधि में अथवा उससे पहले नियतन कर दिया गया था और इनके नियतन में भी अप्रैल-सितम्बर, 1962 के नियतन में से 30 प्रतिशत की कटौती कर दी गई थी। यह देखने के लिए कि आया कि नियतन का पूरा उपयोग हुआ या नहीं राज्यों के निदेशक संबंधित एककों से नियमित रूप से उपयोग ब्यौरा लेते है तथा उनके मातहत अधिकारियों द्वारा उनकी जांच तथा पुष्टि की जाती है।

दुर्लभ औद्योगिक वस्तु (नियंत्रण) आदेश 1965 के जारी होने से आदेश के अन्तर्गत "नियंत्रक" तांबे, सीसे, टिन, तथा जस्ते (आयातित तथा स्वदेशी दोनों को जो आदेश में अनुसूचित है नियंत्रित करेगा। "नियंत्रक" द्वारा अपनाए जाने वाले सारे तरीकों पर अभी सरकार विचार कर रही है।

तांबे का आवंटन

2745. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे बाट न होने के कारण सामान्य तोल से बच जाने वाले तांबे का नियतन करने के लिये कोई प्रक्रिया बनाई गई है, और

(ख) क्या उस तांबे को लेने के लिये अलौह धातुओं के नियंत्रक से परमिट लेना आवश्यक होता है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में संभरण तथा तकनीकी विकास मंत्री (श्री रघु रामय्या) : (क) जी हां। सामान्य तोल से बच जाने वाले तांबे का, नियतन करने के लिये, अलौह धातुओं के नियंत्रक को रिपोर्ट करना आवश्यक है।

(ख) जी हां। ऐसे अवशिष्ट तांबे के स्टाक की बिक्री अभिग्रहण के लिए अलौह धातुओं के नियंत्रक से परमिट लेना आवश्यक है।

रेलवे कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना

2746. **श्री सिद्द्या :** क्या **रेलवे** मंत्री 26 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1617 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल, 1957 को अथवा उससे पहले सेवानिवृत्त हुए रेलवे कर्मचारियों को पेंशन देने के प्रश्न पर पुन: विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

चामराजनगर-सत्यमंगला रेलवे लाइन

2747. **श्री सिद्द्या :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसूर सरकार ने सिफारिश की है कि दक्षिण रेलवे पर चामराजनगर-सत्यमंगला रेलवे लाइन बनाने का काम चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख) शुरू में इस लाइन के लिए मुख्य औचित्य उत्तरी और दक्षिणी मीटर लाइन प्रणाली के बीच एक रेल सम्पर्क के रूप में था। बाद में जांच से यह पता चला कि यह प्रयोजन सेलम-बंगलूर मीटर लाइन रेल सम्पर्क से भलीभांति पूरा हो जायेगा और इसके निर्माण का काम भी शुरू हो चुका है। इसलिए चामराजनगर-सत्यमंगलम रेल-सम्पर्क के लिये पहले जो औचित्य बताया गया था अब वह नहीं रह गया है। चौथी योजना में नयी लाइनों के लिये बहुत कम धन और साधन उपलब्ध होने के कारण इस प्रस्ताव को उसमें शामिल करना सम्भव न हो सकेगा।

पश्चिम बंगाल के बाकुंरा और मिदनापुर जिलों में खनिज निक्षेप

2748. **श्री स० चं० सामन्त :** **डा० पू० ना० खां :**
श्रीमती सावित्री निगम : **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खान विभाग ने पश्चिम बंगाल के बांकुरा तथा मिदनापुर जिलों में खनिज निक्षेपों के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में से कोई खनिज निकाला जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो कौन कौन अभिकरण खनिज निकाल रहे हैं; और

(ङ) खनिजों को निकालने के लिये लिये क्या शर्तें रखी गई हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : पश्चिमी बंगाल के बांकुरा और मिदनापुर जिलों की सीमा के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में भारतीय खान ब्यूरो स्फुटिक तन्तुओं (क्वार्टज़ वेज़) से टंगस्टन प्राप्त करने के अन्वेषण कर रहा है। ये अन्वेषण प्रारम्भिक अवस्था में हैं।

(ग) हां।

(घ) 69 गैर सरकारी एजेन्सियां हैं तथा एक भारत सरकार की अभिधा अर्थात् (हिन्दुस्तान स्टील लि०) है जो उपर्युक्त जिलों में विभिन्न खनिज निकालने के काम में व्यस्त है।

(ङ) अन्वेषण करने वाली एजेन्सियां बड़े खनिजों के विषय में खनिज रियायती नियम 1960 की शर्तों के अनुसार तथा छोटे खनिजों के विषय में पश्चिमी बंगाल लघु खनिज नियम 1959 की शर्तों के अनुसार पट्टा विज्ञप्ति धारी हैं।

इनके अतिरिक्त, ऐसे पट्टे भी हैं जो कि भूतपूर्व अन्तःस्थों द्वारा दिये गये थे इनके स्वत्व पश्चिमी बंगाल सम्पत्ति अवाप्ति अधिनियम 1953 (वेस्ट बंगाल इस्टेट्स एक्वयूजीशन एक्ट 1953) के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गये हैं। ऐसे पट्टों के निबन्धन एवं शर्तें वही हैं जो पट्टों में दर्ज किये गये हैं। पट्टेदार अब राज्य सरकार को रायल्टी अदा करते हैं।

Agricultural Industries in Eastern U. P. and North Bihar

2749. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme to set up agricultural industries in Eastern U. P. and North Bihar ; and

(b) if so, the main features of the Scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry & Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) & (b). In so far as the Department of Industry is concerned, a proposal to set up a bagasse based pulp unit in the U. P. and North Bihar region is under consideration.

Stone, Lime and Kankar found in Champaran District (Bihar)

2750. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Steel** and **Mines** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that stone, lime and Kankar are found in abundance in the Champaran District of Bihar :

(b) if so, whether Government have formulated any scheme for their proper utilisation on a commercial scale ; and

(c) if so, the nature thereof ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy) : (a) to (c). Kankar and nodular limestone are found in workable quantities in the district, particularly near Lauriya Araraj and along the banks of the Harha river in Bagha thana. Patches of calc-tufa and calcareous sandstones are found associated with the Siwalik rocks in the Gaunaha Development Block. However these are not found in sufficient quantities to support large scale industrial ventures. The question of formulating a scheme for commercial utilization does not arise.

Doubling of Railway Tracks

2751. Shri M. L. Dwivedi : Shri S. C. Samanta : Shrimati Savitri Nigam : Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of the main railway sections where the work of doubling the railway tracks has been undertaken, the extent to which it has been completed and the extent to which it is incomeplte together with the names of those Sections where it has not been completed ;

(b) the total amount of expenditure incurred so far on the work of doubling the tracks ; and

(c) the targets fixed for the Fourth Five Year Plan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shamnath) : (a) Broad Gauge and Metre Gauge route kilometerage on the Indian Railways at the end of the First Plan were 20929 and 24566 K. Ms. respectively, of which 4758 and 122 K. Ms were double lines. Details of the sections where further doublings was done during the Second and Third Plans are as in the statement laid on the Table of the House. **(Placed in the Library. See No. L.T. 4982/65.)**

(b) The total expenditure already incurred/expected to be incurred on the doublings undertaken during the Second and Third Five Year Plans would be Rs. 115 and Rs. 245 crores respectively.

(c) Details of sections to be doubled during the Fourth Plan have not been finalised so far. Tentative target for doubling in the Fourth Plan is about 2740 K. Ms. Advance action is, however, being taken to double the following sections :

(i) Poona-Dhond—(76 K. Ms.)

(ii) Bilochpura-Mathura—(49 K. Ms.)

(iii) Gudur-Gummidipundi—(90 K. Ms.)

पूर्वोत्तर रेलवे में काम करने वाले द्वितीय श्रेणी के क्लर्कों की वरिष्ठता

2752. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने पूर्वोत्तर रेलवे में काम करने वाले द्वितीय श्रेणी के क्लर्कों की वरिष्ठता अन्तिम रूप से निर्धारित कर दी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों को रोस्टर के आधार पर वरिष्ठता नहीं दी गई; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के लिये लोहा तथा इस्पात

2753. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री 9 अप्रल, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2130 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के लिये लोहे और इस्पात का अभ्यंश नियत करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) 1965-66 के लिए उत्तर प्रदेश को लोहे और इस्पात के आवंटन की मात्रा निम्नलिखित है :—

प्रथम कोटि का इस्पात (नियंत्रित किस्मका)	19,290 टन
त्रुटिपूर्ण इस्पात (गैर काश्तकारी कोटा)	354 गाड़ियां
त्रुटिपूर्ण इस्पात (काश्तकारी कोटा)	78 गाड़ियां
कच्चा लोहा (अनियंत्रण से पूर्व)	*62,804 टन
एम० एस० बिलेट	43,200 टन

*इसमें 8,250 टन आयात किया हुआ कच्चा लोहा और 16,640 टन पिण्डक ढांचे भी सम्मिलित है।

व्यादेशक लोहे और इस्पात की अनियंत्रित किस्मों के लिए बिना किसी रोक के आर्डर दे सकते हैं।

उत्तर प्रदेश का भूतत्वीय सर्वेक्षण

2754. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने समस्त उत्तर प्रदेश का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन खनिज संसाधनों का पता लगा है ;

(ग) वे किन स्थानों पर पाये गये हैं ; और

(घ) उन को निकालने के लिये बनाई गई योजना का स्वरूप क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) हां, महोदय।

(ख) और (ग) : भारतीय भौमिकी विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के फलस्वरूप अलमोड़ा, देहरादून तथा मिर्जापुर में चूना पत्थर; अलमोड़ा में मैगनासाईट; गढ़वाल में जिप्सम ; इलाहाबाद तथा बांदा में कांच रेत ; चमोली में एसबैसटौस ; झांसी में अग्निपर्णिज (पाइरोफराइट) ; अलमोड़ा और चमोली में स्टोएटाइट तथा मिर्जापुर में कोयले व अग्निमृतिका (फायर क्ले) के निक्षेप पाए गए हैं।

(घ) देहरादून और मिर्जापुर जिले में चूना पत्थर तथा इलाहाबाद और बांदा में कांच रेत के निक्षेपों का खनन किया जा रहा है। अलमोड़ा में मैगनासाइट के संचयों तथा मिर्जापुर में स्यंद श्रेणी (फ्लेक्स ग्रेड) चूना पत्थर के लिए चूना पत्थरों के निक्षेपों के खनन की योजना बनाई जा चुकी है। प्रस्ताव है कि मैगनासाइट ऊष्पसह प्लान्ट को दिया जाय जब कि मिर्जापुर क्षेत्र तक चूना पत्थर चुर्क की सीमेंट फैक्ट्री को दिया जा रहा है तथा प्रस्फुरण भट्टी से प्राप्त हुआ उच्च श्रेणी का चूना पत्थर इस्पात प्लांटो को दिया जायगा इसे राज्य सरकार कार्यान्वित कर रही है ।

उत्तर प्रदेश के लिये सीमेंट का नियतन

2755. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में उत्तर प्रदेश की सीमेंट की आवश्यकता क्या थी तथा 1965–66 में क्या है ;

(ख) 1964–65 में उत्तर प्रदेश को कितना सीमेंट दिया गया ; और

(ग) 1965–66 में कितना सीमेंट दिये जाने की सम्भावना है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) : निम्नलिखित आंकड़ों से उत्तर प्रदेश सरकार के इन्डेंट, उसको किया गया नियतन तथा सम्भरण (राज्य कोटे के अन्तर्गत) को स्थिति स्पष्ट होती है ।

वर्ष	आवश्यकता जिसके लिए इंडेंट किया गया	नियतन	सम्भरण
1964–65	17,09,137	6,57,450	4,96,367
1965–66*	13,73,953	5,25,150	2,40,497
	(अप्रैल से दिसम्बर 1965 तक)	(अप्रैल से दिसम्बर 1965 तक)	(अप्रैल से अगस्त 1965 तक)

*कोटे का नियतन परिमाण के आधार पर किया जाता है और जनवरी—मार्च 1966 के लिये नियत किए जाने वाला कोटा तथा सितम्बर से आगे होने वाले सम्भरण का निश्चय उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए किया जाएगा ।

देहरादून-डाक पठार रेल लाइन

2756. श्री बागड़ी :

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहरादून से यमुना जल-विद्युत परियोजना, डाक-पठार तक 30 मील लम्बी रेलवे लाइन के लिये सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : उत्तर प्रदेश सरकार ने डाक पत्थर के रास्ते देहरादून से कालसी तक एक रेलवे लाइन के लिये प्रार्थना मुख्य रूप से इसलिये की थी ताकि यमुना पनबिजली परियोजना के लिए निर्माण सामग्री का परिवहन किया जा सके। उसने यह भी सुझाव दिया था कि चूंकि इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त संभावनाएं है, इसलिए इस लाइन को शाखा लाइन के रूप में बनाया जाय। इस लाइन का इंजीनियरिंग

और यातायात सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश सरकार के खर्च पर शुरू किया गया था और राज्य सरकार को यह बात स्पष्ट कर दी गयी थी कि इस लाइन को केवल निजी साइडिंग माना जायेगा और इसका निर्माण राज्य सरकार के खर्च पर किया जायेगा और साथ ही यदि केन्द्रीय सरकार चाहेगी तो बाद में इस क्षेत्र में यातायात के विकास को देखते हुए औचित्य होने पर वह इस लाइन को अपने हाथ में ले लेगी। उत्तर रेलवे ने इस लाइन का इंजीनियरिंग सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और यातायात सर्वेक्षण अभी हो रहा है। इस लाइन को बनाने का प्रश्न तभी उठेगा जब रेलवे बोर्ड सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच कर लेगा और उत्तर प्रदेश सरकार इस लाइन के निर्माण की लागत देने के लिए सहमत हो जायगी। इस लिए इस समय इस काम को पूरा होने की तारीख बताना असामयिक होगा।

कपड़ा सम्बन्धी नीति

2757. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कपड़ा मिल संघ ने अपनी सातवीं वार्षिक सामान्य बैठक में सरकार की कपड़ा सम्बन्धी नीति का नवीकरण किये जाने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की नीति में क्या विशिष्ट परिवर्तन किये जाने की मांग की गई है ; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग) : संघ के अध्यक्ष ने 17 जून, 1965 को संघ की सातवीं वार्षिक साधारण बैठक में दिये गये अपने भाषण में सरकार से यह अपील की कि "भारत को आगामी 5 से 10 वर्षों में सूती वस्त्रों के निर्यात में विश्व का नेतृत्व प्राप्त करवाने के उद्देश्य से, वस्त्र नीति का पूर्णतः नवीकरण किया जाये।"

भाषण में दिये गये विशिष्ट सुझाव इस प्रकार है :—

(क) मिल उद्योग में कपड़े के उत्पादन लक्ष्य बढ़ाये जाये, न कि मिल के कपड़े के उत्पादन को रोक कर, बढ़ी हुई मांग के लिये विकेन्द्रित क्षेत्र में हथकरघों और शक्तिचालित करघों को आवंटन किये जायें।

(ख) मिल के कपड़ा उत्पादन के सम्बन्ध में विशिष्ट प्रकार की किस्मों और परिमाणों पर से प्रतिबंध हटा लिए जायें यथा छपे हुए वस्त्रों पर से हटा लिया जाये।

(ग) छोटे स्तर के शक्ति चालित करघे के कारखानों और मिलों पर लगाये जाने वाले उत्पादन शुल्क में जो अन्तर रखे गये हैं वे हटाये जायें।

(घ) मिल के कपड़े पर लगे आंशिक कानूनी मूल्य और उत्पादन नियंत्रणों को हटाया जाये और नियंत्रित वर्ग के कपड़ों पर जिस दर से उत्पादन शुल्क लगता है वही मिल के समस्त कपड़ों के उत्पादन पर लागू किया जाये।

(ङ) सूती वस्त्र उद्योग में व्यवस्था पर अभिकरण प्रणाली को चालू रखा जाये।

(च) वस्त्र उद्योग को भी राष्ट्रीय महत्व के उन उद्योगों में सम्मिलित किया जाये, जिन्हें कर में 10 प्रतिशत की छूट उपलब्ध है तथा इसे उन उद्योगों में भी सम्मिलित किये जाये जिन्हें 25 प्रतिशत की दर से विकास छूट दी जाती है।

सरकार ने इन सुझावों को नोट कर लिया है। सरकार की वस्त्र सम्बन्ध नीति, समय समय पर इन सभी पक्षों को बराबर ध्यान में रख कर, राष्ट्र के सर्वोत्तम हितों के अनुरूप बनाई जाती है।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का पुनर्गठन

2758. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का पुनर्गठन करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) इसका पुनर्गठन किस आधार पर किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : निगम के प्रशासकीय ढाँचे की कुछ पुनर्व्यवस्था गत जुलाई में की गई थी। यह योजनाएं बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने में अच्छा समन्वय करने के लिए किया गया था। क्षेत्रके महा प्रबन्धकों को उनको अपनी अपनी परिधि में विस्तृत शक्तियां दे दी गई हैं और उन्होंने अपनी पर्याप्त शक्तियां आगे अपने आधीन उच्च अधिकारियों को दे दी हैं ताकि खानों के स्तर पर ही जल्द निर्णय लिए जा सकें और काम सुगमता तथा तेजीसे किया जा सके।

सुखाई हुई मिर्चों का लंका को निर्यात

2759. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64 तथा 1964-65 में लंका को, कितनी मात्रा में सुखाई हुई मिर्चों का निर्यात किया गया ;

(ख) उन वर्षों में निर्यात की गई मिर्चों का कितना मूल्य वसूल किया गया ; और

(ग) वसूल किये गये मूल्य में, यदि कोई अन्तर है, तो उसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : श्री लंका को 1963–64 और 1964–65 में निर्यात की गई लाल मिर्चों का परिमाण और मूल्य इस प्रकार है :—

	परीमाण (किलोग्राम)	मूल्य (रु०)
1963–64	119 लाख	2.75 करोड़
1964–65	118 लाख	2.48 करोड़

(ग) श्रीलंका सरकार के एक संगठन, सहकारी थोक संस्थान ने नवम्बर, 1964 से निजी आयातकों को हटा कर, आयात का एकमात्र अधिकार स्वयंग्रहण कर लिया है; इस संगठन द्वारा जनवरी-अप्रैल 1965 में किसी भी देश से मिर्चों की खरीद नहीं की गई और दिसम्बर, 1964 से पहले की गयी खरीद से ही अपनी आवश्यकता पूर्ती कर ली। इसके अतिरिक्त 1964–65 में पिछले वर्ष की अपेक्षा आन्तरिक व निर्यात मूल्य दोनों ही सामान्यतः कम रहे हैं।

इस्पात संयंत्रों के लिये मशीनों का निर्माण

2760. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में इस्पात संयंत्रों की मशीनों का कितना अंश बनाया जा रहा है ; और

(ख) इस सम्बध में कब तक देश के स्वावलम्बी हो जाने की सम्भावना है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) इस्पात संयंत्रों के लिये इस समय जितने कुल उपकरणों की आवश्यकता होती है उसका लगभग एक-चौथाई से लेकर एक-तिहाई अंश तक देश के साधनों से उपलब्ध होता है।

(ख) पांचवीं योजना की अवधि तक।

Dead Body of a Child in a Railway Compartment Found at Delhi Main Station

2761. Shri Bagri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a dead body of a child was found in a railway compartment at Delhi Main Station on the 27th June, 1965 ; and

(b) if so , whether the culprits have been apprehended and action taken against them?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes, a dead body of a child was recovered from a bedding tied with a rope lying on the floor of a third class compartment.

(b) The Government Railway Police, Delhi have registered a case U/s 302 I. P. C. which is still under investigation. No culprit has been apprehended so far.

Dead Bodies in Railway Compartments

2762. Shri Bagri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of dead bodies found from the 1st April to the 31st July 1965 in the Railway compartments on all the Railways (Division-wise) throughout the country;

(b) the number of dead bodies which were identified as well as those which were not identified;

(c) the number of the culprits apprehended and the action taken against them; and

(d) the action taken by Government in the remaining cases?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (d). A statement giving the necessary information is laid on the Table of the House. [**Placed in the Library. See No. LT-4983/65.**]

फल परिरक्षण उद्योग

2763. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सब्जियों और फलों के उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य क्या है ;

(ख) क्या इन खाद्य पदार्थों के हमारे निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से, फल परिरक्षण उद्योग की स्थिति में सुधार करने तथा निर्यात किये जाने वाले सब्जियों और फलों के उत्पादों का उनको भेजने से पहले अनिवार्यतः निरीक्षण करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय फल उत्पाद सलाहकार समिति ने कोई सिफारिशें की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सब्जियों और फल उत्पादों का कोई निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

(ख) जी, हां। केन्द्रीय फल उत्पाद सलाहकार समिति द्वारा फल और सब्जियों की निर्यात किये जाने से पूर्व अनिवार्य लदान पूर्व जांच आरम्भ करने की सिफारिश फल उत्पाद आदेश, 1955 के अन्तर्गत की गयी है ।

(ग) कृषि विपणन सलाहकार के अधीन विपणन और जांच निदेशालय इस उद्देश्य के लिये एक योजना उपरोक्त सिफारिशों के आधार पर बनवा रहा है और साधित खाद्य निर्यात सम्बर्द्धन परिषद की सलाह से इस योजना को अन्तिम रूप दिया जायगा ।

बोकारो कोयला क्षेत्र

2764. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला परिषद की संसाधन अनुमान समिति ने बोकारो कोयला क्षेत्र के बारे में अपना चौथा प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो कोयला क्षेत्र में कितना तथा किस प्रकार का कोयला पाया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) नहीं, महोदय ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मैसूर लोहा और इस्पात कारखाना

2765. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर लोहा और इस्पात कारखाने के विस्तार का सम्पूर्ण कार्यक्रम पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण है; और

(ग) विस्तार कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) नरम इस्पात का उत्पादन बढ़ाने का विस्तार कार्यक्रम पूरा हो चुका है । मिश्रित इस्पात बनाने का काम, जो बाद में शुरू किया गया था, अभी चल रहा है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

तांबा अयस्क

2766. **श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों में तांबे के निक्षेपों की खोज की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो खोज कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक की गई खोज के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में तांबा अयस्क का कितना निक्षेप होने का अनुमान है ?

इस्पात और खान मं ी (श्री संजीव रेड्डी) : (क) हां, महोदय ।

(ख) अक्तूबर 1965 से सितम्बर 66 तक भारतीय भौमिकी विभाग द्वारा लगभग 43 अनुसन्धान तांबा अयस्क निकालने के लिये किये जाने हैं जबकि भारतीय खान ब्यूरो खैतरी तांबा पट्टी में कलिहान तथा अकवाली अनुभागों में; राजस्थान तथा राखा की दरीवा पट्टी में भागोनी निक्षेप, सिंधभूम (बिहार) के रोम सिद्धेश्वर तथा तानापहाड़ खण्डो में समन्वेषण कार्य तेज करेगी ।

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में तांबें के निक्षेपों का निम्नलिखित अनुमान हैं :—

(1) राजस्थान की खेतरी पट्टी में मधन-कुधन अनुभाग . .	286.2 मिलियन मीटरी टन जिसमें 0.8 प्रतिशत से 1.2 प्रतिशत तांबा है ।
(2) दरीवा नाला खण्ड (राजस्थान) .	0.2 मिलियन मीटरी टन जिसमें 2.6 प्रतिशत तांबा है ।
(3) दरीवा खान खण्ड (राजस्थान) .	0.36 मिलियन मीटरी टन जिसमें 2.4 प्रतिशत तांबा है ।
(4) रोम-सिद्धेश्वर सिंघभूम (बिहार)	21 मिलियन टन जिसमें 1 से 2 प्रतिशत तांबा है ।
(5) लोमापहाड़ सिंघभूम (बिहार)	3 मिलियन मीटरी टन जिसमें 1 प्रतिशत से ज्यादा ताबां है ।
(6) मामन्दूर, दक्षिणी अरकाट (मद्रास) .	0.9 मिलियन मिटरी टन जिसमें 0.63 प्रतिशत ताबां है ।

काली मिर्च का निर्यात

2767. **श्री हेडा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा काली मिर्चके निर्यात की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में अपने प्रतिवेदन में की गई मुख्य सिफारिशों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : सरकार प्रतिवेदन में किये गये विभिन्न सुझावों की जांच, सम्बद्ध अधिकारियों से सलाह ले कर कर रही है ।

पोलैंड को लौह-अयस्क का निर्यात

2768. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोलैंड ने 400,000 टन भारतीय लोह-अयस्क खरीदने का प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) खनिज और धातु व्यापार निगम 400,000 टन लोह अयस्क का संभरण करने के लिय एक संविदा पहले ही कर चुका है ।

(ख) ब्यौरा प्रकट करना खनिज और धातु व्यापार निगम के व्यापारिक हित में नहीं होगा ।

मिट्टी के तेल से भरे हुए माल डिब्बों का बरौनी के समीप पटरी से उतर जाना

2769. **श्री किन्दर लाल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 जुलाई, 1965 को बिदात गांव (बरौनी) के पास मिट्टी के तेल से भरे हुए 7 टैंक वैगन पटरी से उतर गय, जिससे परिणामस्वरूप सभी वैगनों को क्षति पहुंची और उनसे तेल बाहर बह गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) पटरी से उतरे सात माल डिब्बों में से 2 में मिट्टी का तेल, 3 में लाइट डीज़ल तेल और 1 में भट्टी तेल था। सातवां माल-डिब्बा खाली था। पांच माल-डिब्बों में से तेल टपक रहा था।

(ख) दुर्घटना रेल-पथ के धंस जाने के कारण हुई ।

(ग) रेल-पथ के अनुरक्षण के काम पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है ।

Derailment of Goods Train on Northern Rly.

2770. **Shri Kindar Lal :**
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a wagon of 571 up goods train derailed between Seohara and Chakraj Mal railway stations on the Moradabad-Najibabad Section of the main line of Northern Railway on the 8th August, 1965;

(b) if so, the causes thereof ; and

(c) the damage caused to the railway property as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) The accident occurred on 7-8-65.

(b) The cause of the accident is under investigation.

(c) The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 4,595.

आयात की जाने वाली वस्तुओं के विकल्प

2771. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में हमने विभिन्न क्षेत्रों के लिये कितने मूल्य के कलपुर्जे आदि विदेशों से मंगवाये;

(ख) इन पुर्जों के विकल्प ढूंढने और बनाने के लिये क्या ठोस प्रयत्न किये गये हैं; और

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि अभी तक ऐसी बहुत सी वस्तुओं का आयात किया जा रहा है जो देश में बनाई जाती है अथवा सरलतापूर्वक बनाई जा सकती है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) एक विवरणसभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4984/65।]**

(ख) आयात की जाने वाली वस्तुओं के विकल्प के लिये अब तक किये गये निश्चित प्रयत्नों में मुख्य रुप से ये उपाय सम्मिलित हैं—(1) देश में उपलब्ध कच्चे माल से मशीनों और पुर्जों का निर्माण करना, (2) इन कच्चे मालों का देश में ही उत्पादन करना, (3) जो कच्चे माल देश में उपलब्ध नहीं हैं उनके बदले आयात किये गये कच्चे माल से पुर्जों का उत्पादन करना, (4) देश में उपलब्ध कच्चे मालों से मूल-भूत रसायनों का उत्पादन करना अथवा उन कच्चे मालों के विकल्प तैयार करना जो आयात से उपलब्ध नहीं होते; और (5) उत्पादन प्रक्रिया अथवा निर्माण संबंधी स्तरों में इस प्रकार परिवर्तन करना जिससे आयात किये गये कच्चे माल के स्थान पर यथासम्भव देशी सामान का अधिकाधिक इस्तेमाल किया जा सके।

(ग) सरकार की आयात संबंधी नीति इस प्रकार बनाई गई है कि देश के अन्दर पर्याप्त परिमाण में और यथोचित किस्म की जो वस्तुएं उपलब्ध हैं उनका कम से कम आयात किया जाये। यदि सरकार की जानकारी में कोई ऐसे विशिष्ट उदाहरण लाये जाते हैं जिनमें आयात को या तो बन्द किया जा सकता है या उसमें कमी की जा सकती है तो उनकी सावधानी से जांच की जायेगी।

छोटे पैमाने के उद्योग

2772. श्री रघुनाथ सिंह: क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1964 तक छोटे पैमाने के उद्योगों के रूप में कितने औद्योगिक उपक्रम पंजीबद्ध हुए थे; और वे किन मुख्य श्रेणियों के अन्तर्गत आते है; और

(ख) क्या खनन एकक भी छोटे पैमाने के उद्योगों के रूप में पंजीबद्ध किये गये हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) 31 दिसम्बर, 1964 को उद्योगों के राज्य निदेशकों द्वारा निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों से संबंधित 91,052 औद्योगिक उपक्रम लघु एककों के रूप में पंजीबद्ध किये गये थे :—

1. सामान्य इंजीनियरिंग उद्योग
2. वैद्युत इंजीनियरिंग उद्योग
3. इलेक्ट्रानिक्स जैसे रेडियो के पुर्जे, बल्ब, कण्डेन्सर इत्यादि
4. रसायन उद्योग

4—42 Lok Sabha/65

5. प्लास्टिक उद्योग

6. चीनी मिट्टी उद्योग

7. खाद्य परिष्करण उद्योग

8. चमड़े पर आधारित उद्योग

9. लकड़ी पर आधारित उद्योग

10. रबड़ पर आधारित उद्योग

11. विविध वर्ग जैसे स्टेशनरी, छापाखाना, कार्डबोर्ड इत्यादि।

(ख) खनन एककों को लघु एककों के रूप में पंजीबद्ध नहीं किया गया है।

Trade-mark of Wool

2773. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether any new trade-mark of wool has been recently sanctioned by Government;

(b) the particulars of the other trade marks sanctioned up-to-date and the names of the places where the wool of these trade-marks was preferred ;

(c) whether the wool of the new trade-mark has been appreciated in foreign countries ; and

(d) if so, the names of these countries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy) : (a) No new certification trade mark has been registered in respect of wool.

(b) to (d). Information is not readily available regarding exports of wool according to registered trade marks. Export of wool is governed under a system of quality control and pre-shipment inspection under which no consignment of wool is allowed to be exported unless it is graded and marked under Agmark and a certificate to that effect issued by the Grading Authorities. Important grading centres for wool are Beawar, Bikaner, Jamnagar, Kekri, Bombay, Madras and Rajkot. Graded Indian wool is in great demand in U. S. S. R., U. S. A., U. K., France, Netherland and West Germany.

Statue of Queen Victoria at Boribunder Station (Central Railway)

2774. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the General Manager, Central Railway has recently got the statue of Queen Victoria at Boribunder station covered;

(b) if so, when the statue will be removed from that site;

(c) whether it is proposed to instal any other statue in its place; and

(d) when the statue of all the foreigners in all the Railway Zones will be removed ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) There is no proposal as yet to remove the statue.

(c) No.

(d) There is no such proposal.

बालासोर में रेलवे पुलों से गुजरने के लिये पास

2775. श्री जेना : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के कुछ स्थानों पर विशेषत: बालासोर नगर में पुल संख्या 263 और 264 को पार करने के लिये ग्रामवासियों को रेलवे सुरक्षा दल को पास दिखाने पड़ते हैं, जिन्हें अपने दैनिक कारोबार के सम्बन्ध में उन पुलों पर से दिन में कई बार गुजरना होता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इस कठिनाई को स्थायी रूप से हल किये जाने के सम्बन्ध में ग्रामवासियों ने सरकार से कोई प्रार्थना की है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (घ) : जी नहीं । इन पुलों पर रेलवे सुरक्षा दल का पहारा नहीं रहता लेकिन सही स्थिति यह है कि चीनी आक्रमण के समय पुल नं० 263 और 264 पर राज्य पुलिस के सशस्त्र रक्षकों का पहारा बैठा दिया गया था और वे गांव वालों को बिना अधिकार-पत्र के इन पुलों पर से गुजरने नहीं देते थे । इस पर गांव वाले जिला अधिकारियों के पास गये और फलस्वरुप सदाशयी गांव वालों को पास जारी कर दिये गये । इसी तरह वर्तमान आपात-काल में भी राज्य सरकार की रेलवे पुलिस केवल पुल नं० 263 पर पहारा दे रही है। चीनी आक्रमण के समय जो कार्य-प्रणाली अपनायी गयी थी, वहीं इस समय भी अपनायी जा रही है । सदाशयी गांव वालों को उनके अनुरोध पर राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा पास जारी किये जा रहे हैं ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे पर दोहरे प्लेटफार्म

2776. श्री जेना : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के कुछ स्टेशनों पर दोहरे प्लेटफार्मों की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन स्टेशनों के क्या नाम है;

(ग) उक्त रेलवे के कितने स्टेशनों पर इस समय रेलवे डाक सेवा कार्यालय है और कितने रेलवे डाक सेवा कार्यालय बनाये जायेंगे अथवा बनाये जा रहे हैं;

(घ) क्या उड़ीसा के डाक और तार निदेशक ने दक्षिण-पूर्व रेलवे के भद्रक स्टेशन पर एक रेलवे डाक सेवा कार्यालय खोलने के लिये एक इमारत की व्यवस्था करने के लिये रेलवे प्राधिकारियों से बार बार प्रार्थना की है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी प्रार्थना पर रेलवे प्राधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, दक्षिण-पूर्व रेलवे के कुछ रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त प्लेटफार्म की व्यवस्था करने का विचार है ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-4985/65 ।**]

(ग) पांच स्टेशनों पर रेल-डाक व्यवस्था के लिए पहले से इमारत की व्यवस्था है । तीन और स्टेशनों पर इस तरह की इमारत की व्यवस्था करने का विचार है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) भद्रक स्टेशन पर रेल-डाक व्यवस्था के लिए एक इमारत की व्यवस्था करने का अनुरोध पहले ही मान लिया गया है और इसके खर्च का आवश्यक अनुमान मंजूर कर दिया गया है, लेकिन इस काम का सम्बन्ध भद्रक स्टेशन के ढांचे में परिवर्तन के काम के साथ है और इसे यथाशीघ्र शुरू कर दिया जायेगा ।

डी० बी० के० रेलवे प्रशासन के अधीन कर्मचारियों की छंटनी

2777. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी० बी० के० रेलवे प्रशासन में जो कर्मचारी स्थानीय रूप से भर्ती किये गये थे उनकी छंटनी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी है और उनकी छंटनी करने के क्या कारण है; और

(ग) उन्हें रिक्त स्थायी स्थानों पर नियुक्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, उन कर्मचारियों को छोड़कर जो बाद में रेल सेवा आयोग द्वारा चुन लिये गये ।

(ख) तृतीय श्रेणी के जिन कर्मचारियों की छंटनी होनी है उनकी कुल संख्या 652 है । छंटनी का कारण यह है कि इन कर्मचारियों ने चालू लाइन रेलों पर नियुक्ति के लिए रेल सेवा आयोग के जरिये अर्हता प्राप्त नहीं की है जैसाकि वर्तमान नियमों के अधीन अपेक्षित है ।

(ग) स्थानीय भर्ती किये गये सभी कर्मचारियों से कह दिया गया है कि रेल सेवा आयोगों द्वारा विज्ञापन निकाले जाने पर वे अपने आवेदन-पत्र उन्हें भेजें और जो चुन लिये जायेंगे, वे यथासमय बारी आने पर नियमित रिक्त स्थानों पर लगा दिये जायेंगे ।

केरल में कालमेसरी मशीनी औजार का कारखाना

2778. **श्री वारियर :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 27 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 836 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में कालमेसरी मशीनी औजार कारखाने का विस्तार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) इस विस्तार के परिणामस्वरुप उत्पादन किस तारीख तक आरम्भ हो जायेगा ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) लागत के अनुमान की जांच खास तौर से पूंजीगत माल के आयात के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा को देखते हुए की जा रही है ।

(ख) योजना को अन्तिम रूप देने से तथा उसके लिये विदेशी मुद्रा के नियतन हो जाने की तारीख से लगभग दो वर्ष बाद ।

ओलावाक्कोट डिवीज़न (दक्षिण रेलवे) के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

2779. श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओलावाक्कोट डिवीजन, दक्षिण रेलवे के रेलवे कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं। दक्षिण रेलवे के ओलावाक्कोट डिवीज़न के अर्हता प्राप्त नगरों में काम करने वाले सभी रेल कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता मिल रहा है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) पालघाट के अर्हता-प्राप्त नगर की नगरपालिका सीमा के बाहर काम करने वाले कुछ कर्मचारियों की ओर से एक अभ्यावेदन मिला है।

(घ) रेल प्रशासन मामले की जांच कर रहा है।

Railway Hospital at Ratlam

2780. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the patients going to Railway Hospital at Ratlam are asked to produce their identity cards ;

(b) whether it is also a fact that no identity cards have been issued to the Railway staff employed at that station ;

(c) whether some cases of negligence on the part of the Railway Doctors in that hospital which resulted in the death of some patients have been reported; and

(d) if so, the action taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Three cases which were alleged to have been neglected, have on investigations revealed that the allegations were not true.

(d) Does not arise.

Railway Employees of Ratlam

2781. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Shri Bade :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 70 per cent of Railway employees at Ratlam are residing in the city from where the Railway Hospital is situated at a distance of about two miles;

(b) whether it is also a fact that there is no Railway Dispensary in the city for the treatment of these employees ;

(c) if so, whether Government propose to open a Dispensary for them in the city; and

(d) if not, the reason therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No. Nearly 1900 out of a total of 5500 Railway employees posted at Ratlam are provided with Railway quarters. Medical care facilities are available in the Railway colony within a mile from the city. A dispensary has also been provided near the railway station which is at a distance of only a few furlongs from the city outskirts.

(b) Yes.

(c) No.

(d) In view of what has been stated under (a) above, there is no justification for opening a dispensary in the city.

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का विस्तार

2782. श्री यशपाल सिंह : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी इंजीनियरिंग निगम दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के विस्तार के लिये अपेक्षित 25,000 मीट्रिक टन उपकरण देने के लिये तैयार था परन्तु उसे केवल 14,500 मीट्रिक टन ही देने के लिये कहा गया; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : चौथी योजना में दुर्गापुर के विस्तार के लिए भारी इंजीनियरिंग कारपोरेशन कितना साज-सामान दे सकता है इस बारे में इस वर्ष के आरम्भ में कारपोरेशन के प्रतिनिधियों और चौथी योजना में दुर्गापुर इस्पात कारखाने के विस्तार कार्य में भारत सरकार की सहायता करने वाले ब्रिटिश कंसार्टियम के प्रतिनिधियों के बीच कुछ विचार विमर्श हुआ था। यह बातचीत प्रारम्भिक थी और स्पष्टत: कारपोरेशन ने ब्रिटिश कंसार्टियम के अनुमान से अधिक मात्रा में साज-सामान सप्लाई करने की पेशकश की। अभी तक इस बारे में कोई दृढ निणय नहीं किया गया है कि वास्तव में भारी इंजीनियरिंग कारपोरेशन कितने टन माल सप्लाई करेगा। कुछ भी हो यह निश्चित है कि जो साज सामान भारी इंजीनियरिंग कारपोरेशन अथवा दूसरे भारतीय निर्माता समय पर सप्लाई कर सकती है वह बाहर से नहीं मंगवाया जाएगा।

कानपुर की मिल के मामले की जांच

2783. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने संघ सरकार से प्रार्थना की है कि कानपुर के एक मिल के मामले की जांच की जाये और कम्पनी को चलाने के लिये एक नियंत्रक की नियुक्ति की जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख) : म्योर मिल्स कं० लि०, कानपुर के मामले की जांच करने के लिये, उत्तर प्रदेश सरकार की सलाह से 7-9-1965 को एक जांच समिति की नियुक्ति, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत की गयी है ।

सिनेमा आर्क कार्बन का उत्पादन

2784. **श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला एक नये तरीके से और स्वदेशी कच्चे माल से सिनेमा आर्क कार्बन बनाने में सफल हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस वस्तु को इस नये तरीके से किसी भारतीय फर्म के द्वारा बनवाने की अपेक्षा देश की प्रायः संपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के हेतु विदेशी फर्म को उसकी सप्लाई करने का लाइसेंस दिये जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने निस्संदेह सिनेमा आर्क कार्बन बनाने की एक विधि प्रयोग शाला स्तर पर विकसित की है। इसका व्यापारिक स्तर पर उपयोग करने के लिए भारतीय पार्टियों के साथ बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है ।

इसी बीच देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये इसके समुचित मात्रा में आयात की स्वीकृति देनी पड़ेगी । जिसका अनुमान 1965-66 की 180 लाख जोड़ों की क्षमता के लिए 120 लाख जोड़े हैं । सिनेमा आर्क कार्बन के उत्पादन के लिए 6 फर्मों को लाइसेंस दिए गए है जिनमें से केवल एक मेसर्स यूनियन कारबाइड इंडिया लि० ने जिसे 60 लाख जोड़ों की क्षमता के लिए लाइसेंस दिया गया था, एकक स्थापित करने के कार्य में तरक्की की है । यह चौथी योजना की अनुमानित मांग के 25 प्रतिशत के बराबर है । इनकी योजना को उस समय स्वीकृति दी गई थी जब वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने प्रारम्भिक उत्पादन भी शुरू नहीं किया था । अन्य फर्मों को यह परामर्श दिया गया है कि वह वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की जानकारी के अनुसार ही उत्पादन करें ।

बंगलौर में रेलवे सहकारी समिति

2785. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे कर्मचारियों के लाभार्थ रेलवे सहकारी समिति ने बंगलौर में कब अपना काम आरम्भ किया; और

(ख) इस समिति को सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) बेंगलूरु में दो रेल कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समितियां हैं — एक बेंगलूरु सिटी में और दूसरी बेंगलूरु कंटोन्मेंट में। इन दोनों समितियों का काम क्रमशः 17-10-53 और 28-10-64 से शुरू हुआ था ।

(ख) सूचना मंगायी जा रही है ।

बाइयाप्पानाहाली मार्शलिंग यार्ड

2786. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे पर बाइ यप्पा नाहाली मार्शलिंग यार्ड पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) भारी वर्षा के कारण उक्त यार्ड को कितनी हानि पहुंची; और

(ग) उस हानि को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जून, 1965 के अन्त तक बाइयाप्पानाहाली के विन्यास यार्ड पर 42.6 लाख रुपये खर्च हुए थे ।

(ख) और (ग) : हाल की भारी वर्षा के दौरान बाइयाप्पानाहल्ली के विन्यास यार्ड को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची। लेकिन 1964 के बरसात के मौसम में इस स्टेशन के यानान्तरण यार्ड को कुछ नुकसान पहुंचा। वर्षा के कारण हुई क्षति की मरम्मत पर लगभग 18,000 रुपये खर्च हुए ।

भारी प्लेटों और जहाजों का निर्माण

2787. श्री बालकृष्ण वासनिक : क्या उद्योग तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्धा (महाराष्ट्र) में भारी प्लेटों और जहाजों के निर्माण के लिये एक संयंत्र स्थापित करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना पर कितनी लागत आयेगी और उस के पूरा होने की समय अनुसूची क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : सरकार का विचार भारी प्लेटों और जहाजों का निर्माण करने के लिये एक संयंत्र स्थापित करने का है किन्तु परियोजना के स्थान और उसके पूंजी-व्यय इत्यादि के बारे में अभी अन्तिम रूप से निश्चय नहीं किया गया है ।

Training for S. M. & A. S. M. on N. E. Railway

2788. Shri Gokaran Prasad : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that every Station Master and Assistant Station Master on the North Eastern Railway is required to go to Muzaffarpur Training Centre for training in the refresher course even when training arrangements exist at the District Headquarters ;

(b) if so, the minimum percentage of pass marks that have been prescribed ; and

(c) whether any orders have also been issued by the Railway Board in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes. No arrangement exists for refresher training to Station Masters/Assistant Station Masters at the District Headquarters.

(b) The minimum pass marks at final examination is sixty per cent for all papers individually.

(c) No. Sir.

Flag Station between Virar and Saphala on Western Railway

2789. Shri Baswant : Will the Minister of **Railways** be pleased to State :

(a) whether any final decision has been taken in respect of the flag station named Vaitarna situated between Virar and Saphala on the Western Railway; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) & (b). It has been decided to open Vaitarna Block Hut between Virar and Saphala stations for passenger traffic on amenity grounds.

The Western Railway has been asked to take further action in the matter.

Salt Pans

2790. Shri Baswant : Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state :

(a) the rate of rent per acre being charged for the land leased for salt pans in the various States ;

(b) whether the co-operative salt production associations are given same concession in this regard ;

(c) whether it is a fact that the rates of rent have been increased three-fold in Maharashtra ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) A statement regarding Central Government Lands is laid on the Table of the House. **[Placed in the Library. See No. L.T.—4986/65.]**

(b) Yes please, as will be seen from (a) above.

(c) No, as far as Central Government lands are concerned.

(d) The question does not arise.

डी० बी० के० रेलवे लाइन

2791. श्री चांडक :

श्री राधेलाल व्यास :

श्री नु प्रकाश सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैलाडिल्ला इस्पात संयंत्र के लिये भारी मात्रा में सामान ले जाने की आवश्यकता को ध्यान में रख कर ही डी० बी० के० रेलवे लाइन बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह बात आंग्ल-अमरीकी कंसार्शियम को बताई गई थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (ग) : दण्डकारण्य-बोलनगीर-किरिबुरु रेलवे लाइन (बेलाडिल्ला-कोट्टवलासा) के बनाने का मुख्य उद्देश्य बेलाडिल्ला से विशाखापट्टणम के रास्ते निर्यात के लिए खनिज का परिवहन करना है। इस लाइन के लिए मुख्य लाइन मानक अपनाया गया है, जो खनिज के भारी यातायात के लिए पर्याप्त है। बन्दरगाहों से भिलाई, राउरकेला, आदि इस्पात संयंत्रों के लिए भेजे जाने वाले उपस्कर वर्तमान मुख्य लाइनों से ढोये जाते थे इसलिए बेलाडिल्ला-कोट्टवलासा लाइन जो उसी मानक की है, आवश्यकता पड़ने पर इन इस्पात-संयंत्रों के उपस्करों की ढुलाई के लिए भी पर्याप्त होगी। बेलाडिल्ला-कोट्टवलासा नयी लाइन के बारे में सभी आवश्यक तथ्य एंग्लो-अमेरिकन कंसोर्टियम को दे दिये गये हैं।

Import of Fish from Pakistan

2792. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan has banned the export of fish to India; and

(b) if so, the alternative arrangements made in this regard ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) It has been reported that Pakistan has banned exports of all commodities including fish to India. Government of India have also imposed a complete ban on all trade with Pakistan with effect from 10th September, 1965.

(b) A Fish Marketing Corporation has been constituted in the Public Sector to handle the problem of supply of fish.

Flourite Found in Rajasthan

2793. Shri Rattan Lal :
Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Steel** and **Mines** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that flourite is being explored in village Mandav of District Dungarpur (Rajasthan) and that it is likely to be found in a large quantity;

(b) if so, whether Government are chalking out some plan for its exploitation; and

(c) the details thereof ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the table of the House.

Udaipur-Himmatnagar Railway Line

2794. Shri Rattan Lal :
Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the work on the Udaipur-Himmatnagar Railway line (Western Railway) which was scheduled to be completed by December, 1965 will be completed in time ; and

(b) if not, the extra time likely to be taken for its completion ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) Yes,

(b) Does not arise.

Ratlam-Durgapur Railway Line

2795. **Shri Rattan lal :**
Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the time by which the survey work of the Ratlam-Durgapur railway line via Banswara (Rajasthan) will be undertaken ;

(b) whether Government have decided to construct this railway line ; and

(c) if so, when the construction work on this line is likely to be started ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) There is no proposal to undertake any survey for this line at present.

(b) & (c). Do not arise.

भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मण्डल का मूल रसायनो सम्बन्धी प्रतिवेदन

2797. श्री श्रीनारायण दास : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुनियादी रसायन, औषध तथा साबुन निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा कुछ पूर्वी तथा दक्षिणी-पूर्वी देशों को भेजे गये भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मण्डल ने अपना दौरा समाप्त करने के पश्चात् कोई प्रतिवेदन दिया है ;

(ख) यदि हां, उसमें क्या महत्वपूर्ण सुझाव तथा सिफारिशें है; और

(ग) क्या टोक्यों और ओसाका जैसे स्थानों पर शो रूम स्थापित करने के सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां।

(ख) प्रतिनिधि मंडल द्वारा की गयी सिफारिशों का सारांश इस प्रकार है :—

सारांश

1. भारतीय निर्यातकों को थाईलेण्ड, हांगकांग, जापान, मलयेशिया, आस्ट्रेलिया और श्रीलंका में अपना निर्यात बढ़ाने के लिये प्रवासी भारतीयों की उपस्थिति का उपयोग करना चाहिये ।
2. निर्यातकों को दीर्घावधि ऋण सुविधाएं दी जानी चाहिये ।
3. प्रतिनिधि मंडल द्वारा यात्रा किये गये क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक सोल एजेण्ट नियुक्त करने के लिये भारतीय निर्यातकों को अपने साधन एकत्रित करने चाहिये ।
4. भारतीय निर्यातकों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि उनके निर्यात किये जाने वाले माल की किस्म अच्छी हो, मूल्य उचित हों तथा माल निश्चित समय पर भेजा जाये ।

5. विदेशों में प्रविधिक प्रतिनिधि नियुक्त किये जाने चाहिये ।

6. विदेशी आयातकों को कमीशन तुरन्त चुकाने की दिशा में कदम उठाये जाने चाहिये।

7. थाईलेण्ड, मलयेशिया, आस्ट्रेलिया और श्रीलंका में संयुक्त प्रायोजनाएं स्थापित की जानी चाहिये ।

8. हमें अपने निर्यात कार्यक्रमों के लिये हांगकांग को अपना प्रमुख केन्द्र बनाने का विचार करना चाहिये, क्योंकि यह भण्डारण और वितरण की दृष्टि से उपयुक्त है तथा निर्बाध बाजार भी है ।

9. विदेशी आयातकों के चिन्ह नामों पर वस्तुएं संभरित करने की संभावनाओं पर भी विचार किया जाना चाहिये ।

10. आस्ट्रेलिया के ऐसे कुछ प्रशुल्क विनियमों में छूट प्राप्ति के लिये प्रयास किये जायें, जिनके द्वारा कई मामलों में भारतीय वस्तुओं के वहां पहुंचने में अवरोध होता हो ।

11. भारतीय निर्यात वस्तुओं के पैकिंग में सुधार किया जाना चाहिये ।

12. प्रचार से विविध साधनों का उपयोग किया जाये ।

(ग) प्रतिनिधि मंडलने टोकियों और ओसाका में प्रदर्शन कक्ष खोलने का सुझाव नहीं दिया है ।

ध्यान दिलानेवाली सूचना के बारेमें (प्रश्न)

RE : CALLING ATTENTION NOTICE (QUERY)

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : शासक दल के और प्रतिपक्षी दलों के लगभग 50 सदस्यों ने एक ध्यान दिलानेवाली सूचना दी और हम प्रतिरक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि जीवन बीमा निगम के मैदान में जो पकड़ा गया टैंक रखा था वह क्यों हटाया गया । हमारी आशंका है कि क्या ऐसा किसी दवाब में किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसको पढ़ लिया है । आशंका यह है कि शायद ऐसा अमरीकी दूतावास के दबाव में आकर किया गया । मैं इस बात का उत्तर दूंगा ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : On a point of order, Sir, I want to know whether there is some rule regarding supplementary question taken in between or questions are taken up serially from the question list ?

Mr. Speaker : Questions are taken from the question list. Sometimes some additions are made after the question lists are printed due to their transfer on other date.

Shri Bagri (Hissar) : I have given a calling attention notice regarding incident in Ferozepur. Pakistanis fired rockets there. As a result of that one jawan was dead and three were injured. The other rocket was fired on the populated area. I request for the acceptance of my notice.

Mr. Speaker : Kindly resume your seat.

श्री हम बरुआ (गोहाटी) : मैंने भारतीय प्रदेश में चीनी घुसपैठ के बारे में दो ध्यानाकर्षण सूचनाएं दी हैं। लेकिन आपने उनकी अनुमती नहीं दी है। यदि आपका यह कहना है कि आज चर्चा होने वाली है लेकिन उसमें चीन का सवाल शामिल नहीं होता। दूसरे यदि आपका यह कहना है कि प्रधान मंत्री ने वक्तव्य दिया है तो उनके वक्तव्य के बाद कई घटनाएं हुई हैं। कृपया इस पर पुनर्विचार करें और इसकी अनुमती दें।

Shri Ram Sevak Yadav (Barabanki) : There was firing after the cease-fire. So I would like to know the reaction of the Hon. Defence Minister on this.

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : अध्यक्ष महोदय, मैंने दो ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं दी हैं। खादी बोर्ड और हास्पेट चीनी कारखाने के श्रमिकों ने आपतकाल को देखते हुए अपना आन्दोलन वापस ले लिया लेकिन प्रबन्धकों ने गैर-कानूनी तौर से और जबरन उनके कार्यालय पर कब्जा कर लिया। दो महीनों से लगातार 15 श्रमिक भूख हड़ताल पर है और दो मृत्यु शय्या पर हैं।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मंत्रियों को अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार करने के लिये प्रोत्साहित करें। अधिकांश मंत्रियों की आदत यह है कि वे महत्वपूर्ण मामलों के सम्बन्ध में अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार करने से इन्कार कर देते हैं। मैंने सोमवार को एक सूचना दी थी कि केरल के तट पर एक इंडोनेशियाई पनडुब्बी देखी गई। वे यह बता सकते थे कि पनडुब्बी देखी गई या नहीं। लेकिन उन्होंने इस प्रश्न को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। उड़ीसा के मामले में भी हमने एक ध्यान दिलाने वाली सूचना दी है लेकिन इसकी भी अनुमति नहीं दी गयी।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : मैंने इंडोनेशिया से प्रेस सहचारी के वापस बुलाये जाने के बारे में एक ध्यान दिलाने वाली सूचना दी थी।

श्री बूटा सिंह (मोगा) : फीरोजपुर में युद्ध विराम के बाद बमबारी को चार संसद् सदस्यों ने देखा लेकिन आकाशवाणी से समाचार प्रसारणों में इसका कोई उल्लेख नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इन बातों को यहां पर इस समय नहीं उठाया जा सकता। आज का दिन आखिरी होने से मैं ने सदस्यों को उनकी ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में, जिनकी अनुमति नहीं दी गई है, जिक्र करने की अनुमति दे दी।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाडा) : आपने एक विनिर्णय दिया था कि माननीय सदस्य सत्र के अन्तिम दिन अपने निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में समस्याओं का उल्लेख कर सकते हैं और इसके लिये एक घंटा या आधा घंटा समय नियत किया जायगा।

अध्यक्ष महोदय : वह कोई विनिर्णय नहीं था। मैंने अनुभव के लिये यह सुझाव दिया था लेकिन इससे मुझे निराशा ही हुई क्योंकि कुछ सदस्यों ने कहा कि यह समय की बर्बादी है। मेरा इरादा यह था कि जिन लोगों को बोलने का बहुत कम अवसर प्राप्त हुआ है वे अपनी दिक्कतें पेश कर सकें। लेकिन जो लोग बहुधा बोलते हैं। उन्होंने ही उस सारे समय का इस्तेमाल करना शुरू कर दिये। इसलिये मैंने वह प्रथा समाप्त कर दी।

जहां तक इन प्रस्तावों का सम्बन्ध है जिनकी सूचनाएं दी गई, है, वे सभी बड़े महत्वपूर्ण हैं। और इसलिये किसी एक को लेना बहुत कठिन है। मैं आज एक चर्चा की अनुमति दूंगा जिसमें ये सभी बातें उठायी जा सकेंगी।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलापुजा) : संसद् सदस्य भी पैटन टैंक को देख नहीं सके।

अध्यक्ष महोदय : उसके देखने के लिये मैं एक दल भेजूंगा।

श्री हरि विष्णु कामत : उड़ीसा के मामले के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और पनडुब्बी के बारे में भी उल्लेख किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने नेताओं से बात कर के उन्हें कठिनाईयां बता दी है । हम एक चर्चा करेंगे जो बड़ी व्यापक होगी और उसमें सभी बातें उठायी जा सकती हैं ।

श्री रंगा : प्रधान मंत्री जो वाद-विवाद का उत्तर देते समय कृपया यह बताएं कि वह इस सभा के विभिन्न दलों के नेताओं से किस प्रकार सम्पर्क स्थापित करते रहेंगे । अन्यथा हमारे लिये सदैव तैयार रहना कठिन होगा । हम कुछ पूर्व सूचना चाहेंगे ताकि हम दिल्ली में उपलब्ध हो सकें ।

दूसरे मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि, युद्ध-विराम के बावजूद भी, हम पाकिस्तानी सेना को उसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करने देंगे जो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के बाद की ।

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर में ऐसा कह सकते हैं ।

Shri Madhu Limaye : On a point of privilege, Sir, last week I, along with others, raised a motion of privilege against the finance Minister Shri T. T. Krishnamachari....

Mr. Speaker : I have disallowed that.

Shri Madhu Limaye : I request you, Sir, to reconsider that.

Mr. Speaker : This is not the time to reconsider.

Shri Ram Sevak Yadav : I would like to have your guidance in this matter. It appeared in today's newspapers that a Minister made false statement in U.P. Assembly and a point of privilege was raised. On that the Minister concerned expressed his regret in the House. But in this House a member cannot raise points regarding the property etc. of the family of a Minister, he is not allowed to do so. If such things are there, there will be confusion outside

Mr. Speaker : Alright.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

दिल्ली में मिट्टी के तेल की सप्लाई

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : मैं दिल्ली में मिट्टी के तेल की सप्लाई के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4966/65 ।]**

कहवा बागान उद्योग के बारे में केन्द्रीय मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : मैं कहवा बागान उद्योग के बारे में केन्द्रीय मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4967/65 ।]**

दिल्ली दुग्ध योजना

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं, श्री चि० सुब्रह्मण्यम की ओर से, दिल्ली दुग्ध योजना के वर्तमान कार्यसंचालन के बारे में एक टिप्पण सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4968/65 ।]**

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे

सामुदायिक विकास और सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 14 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत वर्ष 1964–65 के लिये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4969/65।]**

(2) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 17 की उपधारा (4) के अन्तर्गत वर्ष 1963–64 के लिये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वार्षिक लेखे तथा उन पर परीक्षा प्रतिवेदन । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4970/65।]**

अखिल भारतीय सेवायें और केरल लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियम, 1957

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं, श्री जयसुख लाल हाथी की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(एक) अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) दूसरा (संशोधन) नियम, 1965 जो दिनांक 21 अगस्त, 1965 को अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1175 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु एवं निवृत्ति लाभ) पांचवां (संशोधन) नियम, 1965 जो दिनांक 21 अगस्त, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1176 में प्रकाशित हुये थे ।

(तीन) अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु एवं निवृत्ति लाभ) छठा संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 11 सितम्बर, 1965 को अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1306 प्रकाशित हुये थे । **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 4971/65 ।]**

(2) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुये उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के संबंध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (5) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० (पी) संख्या 565 की एक प्रति, जो दिनांक 17 अगस्त, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियम 1957, में कतिपय संशोधन किये गये, और उस पर एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4972/65।]**

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना, और सूती कपड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद के बारे में प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 18 मार्च, 1965 का एस० ओ० 1039

[श्री से० वें० रामस्वामी]

(दो) दिनांक 18 मार्च, 1965 का एस० ओ० 1040

(तीन) सूती कपड़ा (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1965 जो दिनांक 4 सितम्बर, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2712 में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4973/65।]**

(2) सूती कपड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद के प्रतिवेदन की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4974/65।]**

विधि आयोग का प्रतिवेदन

विधि मंत्री तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : मैं श्री जगन्नाथ राव की ओर से, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के बारे में विधि आयोग के सत्ताईसवें प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4975/65।]**

प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के उत्तर

REPLIES TO ESTIMATES COMMITTEE'S RECOMMENDATIONS

श्री सुबोध हंसदा (झाडग्राम) : मैं नीवेली लिगनाइट दिगम लिमिटेड, नीवेली के बारे में प्राक्कलन समिति के चौवनवें प्रतिवेदन के अध्याय 5 में तथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची, के बारे में सार्वजनिक उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सातवें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों के उत्तर दिखाने वाले दो विवरण, जो प्रतिवेदनों में शामिल किये जाने के लिये सरकार द्वारा समय पर नहीं भेजे गये थे, सभा पटल पर रखता हूं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

कार्यवाही—सारांश

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं चालू सत्र के दौरान हुई गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की बैठकों (67 वीं से 71 वीं) के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

कार्यवाही—सारांश

श्री खाडीलकर (खेड) : मैं चालू सत्र के दौरान हुई सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की चौदहवीं बैठक का कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

कार्यवाही-सारांश

श्री सिद्धनंजप्पा (हसन) : मैं चालू सत्र के दौरान हुई सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति की बारहवीं और तेरहवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

राज्य सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के अनुसरण में मुझे लोक-सभा को यह बताने का निदेश मिला है कि राज्य सभा अपनी 22 सितम्बर, 1965 की बैठक में अधिलाभांश की अदायगी विधेयक, 1965 से, जो लोक-सभा द्वारा 9 सितम्बर, 1965 को पारित किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गयी है।"

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्री सिद्धनंजप्पा द्वारा सभा पटल पर रखे गये कार्यवाही सारांश के बारे में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। कल जब मैंने यह प्रश्न उठाया था तो योजना मंत्री, श्री भगत ने बताया था कि इस बारे में जानकारी एकत्र करेंगे कि ग्रीष्मकाल में मंत्रियों, उपमंत्रियों और अन्य पदाधिकारियों के विदेशों के दौरों पर कितनी धनराशि खर्च की गयी। वास्तव में हमें जो जानकारी दी गई वह 1964 के बारे में थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह जानकारी उपलब्ध है; यदि हां तो क्या वह सभा पटल पर रखी जायेगी अथवा ऐसा करने में उन्हें कितना समय लगेगा।

अध्यक्ष महोदयः मैं मंत्री महोदय से पता करूंगा।

प्रश्नों की सूचना के सम्बन्ध में प्राथमिकता
PRIORITY OF NOTICE OF QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री मधु लिमये से एक सुझाव प्राप्त हुआ है कि किसी सत्र के बारे में निमंत्रण पत्र भेजे जाने के पश्चात प्रश्नों की सूचनाएं भेजने के लिये अन्तः सत्र अवधि में दिल्ली में रहने वाले और दिल्ली से बाहर रहने वाले सदस्यों को समान अवसर दिये जायें। अन्य सदस्योंने भी पहले विभिन्न रूप में ऐसे सुझाव दिये थे। मैं ने इन सुझावों पर विचार किया है। वर्तमान कार्य-प्रणाली के अनुसार आमंत्रण (सम्मन) और मंत्रियों द्वारा प्रश्नों के उत्तर दिये जाने के लिये नियत दिनों का विवरण बताने वाले समाचार (बुलेटिन) के भेजे जाने के एक दिन पश्चात् प्रश्नों की सूचनायें संसदीय सूचना कार्यालय में प्राप्त की जाती हैं और उनकी प्राथमिकता, उनकी प्राप्ति की तारीख तथा समय के अनुसार निर्धारित की जाती है। आमन्त्रण भेजे जाने के समय जो सदस्य दिल्ली में नहीं होते उन्हें इससे जो कठिनाई होती है उसे दूर करने की दृष्टि से मैं ने यह निश्चय किया है कि सदस्य प्रश्नों की सूचनायें वर्तमान व्यवस्था के अनुसार दे सकते हैं, परन्तु आमन्त्रण भेजे जाने के बाद की तारीख और उसके सातवें दिन के बीच की अवधि में प्राप्त हुई समस्त सूचनायें सातवें दिन के प्रारम्भ में ही प्राप्त हुई मानी जायेंगी। ऐसी सूचनाओं की परस्पर प्राथमिकता बैलट द्वारा निश्चित की जायेगी जैसे कि किसी एक ही दिन और एक ही समय पर प्राप्त हुई सूचनाओं के मामले में किया जाता है।

5—42 Lok Sabha/65

रेलवे (सशस्त्र सेना के व्यक्तियों का नियोजन) विधेयक

RAILWAYS (EMPLOYMENT OF MEMBERS OF ARMED FORCES) BILL

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (डा० द० स० राजू) : मैं श्री यशवन्तराव चव्हाण की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि रेलवे के कार्य-संचालन तथा प्रबन्ध में संघ की सशस्त्र सेना के व्यक्तियों के नियोजन सम्बन्धी कतिपय उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलवे के कार्य-संचालन तथा प्रबन्ध में संघ की सशस्त्र सेना के व्यक्तियों के नियोजन सम्बन्धी कतिपय उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

डा० द० स० राजू : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि विधेयक

COAL MINES LABOUR WELFARE FUND BILL

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कोयला खनन उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण में अभिवृद्धि करने के उपायों के लिये धन उपलब्ध करने सम्बन्धी विधि को संशोधित और समेकित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कोयला खनन उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण में अभिवृद्धि करने के उपायों के लिये धन उपलब्ध करने सम्बन्धी विधि को संशोधित और समेकित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

संजीवय्या : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

भारत तथा पाकिस्तान के बीच युद्धविराम के बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प तथा भारत के राष्ट्रमंडल से सम्बन्ध विच्छेद के बारे में संकल्प पर चर्चा

DISCUSSION ON U.N. SECURITY COUNCIL RESOLUTION RE : CEASEFIRE BETWEEN INDIA AND PAKISTAN AND RESOLUTION RE : INDIA QUITTING THE COMMONWEALTH

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा होगी।

भागवत झा आज़ाद (भागलपुर) : श्रीमन जी, मेरे संकल्प का एक विशेष उद्देश्य है। कल कहा गया था कि दोनों विषयों पर इकट्ठे रूप से चर्चा होगी। मेरा सुझाव है कि इसको $2\frac{1}{2}$ घंटे का समय दिया जाय और इसे अगले सत्र तक उठा रखा जाये।

श्री के० दे० मालवीय (बस्ती) : मैं ने कल भी कहा था कि इन दो विषयों पर अलग अलग चर्चा हो। इन दोनों के लिये समय भी पृथक रूप से दिया जाये।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : कल भी इस विषय पर विचार हुआ था और यह निर्णय किया गया था कि युद्ध विराम पर चर्चा के साथ साथ इस पर भी विचार हो सकता है। और समाचार (बुलेटिन) में भी यही है कि आज गैर-सरकारी कार्य नहीं लिया जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इस संकल्प को प्रस्तुत कर दिया जाये ताकि इस को अगले सत्र में सत्र से पहले ले लिया जाये।

श्री विद्याचरण शुक्ल (महासमुंद) : मैं श्री भागवत झा आज़ाद तथा श्री के० दे० मालवीय द्वारा कही गई बात का समर्थन करता हूं। इन दो महत्वपूर्ण विषयों के लिये अलग अलग समय दिया जाय।

श्री रंगा : कल प्रधान मंत्री ने भी कहा था कि दोनों विषयों पर इकठ्टे रूप से साथ साथ चर्चा हो सकती है................ **(अन्तर्बाधायें)** ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मैं माननीय श्री रंगा से सहमत नहीं। गैर-सरकारी सदस्य ने एक संकल्प को सूचना दी है और उस को चर्चा के लिये स्वीकार कर लेने के पश्चात उस माननीय सदस्य का अधिकार हो जाता है कि उस पर चर्चा हो। आप समझते है कि समय नहीं तो उस पर चर्चा को अगले सत्र तक स्थगित किया जा सकता है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I would request you to find out some way so that the discussion on the Resolution of Shri Bhagwat Jha Azad is postponed till the next session.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उस संकल्प से पहले दो और भी संकल्प हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन दोनों माननीय सदस्यों ने इस बात से सहमति प्रकट कर दी है कि तीसरे नम्बर पर जो संकल्प है उसे पहले ले लिया जाये।

श्री अल्वारेस (पंजिम) : पाकिस्तान ने हमारे देश में फूट डालने और हमारे देश के धर्म निरपेक्षता के सिद्धांन्त को समाप्त करने के लिये भारत पर आक्रमण किया है। हमें इस बात पर प्रसन्नता है कि युद्ध विराम हो गया है। हम अपने देश के जवानों तथा सेनाओं के प्रति देश का आभार व्यक्त करते हैं। हमारी सेना ने बहुत वीरता और शौर्य का परिचय दिया है। हमारे वीर जवानों ने शत्रु के बढ़िया साज सामान को तहसनहस कर के रख दिया है। पाकिस्तान को यह सामान साम्यवाद के विरुद्ध प्रयोग करने के लिये मिला था। इस युद्ध से यह सिद्ध हो गया है कि हमारे देशवासियों के उत्साह और हमारी सेना के उंचे मनोबल को कोई नीचा नहीं दिखा सकता। हम किसी भी आपत्ति का सामना कर सकते हैं।

युद्ध-विराम हो जाने के पश्चात् अब राजनैतिक दावपेचों द्वारा धोका दिया जायेगा। लड़ाई में हमारी स्थिति को हानि पहुंचाने में शत्रु असफल रहा है।

हमने यह लड़ाई पाकिस्तान की सामरिक शक्ति समाप्त करने के लिये लड़ी है। पिछले 18 वर्षों में हमें तंग किया जा रहा था। हम चाहते हैं कि इस को समाप्त कर दिया जाये। हमे केवल बातों पर विश्वास नहीं करना है। पहले भी हम बातों के चक्कर में आते रहे हैं। हमें सभी निर्णय अपने सैनिक विशेषज्ञों की सलाह से करने होंगे।

[श्री अल्वारेस]

हमें पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान की ओर से आश्वासन दिये गये हैं कि गड़बड़ नहीं होगी परन्तु अब हमें देखना है कि वास्तव में ही ऐसा न हो। हमारे देश में पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को घुसपैठियों के रूप में भेजा और ऐसा करने से इन्कार किया परन्तु संयुक्त राष्ट्र के महा सचिव कि रिपोर्ट से यह बात सिद्ध हो गई है। पाकिस्तान चाहता था कि इन घुसपैठियों द्वारा काश्मीर क्षेत्र को भारत से अलग करवा लिया जायेगा, परन्तु यह सब प्रयन्त बिफल हुए।

जहां तक हमारी नीति का सम्बन्ध है हम 5 अगस्त की स्थिति पर वापिस नहीं जा सकते। इस बात में अब कोई सन्देह नहीं रहा कि पाकिस्तान काश्मीर को आक्रमण द्वारा हमसे छीन नहीं सकता। हमें इस बात पर विचार करना है कि क्या पाकिस्तान युद्ध-विराम का पालन करेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी ऐसी बातें कही हैं जिन से पाकिस्तान पर सन्देह होने लगता है। उन्होंने कहा है कि यदि काश्मीर समस्या का समाधान न हुआ तो पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ देगा। हो सकता है पाकिस्तान ऐसा कर के चीन और इन्डोनेशिया के साथ मिल जाये। यह बात स्पष्ट है कि पाकिस्तान भारत की तरह ईमानदारी से युद्धविराम का पालन नहीं करेगा। इस लिये हमें राजनतिक चालों और अन्य प्रकार के हथकंडों के बारे में सचेत और सतर्क रहना होगा।

सुरक्षा परिषद में जब संकल्प स्वीकार हो रहा था तो हमारे कई मित्र देशों का रवैया ठीक नहीं था। हमें अपने मित्रों के बारे में पुन: विचार करना होगा। हमें अमरीका की नीति पर भी विचार करना है। अमरिका ने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि काश्मीर का भारत से विलय हो चुका है। उस देश ने हमें सामान दिये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने की धमकी दी है। हमें अमरीका के रवैये पर बहुत खेद है। हमने जिन हथियारों का इस युद्ध में प्रयोग किया था वे सब हमने खरीदे थे। इससे अमरिका तथा ब्रिटन के हथियार बनाने वाले उद्योगों को बहुत लाभ हुआ है। हमे अपने हथियारों के प्रयोग के बारे में पूर्णरूप से स्वतंत्रता है। माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा है कि जो हथियार चीन के विरुद्ध प्रयोग करने के लिये मिले थे हमने उनका प्रयोग नहीं किया है। एसी स्थिति में अमरीका द्वारा हथियारों का देना बन्द करना बहुत खेद की बात है।

ब्रिटेन राष्ट्रमंडल का नेता है। इसने काश्मीर के मामले में सदैव पाकिस्तान का पक्ष लिया है। ब्रिटन ने भी काश्मीर के भारत के साथ विलय को कभी अन्तिम नहीं माना। शायद ब्रिटेन चाहता है कि भारत के विरुद्ध चीनी धमकी बढ़ती रहे जिससे भारत को अपनी सेना पाकिस्तान की ओर से हटानी पड़े। यह रवैया बहुत खेद जनक है। हमे इस बात पर विचार करना होगा कि क्या ब्रिटेन हमारा वास्तविक मित्र है? पाकिस्तान ने आक्रमण किया है इस बात में संयुक्त राष्ट्र के महा सचिव की रिपोर्ट के पश्चात् कोई सन्देह नहीं रह जाता। पाकिस्तान ने पिछले 18 वर्षों में तीन बार आक्रमण किया है। ब्रिटेन ने इस अवधि में क्या किया है। वह कमसे कम निष्पक्ष रवैया तो अपना सकता था। ऐसी स्थिति में हमे अपनी राष्ट्रमंडल की सदस्यता जारी रखने पर भी विचार करना होगा इससे यदि हमे कोई लाभ न हो तो हमे इससे सम्बन्ध विच्छेद कर लेना चाहिये। इस के विपरित अफ्रीकी-एशियाई सदस्य देश यह भी सोच सकते हैं कि ब्रिटेन राष्ट्रमंडल का ठीक प्रकार से नेतृत्व करने में असफल रहा है तो हमें ब्रिटेन से इस पद से हटाने को कह देना चाहिये। इन दो सुझाओं पर विचार किया जाना चाहिये। मेरा विचार किया है कि प्रधान मंत्री इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करेंगे।

यह भी बड़े आश्चर्य और दुःख की बात है की रूस ने भी हमारे पक्ष के बिना शर्त के समर्थन के अपने रवैये में परिवर्तन कर लिया है। रूस सदैव हमारे पक्ष की रक्षा करता रहा है। अब उसने सुरक्षा परिषद् के ऐसे संकल्प पर आपत्ति नहीं उठाई जिसमें हमारे पक्ष को हानि पहुंचाने वाली बातें हैं। इनमें उनकी नीति में परिवर्तन का स्पष्ट रूप से पता चलता है। इस पर हमे बहुत आश्चर्य हुआ है।

चीन ने भी कई प्रकार की चालें चली हैं। चीन के आक्रमक रवैये की ओर भी सचेत रहने की बहुत आवश्यकता है। यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान संघर्ष में चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया है। चीन ने हमे चेतावनी दी थी। हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिये। पाकिस्तान को हार से बचाने के लिये पश्चिमी देशों की भान्ति उसकी भी यह एक चाल थी।

मध्य पूर्व के कई देशों ने भारत का समर्थन किया है। हम उनके आभारी हैं परन्तु इस समय हमे एक छोटे राष्ट्र अर्थात् मलेशिया का धन्यवाद करना चाहिये जिसने चीन और इण्डोनेशिया की शत्रुता के होते हुए भी इस कठिनाई के समय में हमारे पक्ष का समर्थन किया है। हमें उसका आदर करना है और इस देश से मैत्री बढ़ानी है।

पश्चिमी देश पाकिस्तान का पक्ष लेकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि पाकिस्तान चीन की ओर से मुह फेर ले और उससे मैत्री न बढाये। अब रूस द्वारा यह काम करवाया जा रहा है। रूसके प्रधान मंत्री का हमारे प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति को निमन्त्रण इसी बात का द्योतक है। हमें यह निमन्त्रण स्वीकार कर लेना चाहिये परन्तु साथ में यह भी स्पष्ट कर देना चाहिये कि सेनाओं के हटाने के बारे में हमारे सैनिक विशेषज्ञों की रायके अनुसार होगा। हमें पाकिस्तान के घुसपैठियों को भारत में घुसने के रास्तों से पिछे नहीं हटना है।

प्रश्न यह है कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय गारंटिया पर्याप्त हैं। दो बार संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को आक्रमणकारी सिद्ध किया जा चुका है। फिर भी संयुक्त राष्ट्र इस बात में असफल रहा है कि पाकिस्तान को रोक सके। हमें सैनिक गारंटी मिलनी चाहिये कि भविष्य में पाकिस्तान ऐसा काम नहीं करेगा। वर्तमान स्थिति में तो केवल सैनिक सुरक्षा ही एक मात्र गारंटी है। इस बारे में हमारी सेनाओं ने अपनी योग्यता का बहुत अच्छा प्रमाण दिया है।

इसलिये हमें न केवल सैनिक मोर्चेपर बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में भी सतर्क रहना है। हमें अपनी सैनिक आवश्यकताओं के बारे में आत्मनिर्भर बनना है। हम राजनैतिक क्षेत्र में असफल रहे हैं। हमारा विदेशों में प्रचार कार्य ठीक प्रकार से नहीं किया गया। विदेशों में हमारे पक्ष को ठीक तरह से समझा नही जाता। इस लिये हमें अपने प्रचार कार्य को ठीक करना है।

पाकिस्तान ने हमारे असैनिक क्षेत्रों पर बमवर्षा की है उसने युद्ध विराम के बाद भी हमें हानि पहुंचाई है। हमने लाहौर और अन्य नगरों पर जानबुझ कर कब्जा नहीं किया। हम नागरिकों को किसी प्रकार की क्षति नही पहुंचाना चाहते। यह सब बातें हमारे दूतावासों को विदेशों में बतानी चाहिये थी। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री इस विषय पर विचार करें।

देश की आन्तरिक दशा पर नजर रखनी होगी और किसी भी समस्या की उपेक्षा नहीं करनी होगी।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

"इस सभा की राय है कि भारत को राष्ट्र मंडल से सम्बन्ध विच्छेद कर लेना चाहिये।"

मैं पहले श्री अल्वारेस द्वारा आरंभ की गई चर्चा के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। सब से पहले तो मैं माननीय प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान को अच्छा उत्तर दिया है। हमें गर्व है कि हमारी स्थल तथा वायु सेना ने बहुत अच्छा कार्य किया है और देश के मान को बढ़ाया है। युद्धविराम तो हो गया है परन्तु पाकिस्तान के नेता अभी भी लड़ाई की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान अभी भी लड़ाई कर रहा है। उन्होंने जोधपुर तथा अमृतसर पर बमवर्षा की है। पूरी सीमा पर उन का

[श्री भागवत झा आजाद]

रवैया आक्रमक है। हमें सुरक्षा परिषद को बता देना चाहिये कि पिछले 17 वर्षों में उन्होंने आक्रमणकारी और आक्रमण के शिकार को बराबर समझा है। हमें अब बता देना होगा कि हम 5 अगस्त को स्थिति पर वापिस नहीं जा सकते। हमें सुरक्षा परिषद को यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहिये। अब तो हमारी यह मांग है कि पाकिस्तान ने जिस क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, उसे उस को खाली कर देना चाहिये। सुरक्षा परिषद को इस बारे में कार्यवाही करनी होगी।

अपने संकल्प के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अब तो ब्रिटेन को ही राष्ट्रमंडल से निकालने के बारे में सोचना चाहिये। स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने सोचा था कि यह संगठन राष्ट्रों के हित में कार्य करेगा। हम 1947 से पहले के अंग्रेजों द्वारा किये गये जुल्म को राष्ट्रमंडल में शामिल होकर भूलना चाहते थे। हम अपने सम्बन्धों में एक नया अध्याय आरंभ करना चाहते थे।

देश विभाजन करके उन्होंने पाकिस्तान को भारत के विरूद्ध प्रयोग करने का हथियार बना लिया है। ब्रिटन सदैव भारत को विरोध करता है और पाकिस्तान की सहायता करता है।

यह बात सर्व विदित है कि 5 अगस्त को पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था जब 1 सितम्बर को छम्ब-जोरियां पर भी आक्रमण हुआ तब भारत को अपनी रक्षा के लिये विवश होना पड़ा।

मैं ब्रिटेन के प्रधान मंत्री तथा लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें तथ्यों का पता नहीं। उस समय तक उन्होंने इस आक्रमण की निन्दा नहीं की, परन्तु 6 सितम्बर को जब भारत ने कार्यवाही की तो ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने भारत के विरूद्ध चिल्लाना शुरू कर दिया। यह रवैया बहुत खेदजनक है। ब्रिटेन की विल्सन सरकार ने भारत के साथ जो विश्वासघात किया है और जो नोचता दिखाई है उसके लिय मेरे पास कई उदाहरण हैं। ब्रिटन की दो गैर-सरकारी कम्पनियों को एक करार के अन्तर्गत भारत को हंटर हॉक विमानों के दो स्क्वैड्रेन देने थे, परन्तु श्री विल्सन ने उन्हें विमान सप्लाई न करने के लिये मजबूर किया। एक जहाज़ को जिसमें 2000 पौंड के मूल्य के रेडियो के फालतू पुर्जे भारत को आ रहे थे बीच में रोक लिया गया था।

श्री विल्सन के बारे में मैंने काफी पढ़ा है और उनके लम्बे लम्बे लेख भी पढ़े है। वह इस बात की बहुत डींग मारते है कि वह लोक तन्त्र के अनुयाई है और तानाशाही का विरोध करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान में मतदान का अधिकार लोगों को दिया गया है? क्या वह वहां की तानाशाही का विरोध करते हैं? भारत भी लोकतन्त्र में विश्वास रखता है फिर वह भारत के विरूद्ध पाकिस्तान का पक्ष क्यों लेते हैं जिसने कि भारत पर आक्रमण किया है। वहां के रेडियो पर भारत के विरूद्ध ओर पाकिस्तान के पक्ष में प्रचार किया जाता है। वहां के 7 सितम्बर के 'गार्डियन' (Guardian) समाचार पत्र ने अपने सम्पादकीय लेख में लिखा है कि भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को पार किया है और छम्ब में पाकिस्तानी आक्रमण की तुलना वह गोआ की आज़ादी से करता है। वहा के समाचार पत्रों से अब फिर से स्वतन्त्र काश्मीर की रट लगानी शुरू कर दी है। वह कहते हैं कि मुस्लिम काश्मीर इस्लामी के सिद्धान्त पर बने पाकिस्तान को जाना चाहिये। श्री विल्सन वहां एक समाचार पत्र "न्यू स्टटसमन" (New Statesmen) के समर्थक हैं। उसमें पाकिस्तान की सैनिक कार्यवाहियों की बड़ी प्रशंसा की गई है और उसमें पाकिस्तान के एक सैनिक को भारत के 3 सैनिकों के बराबर बताया गया है। परन्तु मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अन्त में परिणाम क्या निकला?

श्री दाजी : एक पैटन टैंक तीन सैनिकों के बराबर भी नहीं है।

श्री भागवत झा आजाद : विल्सन सरकार और वहां के समाचार पत्रों की नीचता की एक और कहानी है। भारत पर चीन के आक्रमण के खतरे के बारे में समाचार पत्र लिखते हैं कि वहां पर चीन का कोई बड़ खतरा नहीं है; हो सकता है चीन सिक्किम के पास अपनी सीमा रेखा को सीधा करना चाहता हो। यह छोटा सा मामला है और भारत अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है। ऐसा उन्होंने कहा है। हमारे प्रधान मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि यह राष्ट्र अपने सम्मान के लिये लड़ेगा। हमने किसी से भीख नहीं मांगी है। हमने विदेशों से जो भी सनिक सामान लिये पैसे देकर लिया है। ब्रिटिश विदेश सचिव श्री स्टीवर्ट से पूछा गया कि चीनी खतरे के संबंध में आपकी क्या राय है तो उन्होंने कहा कि यह संभव है कि खतरे को देखते हुए लोग समझौता करने के लिये अधिक इच्छुक हो जायेंगे। श्री बिक्टर जोरसा के शब्दों में ब्रिटेन की खामोशी से चीन यह समझने लगा है कि भारत-पाकिस्तान के झगड़े में चीन यदि हस्तक्षेप करेगा तो भी पश्चिमी शक्तियां बीच में नहीं पड़ेगी। यही बात है कि ब्रिटिश सरकार यह चाहती है कि चीन का हमला हो और हम कमजोर पड़ जायें और अपनी प्रभुसत्ता पाकिस्तान के पैरों में रखने के लिये मजबूर हो जायें।

दुनिया जानती है कि अमरीका वासी चीन का विरोध करते हैं ब्रिटिश और ब्रिटिश सरकार चीन समर्थक हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के लिये चीन के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार करने की संभावना है। हम चाहते हैं कि अमरीका के साथ हमारी मित्रता बढ़े। अमरीका को विदेशों से अपने संबंध ब्रिटेन के द्वारा नहीं बनाने चाहिये बल्कि सीधे ही स्थापित करने चाहिये। सुरक्षा परिषद में ब्रिटेन और दूसरे देशों ने कहा कि भारत द्वारा पश्चिमी पंजाब पर हमला आक्रमण है और पाकिस्तान द्वारा काश्मीर पर हमला आक्रमण नहीं है। रुस ने इस अन्तर को मानने से इन्कार कर दिया। इसलिये रूस हमारा मित्र है। हम उसका धन्यवाद करते हैं। मैं मलेशिया का भी दिल से धन्यवाद करता हूं जो कि एक छोटा देश है परन्तु जिसका दिल बहुत बड़ा है।

हमें राष्ट्रमण्डल से अपने संबंध तोड़ लेने चाहिये। प्रधान मंत्री को राष्ट्रमण्डल में हमारे मित्र देशों से कहना चाहिये कि ब्रिटेन को उससे निकालने के लिये कदम उठाये जाये। ब्रिटेन ने भारत का विभाजन किया, आयरलैंड का विभाजन किया। ब्रिटिश सरकार ने एक चीज और की है। यहां पर तो आंग्रेजों की संख्या पहले से ढाई गुना हो गई है परन्तु, वहां हमारे प्रवेश पर उन्होंने रोक लगा दी है। हमें चाहिये कि यहां पर जो भी ब्रिटिश कम्पनियां, चाय बागान, पटसन बागान हैं उनका और बरमा शेल का राष्ट्रीयकरण करें और 'रायटर्स' (Reuters) एजेंसी को बन्द करें जिसे कि आकाशवाणी बहुत मोटी रक्कम दे रही है। मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस संस्था से बाहर आ जायें जिसने हमें आघात पहुंचाया है।

मैं सभा से इस संकल्प को स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"इस सभा की राय है कि भारत को राष्ट्रमंडल से संबंध विच्छेद कर देने चाहियें।"

श्री श्री नारायण दास (दरभंगा) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं।

श्री अ० चं० गुहा (बारसाट) : मैं अपना स्थानापन्न संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं।

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 5 प्रस्तुत करती हूं।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री करणी सिंहजी (बीकानेर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 7 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरुदासपूर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 8 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : प्रधान मंत्री ने सुरक्षा परिषद में प्रस्तावों को स्वीकार करने में जो कूट नीति दिखाई है उसके लिये उनको बधाई देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह चर्चा 4.30 तक जारी रहेगी उसके बाद प्रधान मंत्री उत्तर देंगे ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : श्री चागला ने भारत का मामला जिस योग्यता से सुरक्षा परिषद में रखा उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं ।

इस लड़ाई में शाही आबादी को काफी नुकसान उठाना पड़ा है । पाकिस्तान ने नपाम बम गिराये जो कि उनके जंगलीपन का परिचय देता है ।

इस लड़ाई में हमारे जवानों ने शौर्य का परिचय दिया है और अपनी जान पर खेल गये हैं इसके लिये मैं उनको श्रद्धांजली अर्पित करता हूं । उनका नाम इस देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा ।

स्वतन्त्र पार्टीने बार बार यह सुझाव दिया है कि बचाव का सब से अच्छा तरीका है जवाबी हमला चाहे इसके लिये हमें दुश्मन को जमीन पर ही क्यों न लड़ना पड़े । हमें बड़ी उम्मीदें थीं कि काश्मीर का प्रश्न हमेशा के लिये खत्म कर दिया जायेगा । यद्यपि हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है फिर भी हमारे जवानों ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिये हैं और आज सियालकोट के और लाहोर दरवाजे पर तिरंगा लहरा रहा है । राजाजी के शब्दों हमें युद्धविराम तब मानना चाहिये जब कि पाकिस्तान अपनी गलती मानने के लिये और मुआवजा देने के लिये तैयार हो ।

हमारे काश्मीरी भाईयोंने इस युद्ध में भारत का साथ दिया और यह इस बात का प्रमाण है कि वे काश्मीर को भारत का अंग समझते हैं । पाकिस्तान के कच्छ की लड़ाई में भारत के विरुद्ध पैटन टैंकों का प्रयोग किया और यदि अमरीकाने उसे तभी रोका होता तो लड़ाई इतनी बढ़ने नहीं पाती । जब पाकिस्तान को सशस्त्र सैनिकों की घुसपैठ की कार्यवाही को विफल कर दिया गया तो उसने छम्ब जोरियाँ क्षेत्रों में 70 पैटन टैंकों के साथ हमला किया और वहां अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को पार किया । भारत को मजबूर हो कर लाहौर में नया मोर्चा खोलना पड़ा ।

अमरीका ने भारत को आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान को दी गई सैनिक सामग्री का प्रयोग भारत के विरुद्ध नहीं किया जायेगा । परन्तु, बड़े खेद की बात है कि अमरीकाने पाकिस्तान को अभी तक एक बार भी इस संबंध में कुछ नहीं कहा है । फिर भी मैं अपने अमरीकी मित्रों को बधाई देता हूं कि जब चीन ने धमकी दी थी तो उन्होंने खुले रूप से कह दिया था कि यदि चीन ने आक्रमण किया तो भारत को शस्त्रों की सहायता दी जायेगी ।

जहां तक रूस का संबंध है सुरक्षा परिषद में काश्मीर के मामले पर बहस के दौरान रूसने जो नर्मी दिखाई है उसपर हमें आश्चर्य है । मेरे माननीय मित्र श्री भागवत झा आजादने राष्ट्रमंडल से अलग होने को बड़े जोरदार शब्दों में सिफारिश की है । मैं यह बता देना चाहता हूं कि अब यह ब्रिटिश

राष्ट्र मंडल नहीं है, केवल राष्ट्रमंडल है। इसका स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरु इसके निर्माता हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां हम अन्य देशों को अपना दृष्टिकोण बता सकते हैं। क्या इंडोनेशिया ने संयुक्त राष्ट्र से बाहर निकल कर कोई फायदा उठाया है ? इस लिये मैं नहीं समझता कि हमें राष्ट्रमंडल से बाहर निकलना चाहिये ।

ब्रिटेन हमारे देश के प्रति जो रवैया अपनाया है वह असंतोषजनक है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें राष्ट्रमंडल का बहिष्कार कर देना चाहिये। हमें इस मामले पर गंभीरतापूर्वक और शांति से विचार करना चाहिये ।

1949 में हमने बहुत बड़ी भूल की और ऐसी रेखा को सीमा मान लिया जो प्रतिरक्षा की दृष्टि से अच्छी नहीं थी। यही कारण है कि पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ और सीमा उल्लंघन की कार्यवाहियां निरन्तर होती रहती हैं। इन सब कठिनाइयों का हल केवल यही है कि काश्मीर में जो ठिकाने इस समय हमारे कब्जे में हैं जैसे कि कारगिल, उड़ी, पुंछ क्षेत्र, हाजीपीर दर्री, टिटवाल आदि उनको नहीं छोड़ना चाहिये। इस संबंध में मैं प्रधान मंत्री से स्पष्ट शब्दों में आश्वासन चाहता हूं।

जहां तक हमारी विदेशी नीति का संबंध है इसमें आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमारी गुटनिपक्ष नीति का मांग फूट गया है। मलेशिया और सिंगापुर को छोड़ कर हमारे किसी भी मित्र का पता नहीं लगा कि वे सब कहां गये। हमें रुस और अमरीका से मित्रता बढ़ानी चाहिये और उनकी चीन विरोधी नीति से फायदा उठाना चाहिये ।

यद्यपि पाकिस्तान से हमने लड़ाई जीत ली है परन्तु जहां तक विदेशों में प्रचार का संबंध है इस मामले में प्रचार का हम से बाज़ी ले गया है। प्रतिरक्षा मंत्रालय के प्रचार विभाग और समाचार सूचना विभाग में उचित समन्वय नहीं है जो कि होना चाहिये। हम अब भी विदेशों में प्रचार के लिये श्री कृष्ण मेनन जैसे व्यक्तियों को भेजते हैं जो हमारे लिये मित्र बनाने की बजाय अधिक शत्रु पैदा करते हैं।

अन्त में मैं काश्मीर के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। काश्मीर बहस का विषय नहीं है। यह एक हमारी घरेलू समस्या है। इसमें किसी तीसरे व्यक्ति के दखल का प्रश्न ही नहीं उठता। यद्यपि युद्ध समाप्त हो गया है परन्तु दुश्मन अब भी शहरी आबादी पर बम गिरा रहा है, इस लिए हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है।

श्री हा० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : विभाजन के पश्चात से ही साम्राज्यवादी शक्तियां इस बात के लिये प्रयत्नशील हैं कि काश्मीर को भारत से छीन कर पाकिस्तान को दे दिया जाये। काश्मीर पृथ्वी पर स्वर्ग के समान है परन्तु इसको नर्क बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री भागवत झा आज़ाद ने बताया ब्रिटेन ने काश्मीर के मामले में बहुत ही पक्षपात का रवैया अपना रखा है जिसके लिये उसको शर्म आनी चाहिये। श्री विल्सन ने ब्रिटिश समाजवाद का चोला पहन रखा है। यदि वह अब भी यह समझते हैं कि वह भारत को आदेश दे सकते हैं तो हमारी संसद को बता देना चाहिये उन्हें उस बड़े साहब के चोले को अपनी पाइप में सुलगा कर पी लेना चाहिये ।

ब्रिटेन और अमरीका से जो सहायता हमें मिलती थी वह उन्होंने इस कारण रोक ली है कि हमने अपराध किया है, आक्रमण को रोकने के लिये अपने बचाव के लिये हमने प्रयत्न किया है। हमने अमरीका से कुछ एफ-104 लड़ाकू विमानों के लिये कहा था, परन्तु हमें कहा गया कि हमारे चालक इतने योग्य नहीं है कि इनको चला सकें। हमने एक पनडुब्बी मांगी तो हमें बताया गया कि यद्यपि हमारी तटरेखा काफी लम्बी है। हमें नौसेना की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान को एफ-104 विमान,

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

पैटन टैंक, पनडुब्बियां और न जाने क्या क्या हथियार और सैनिक सामान बराबर दिया जाता रहा। हमारे पिछले कुछ सप्ताहों के अनुभव ने हमें बता दिया है कि हमें जो आर्थिक सहायता दी गई वह भी बिना शर्तों के नहीं थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं यदि आज हमारे देश में यह आवाज उठाई जाय कि हमें राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं रहना चाहिये। राष्ट्रमंडल में न रह कर भी हम जोमो केन्याटा और न्येरेरे जैसे व्यक्तियों से मित्रता बनाये रख सकते हैं। यह मसला देश के सामने कई सालों से है और अब यह आवश्यक हो गया है कि हम राष्ट्रमंडल को छोड़ दें।

जैसा कि श्री भागवत झा ने बताया वहां के समाचारपत्र और रेडियो ने काश्मीर की घटानाओं को भारत के विरुद्ध जनता का विद्रोह बताया है। हमने 'लन्दन टाइम्स', 'मानचेस्टर गार्डियन', 'न्यू स्टेट्समैन' और नेशन' जैसे पत्र पत्रिकाओं के पाखंड को देख लिया है। आप यहीं पर संसद् के पुस्तकालय में जाकर 'टाइम्स' तथा 'न्यूजवीक' की उपलब्ध पत्रिकाएं देखिए, उनमें लिखी बातों को देख कर आपका रक्त खौलने लगेगा, हमारे देशवासी बहुत धैर्यवान तथा नम्र स्वभाव के हैं, ये विदेशी पत्रकार गलत तथा भ्रामक समाचार विदेशों को भेजते हैं। सरकार को विदेशी प्रेस वालों को ऐसी रचनाएं भेजने की अनुमति नहीं चाहिये। मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय को इस सम्बन्ध में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं और उन्हें भी ऐसे व्यक्तियों को प्रेस दीर्घा में नहीं आने देना चाहिये जो कुछ गुप्त राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर गलत तरीके से समाचार भेजते हैं।

सुरक्षा परिषद् का संकल्प हमारे समक्ष है। इसमें पाकिस्तान की आक्रमणकारी के रूप में निन्दा नहीं की गई है। भारत तथा पाकिस्तान को, आक्रमण के शिकार तथा आक्रमणकारी को लगभग समान दर्जा दिया गया है। इसमें घुसपैठ का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में, प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह हमें फिर से यह आश्वासन दे कि वह अपने पुराने रवैये पर डटे रहेंगे। काश्मीर का मामला सुरक्षा परिषद् द्वारा नहीं सुलझाया जाना चाहिये। हम पाकिस्तान के साथ इस मामले को स्वयं सुलझायेंगे। पाकिस्तान को यह मालूम हो गया है कि उसे काश्मीर सैन्य-बल के आधार पर नहीं मिल सकता।

हमारे लिये यह भी आवश्यक है कि हम अपने राजनयिक कार्य में तीव्रता लायें। हमें पाकिस्तान तथा अन्य देशों के लोगों से अपनी ठोस धर्मनिर्पेक्ष लोकतंत्रीय नीति स्पष्ट करनी है जिसे हम पालन करने का प्रयत्न करते चले आ रहे हैं। भारतीय मुसलमानों ने अपने आचरण से किसी हद तक यह सिद्ध कर दिया है कि वे किसी भी अन्य व्यक्ति की भांति भारतीय रवैये का समर्थन करते हैं और उस पर अटल हैं। हमें तानाशाही तथा अय्यूब शासन की बुराई के खिलाफ अपनी भद्रता के रवैये के बारे में भी स्पष्टीकरण करना चाहिये। प्रधान मंत्री ने हाल ही में यह कहा है कि अन्ततोगत्वा दो देशों के बीच कोई मैत्रिपूर्ण समझौता करना ही पड़ेगा, जो दोनों देशों को मान्य हो। सोवियत संघ का रवैया सराहनीय एवं मैत्रिपूर्ण रहा है। उन्होंने हमें सहायता दी है और भविष्य में भी देने का वचन दिया है, उनका रवैया एक सिद्धान्त पर आधारित है। इसी लिये हम उनकी सहायता पर निर्भर रह सकते हैं। किन्तु फिर भी हमें आत्मनिर्भर होने का सबक सीखना है। हमें सदैव सतर्क, सावधान तथा तैयार रहना होगा। हमें अपने प्रतिरक्षा उद्योग का निर्माण करना चाहिये और उसे सुदृढ़ बनाना चाहिये। हमें उन कट्टर साम्प्रदायियों, मुनाफाखोरों, जमाखोरों तथा एकाधिकारियों पर नियंत्रण लगाना चाहिये जो वातावरण को दूषित बनाते हैं और संकटकाल में लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं। हमें खाद्य समस्या हल करने के लिये सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिये। श्रमिकों की दशा में भी सुधार किया जाना आवश्यक है। इन उद्देश्यों के प्रति पर्याप्त ध्यान देने तथा उनकी प्राप्ति के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहने पर ही हम देश की रक्षा करने में सफल हो सकेंगे।

श्री अन्सार हरवानी (बिसौली) : उपाध्यक्ष महोदय, 18 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद भी, जैसा कि मैंने कई अवसरों पर सभा को बताया है, पाकिस्तान ने राष्ट्रीयता प्राप्त नहीं की है। पाकिस्तान की राष्ट्रीयता, नेतृत्व, इतिहास, संस्कृति आदि भारत के प्रति घृणा की भावना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान से हमें जो खतरा पैदा हो गया है, हम उसका सामना कर रहे हैं। खतरा अभी बना हुआ है और भविष्य में भी वह बना रहेगा। पाकिस्तान समय-समय पर हम पर आक्रमण करता रहा है।

हमें प्राय: ग्रेट ब्रिटन तथा, अमरीका द्वारा यह स्मरण दिलाया जाता है कि हमने काश्मीर मे जनमत संग्रह करने का वचन दिया था, किन्तु यह वचन इस शर्त के आधार पर दिया गया था कि पाकिस्तान तथाकथित अधिकृत काश्मीर से अपना आक्रमण हटाकर उसे खाली कर दे। इन 17 वर्षों के दौरान हमने जम्मू तथा काश्मीर में तीन बार निर्वाचन करवाये हैं और उनके परिणामस्वरूप वहां जो सरकार बनी, वह सदैव भारत के साथ विजय के पक्ष में रही है। आज जम्मू तथा काश्मीर, मद्रास, बम्बई अथवा महाराष्ट्र की भांति भारत का अभिन्न अंग है और विश्व की कोई भी शक्ति उसे हमसे छीन नहीं सकती।

पाकिस्तान ने हमारे इस महान देश पर आक्रमण करते समय बहुत गलत अनुमान लगाया था। काश्मीर की जनता तथा वहां की सरकार ने घुसपैठियों का मुकाबला करने में सराहनीय शौर्य प्रदर्शित किया है।

भारत पर किये गये आक्रमण ने राष्ट्रमंडल से हमारा विश्वास उठा दिया है। हमें ब्रिटेन से कह देना चाहिये कि भारत में अब अंग्रेजी शासकों की हुकूमत नहीं रही। गत 300 वर्षों में हमने काफी अवमान सहन किया है और अब हम और अधिक अवमान सहन करने के लिये तैयार नहीं है। यदि वे हमें बाध्य करें, तो उस स्थिति में हम राष्ट्रमंडल से ही सम्बन्ध विच्छेद कर देंगे।

सैनिक दृष्टि से हमने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त कर ली है। हमारे कारखानों में उत्पादन-कार्य चल रहा है। अब, एक शक्तिशाली राजनयिक मोर्चा कायम करने की आवश्यकता है। मेरा वैदेशिक-कार्य मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह अपने मंत्रालय तथा राजनयिक सूत्रों को सुदृढ़ करें। अफ्रो-एशियाई देशों में हमें अपने प्रतिनिधियों को भेजना चाहिये जो उन देशों में जाकर उन्हें भारत के दृष्टिकोण, रवैया तथा उसका मामला स्पष्टत: समझा सकें। भारत का मामला स्पष्टत: बिलकुल ठोस है, उसे समझाने की आवश्यकता है और इसे वही समझा सकते हैं जिनका भारत की नीतियों तथा कार्यक्रमों पर विश्वास है।

मैं अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व, पाकिस्तानी शासकों को एक बार फिर से यह चेतावनी देता हूं कि प्रत्येक भारतीय मुसलमान, चाहे वह पुरुष हो, अथवा स्त्री या बच्चा, इस प्राचीन देश की रक्षा करने में अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मैं संकल्प के प्रस्तावक महोदय द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सहमत हूं। संयुक्त राष्ट्र के संकल्प में स्थिति सम्बन्धी तथ्यों के समझाने में पूर्ण अभाव दिखाई देता है—या तो जानबूझकर एसा किया गया है अथवा यह अविवेकपूर्ण है। इस बात के सिद्ध हो जाने पर भी कि पाकिस्तान द्वारा आक्रमण किया गया है, इसमें इस तथ्य के बारे में एक अपूर्व उपेक्षा दिखाई देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि काश्मीर सम्बन्धित इस महत्वपूर्ण मामले को समझाने में विश्व के सभी प्रधान न्यायालयों एवं विदेशी कार्यालयों ने समझ का अभाव दिखाया है। यह भी साफ जाहिर है कि काश्मीर सम्बन्धी मामले के बारे में उचित रूप से स्पष्टीकरण तथा प्रचार नहीं किया गया है और उसे विश्वमत के समक्ष उचित रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

[डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी]

संयुक्त राष्ट्र के संकल्प में सर्वप्रथम आपत्तिजनक बात यह है कि इसमें जनरल निम्मो तथा महा-सचिव के रिपोर्टों पर, जिनमें पाकिस्तान को आक्रान्ता बताया गया है, गौर नहीं किया गया है। संयुक्त राष्ट्र से हमें यह आशा थी कि वह सर्वप्रथम इस तथ्य का स्पष्टीकरण करेगा कि पाकिस्तान द्वारा आक्रमण की कार्यवाही आरम्भ की गई है। दूसरी बात यह कि इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है कि पाकिस्तान ने आक्रमण की कार्यवाही करके शान्ति भंग की है। सुरक्षा परिषद ने जानबूझकर इस प्रश्न को टाला है और उसने अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाया है। अतः ऐसा प्रतीत होता है यह संस्था उस मतैक्य के राजनीतिक अंग के रूप में कार्य करती है जो कि इस मामले के तथ्यों, गुणों तथा न्याय की ओर उचित ध्यान दिये बिना बड़ी शक्तियों के बीच हुआ। सुरक्षा परिषद् के समक्ष हमारी शिकायत के सम्बन्ध में निश्चय ही ऐसी बात रही है।

[**श्री सोनवने पीठासीन हुए**
SHRI SONAVANE *in the Chair*]

पाकिस्तान जहां तानाशाही शासन है, युद्ध को अपनी राजनैतिक तथा राजनयिक नीतियों का साधन समझता है। हम जानते हैं कि काश्मीर पर पाकिस्तानी आक्रमण के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र के एक मध्यस्थ सर आवेन डिक्सन की उपपत्तियों को किस प्रकार खटाई में डालकर उन्हें भुला दिया गया है। फिर एक बार और हम देखते हैं कि लेफ्टिनेन्ट जेनरल निम्मो की उपपत्तियों के इसलिये खटाई में डाल दिया गया है क्योंकि बड़ी शक्तियां ऐसा चाहती हैं। यह एक ऐसी बात है जिसके लिये भारतीय लोकमत तथा विज्ञमंडल (इनटेलीजेंसिया) संयुक्त राष्ट्र संघ को कभी क्षमा नहीं कर सकता।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह संकल्प पारित करके कि 5 अगस्त, 1965 को हमारे तथा पाकिस्तान के अधिकार के अन्तर्गत स्थानों पर हमें वापस चला जाना चाहिए, उसने अपने को पाकिस्तान की दुष्ट राजनयिकता का साधन बनने दिया है। इससे पूर्व कि वे हम से कुछ करने को कहें, संयुक्त राष्ट्र को सर्वप्रथम यह व्यवस्था करानी चाहिए कि 13 अगस्त, 1948 के संकल्प के अनुसार पाकिस्तान पहले अपनी सेनाएं वापस हटा ले।

आज चीन इन्डोनेशिया और पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाकर उनके साथ मिलकर गठबन्धन कर रहा है। इन तीन देशों के बीच स्पष्ट मैत्री है और संयुक्त राष्ट्र संघ के इस संकल्प से इस मैत्री की ओर भी अधिक बढ़ने की संभावना है।

ऐसा प्रतीत होता है कि संकल्प में शान्ति स्थापना तथा आक्रमण हटाने के लिए की गई व्यवस्था के सफल होने में सन्देह है। आज हमारा कोई मित्रराष्ट्र नहीं है और हमने यह देखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सिद्धान्तों अथवा 'चार्टर' के अनुरूप नहीं अपितु राजनैतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर काम करता है। अमेरिका ने इस मामले पर टाल-मटोल की है और ब्रिटेन ने निश्चित रूप से पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन किया है—और अप्रत्यक्ष रूप से एशिया में चीन के रवैया का समर्थन किया है। अमेरिका हमारी तटस्थ रहने की नीति का अनुसरण कर रहा है, यद्यपि वह हमारी गठबन्धन से अलग रहने की नीति का सदैव आलोचक रहा है।

ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान चीन और इन्डोनेशिया की ओर अधिकाधिक झुकता चला जा रहा है। ब्रिटिश समाचार पत्रों ने पाकिस्तानी आक्रमण को एक तरीके से प्रोत्साहित किया है जो ग्रेट ब्रिटेन की अच्छी परम्परा के प्रतिकूल है। ऐसा लगता है कि ब्रिटिश समाचार पत्रों ने इस मामले को बिना मनन किये तथा पक्षपातपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है जिसका उन्होंने पहले ही निश्चय कर लिया था। ग्रेट ब्रिटेन से स्थिति की वास्तविकता के सम्बन्ध में केवल एक ही बुद्धिमत्तापूर्ण आवाज निकली है, वह थी लॉर्ड एल्ट्रिकम की, जिन्होंने **मानचेस्टर गार्डियन** अति सुन्दर ढंग से एक लेख प्रकाशित किया था। ब्रिटेन के इस रवैये को देखते हुए अब देश की इस मांग पर विचार करने का समय आ गया है कि हमें राष्ट्र मंडल से अपना सम्बद्ध विच्छेद कर देना चाहिये।

हमारा एक धर्म निर्पेक्ष गणतंत्र राष्ट्र हैं। हम एशियाई देशों को निश्चित ही मार्गदर्शन करा सकते हैं। विश्व के सभी देशों को यह बात स्पष्ट रुप से समझा देनी आवश्यक ले कि हम विश्व में शान्ति के उद्देश्य के लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं।

जहां तक रुस का सम्बन्ध है, उसन हमें अत्यधिक आवश्यकता के समय सहायता दी है और भारत तथा पाकिस्तान के बीच पारस्परिक सम्बन्धों को सुधारने के लिए भी प्रयत्नशील है। हमें रुस से अपने मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने के बारे में बहुत सतर्कता एवं सावधानी से काम लेना आवश्यक है।

सरकार को यह बात पूर्णत: स्पष्ट कर देनी चाहिए कि हमारे जवानोंने युद्ध-क्षेत्र में बिना उद्देश्य अपना रक्त नहीं बहाया है और उनका जीवन-बलिदान व्यर्थ नहीं जायेगा और हम अन्तर्राष्ट्रीय दबाव तथा पक्षपात की वेदी पर अपने सीमावर्ती सैनिक जीव्यता का बलिदान नहीं करेंगे। सरकार को यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जिन स्थानों पर हमने अधिकार किया है वह पाकिस्तानी आक्रमण के परिणाम-स्वरुप नहीं अपित सैनिक महत्व की दृष्टि से ऐसा करना अनिवार्य था।

श्री अं० चं० गुह (बारसाट) : सुरक्षा परिषद के संकल्प में मुख्य त्रुटि यह है कि उसमें आक्रान्ता का उल्लेख नहीं किया गया है और इसे जान बूझकर टाल दिया गया है। सुरक्षा परिषद का मूल कर्तव्य इस तथ्य पर प्रकाश डालना है कि कौन आक्रान्ता है और कौन देश आक्रमण का शिकार बना है। उसके लिए यह उचित नहीं है कि व ह दोनों को एक ही श्रेणी पर रखे।

काश्मीर पर पाकिस्तान के दावे को स्वीकार नहीं किया गया है। जहां तक काश्मीर विवाद का सम्बन्ध है, वह कानूनी तौर पर भारत में मिल चुका है और 'ग्रेट ब्रिटेन' की संसद द्वारा पारित अधिनियम के अनुसार वह विलय कानूनी रुप से मान्य है और पूर्ण है। उसके बाद वहां तीन आम चुनाव हो चुके हैं और वहां की जनता ने एक लोक-प्रिय सरकार निर्वाचित की जिसने काश्मीर के भारत में विलय का अनुमोदन किया है। इसके पश्चात् यदि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई विवाद है तो यह एक धर्म-निर्पेक्ष राज्य तथा धर्म पर आधारित राज्य और एक सभ्य राष्ट्र तथा एक ऐसे राष्ट्र के बीच है जिसे अब भी मानवता के इतिहास के असभ्य काल का ही एक राज्य कहा जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र के विरुद्ध सबसे बड़े आरोपों में से एक यह है कि उस पर कुछ बड़ी शक्तियों, विशषत: अमरीका का प्रभुत्व है। इस शंका तथा आरोप की किसी हद तक इस संकल्प तथा वहां के समूचे विचार विमर्श ने पुष्टिकार दी है। संयुक्त राष्ट्र संघ क्रियान्विति के सम्बन्ध में यह खेद की बात है कि उसने सैनिक पर्यवेक्षक जनरल निम्मो तथा अपने महासचिव द्वारा प्रस्तुत प्रतिवदनों का कोई भी उल्लख करने से टाल-मटोल की है। उन दोनों प्रतिवेदनों में स्पष्ट रुप से यह उल्लिखित है कि पाकिस्तान आक्रान्ता है, किन्तु संकल्प में इस बात का कोई उल्लेख ही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की यह सबसे बड़ी असफलता है और इसके परिणामस्वरुप अन्ततोगत्वा यह संगठन शान्ति और सभ्यता के एक साधन के रुप में असफल हो सकता है।

जहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ के वाद-विवाद का सम्बन्ध है, कुछ राष्ट्रों का विशेष रुप से ब्रिटेन का रवैया अत्यधिक शोचनीय तथा निन्दनीय रहा है और उसने पाकिस्तान के पक्ष में खुले आम उसका समर्थन किया है। हम ब्रिटेन से ऊंची आशाएं थी और हमें यह आशंका नहीं थी कि वह प्रजातंत्र के सिद्धान्तों का गला घोंट डालेगा। अब समय आ गया है कि हम राष्ट्रमंडल की सदस्यता को जारी रखने के सम्बन्ध में पुर्नविचार करें। किन्तु पिछले सप्ताहों में हुई घटनाओं के संदर्भ में इस प्रश्न का निर्णय सरकार पर छोड़ देना उचित है। हमें राष्ट्र मंडल के साथ अपने सम्बन्ध विच्छेद करने से पूर्व उन अफ्रीकी तथा एशियाई देशों से राष्ट्रमंडल के भविष्य के बारे में विचार-विमर्श कर लेना चाहिए।

[अं० चं० गुहा]

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

यदि भारत राष्ट्रमंडल छोड़ देने का निर्णय करले, तो मुझे यकीन की है कि राष्ट्रमंडल का ढांचा नष्ट हो जायेगा और वह खंडित हो जायेगा। इसलिए ब्रिटेन को भारत की राष्ट्रमंडल में सदस्यता बनाये रखने अथवा न रखने पर निकलने वाले परिणाम के महत्व को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। हमें इस सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार तथा अमरीकी सरकार दोनों को ही अपनी सदस्यता का त्याग करने के फलस्वरुप निकलने वाले परिणामों के प्रति उचित रुप से चेतावनी देने के पश्चात इस सम्बन्ध में निर्णय कर लेना चाहिए।

यदि कोई राजनतिक संघर्ष हल किये जाने का प्रश्न है तो वह स्वत: पाकिस्तान के गठन का है और उसकी समाप्ति के लिए यह उचित अवसर है। पाकिस्तान ब्रिटेन तथा अमरीका दोनों की मिश्रित कृति है। भौगोलिक दृष्टि से यह इन्डोनेशिया की भांति बेहूदापन है। पाकिस्तान काश्मीर में जनमत-संग्रह के लिए चिल्ला रहा है। किन्तु, क्या वह पूर्व बंगाल, पख्तूनिस्तान जिसमें बलूचिस्तान शामिल है, अथवा सिन्ध में तक जनमत-संग्रह कराने के लिए तैयार है ?

राजनैतिक समझौता इसी आधार पर ही हो सकता है कि पूर्वी बंगाल और पख्तूनिस्तान को अपने भाग्य के निर्णय का अधिकार दिया जाय। भारत ने काश्मीर को अपने सम्बन्ध में निर्णय करने का पूरा अवसर दिया था। उन लोगों ने अपना संविधान बनाया और स्वतन्त्रता से अपनी सरकार का निर्वाचन किया। क्या पाकिस्तान यह अधिकार अपने सिंध, पख्तून और पूर्वी बंगाल के क्षेत्रों को देगा ? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ पाकिस्तान को ऐसा करने के लिए कहेगा ? अत: मेरा कहना है कि शांतिपूर्ण समझौता सम्भव नहीं दिखाई देता। संयुक्त राष्ट्र संघ को यह दम्भ नहीं करना चाहिए। यह ठीक है कि हम सैनिक दृष्टि से बहुत शक्तिशाली नहीं है, परन्तु यह तो सिद्ध हो गया है कि हमारे आयुध कारखाने अच्छे से अच्छे अस्त्र शस्त्र बना सकते हैं। हमारा दोष यह रहा है कि हमने इस दिशा की ओर ध्यान नहीं दिया। हमारे वीरों ने जो कारनामें किये है, उसके लिए मैं उन्हें अपनी श्रद्धा के फूल भेंट करता हूं। हमारी स्थिति यह है 5 अगस्त के बाद जिन लोगों ने युद्ध विराम रेखा पार की है उन्हें वापिस जाना होगा। एक बात हमें याद रखना चाहिए कि युद्ध में विजय अन्तिम शब्द नहीं होता, शांति में स्थापित करने में जो विजय होती है वह अन्तिम होगी। हम शांति स्थापित करने में भी विजय प्राप्त करेंगे, इस की हमें पूरी आशा है।

गत रात्रि को हमारे प्रधान मंत्री ने कहा है कि हमें अन्ततोगत्वा सभी दिशाओं में आत्मनिर्भर होना होगा। इसके लिए हमें राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना होगा। अब हम इस राह पर चल पड़े है। हमने संसार को यह दिखा दिया है कि हम भी शक्तिशाली हो रहे है और अब हमारी उपेक्षा नहीं की जा सकती। श्री चागला ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जो कुछ कर के दिखाया उसके लिए मुझे उन्हें अपना अभिवादन प्रस्तुत करना है। आशा करनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र की महा सभा में भी श्री चागला ही भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : अपनी बात कहने से पूर्व मैं श्री चागला का अभिवादन करना चाहता हूं। उन्होंने बड़े शानदार ढंग से भारत का केस संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत किया है। वह बड़े स्पष्ट वक्ता और योग्य न्यायाधीश और ईमानदार व्यक्ति है। श्री भुट्टो और उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। श्री भुट्टो तो भारत की पराजय की कहानियां ही कहते रहे है और झूठ बोलने में सब को मात देते रहे है। इस तरह का पाकिस्तान है जिसका हमसे वास्ता पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र संघ कानूनी दृष्टि से सारे मामले को देखेगा इसका मुझे बिलकुल कोई विश्वास नहीं। उसने एक बार भी यह कहने का साहस

नहीं किया कि पाकिस्तान आक्रमणकारी है। बड़ी निराशाजनक कहानी है। 1947 से लेकर आज तक एक बार भी पाकिस्तान को आक्रमक नहीं कहा गया है। श्री चागला ने सुरक्षा परिषद का ध्यान वास्तविक विवादात्मक तथ्य में रखा है।

मुझे इस बात का अत्यन्त खेद है कि संसार में हमारा प्रचार असफल हो रहा है। सार हमारे पक्ष में है, हमारे पर हमला हुआ है, फिर भी हम अपनी सच्चाई को संसार पर सिद्ध नहीं कर सके हैं। आखिर इसका कारण क्या है। क्या अमरीका और इंग्लैंड को पता नहीं है कि स्थिति क्या है। भारत का विभाजन करने वाले इंग्लैंड को यह पता नहीं है कि 'जेहाद' के अर्थ क्या है। क्या उन्हें यह पता नहीं कि पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दुओं का समूल नाश कर दिया गया है? क्या उन्हें यह पता नहीं कि आज भी करोड़ों मुसलमान भारत में शांतिपूर्वक रह रहे है? क्या उन्हें यह पता नहीं कि धर्म के आधार पर राष्ट्र नहीं बनता? उन्हें सब कुछ मालूम हैं, परन्तु वह पाकिस्तान को बड़ी छूट दे रहे हैं।

आज हमारे सामने समस्या का क्या हल प्रस्तुत किया जा रहा है। हमने जो कुछ भी बलिदान और कारनामें किये है उसका परिणाम क्या यही होने वाला है कि हम 5 अगस्त की तथाकथित युद्ध विराम रेखा पर चले जाय। मेरा कहना है कि यह गलत है और इसके लिए देश तैयार नहीं है। ऐसा करने के लिए कोई साहस भी नहीं कर सकता। काश्मीर हर प्रकार से हमारा है, अतः हम काश्मीर के क्षेत्रों से वापिस नहीं आयेंगे। हम पाकिस्तान की धरती पर कब्जा करने का इरादा नहीं रखते परन्तु इस समय विवादपद तथ्य यह है कि आक्रमणकारी कौन है? परन्तु संयुक्त राष्ट्र संघ इस प्रश्न का कोई उत्तर देने को तत्पर दिखाई नहीं देता। मुझे अपनी भूलों पर विचार नहीं करना, परन्तु एक बात को अवश्य देखना है कि आज सारा राष्ट्र एक राष्ट्र में खड़ा हुआ है। और वह दिन दूर नहीं जब भारत संसार की चौथी शक्ति बन कर हमारे सामने आयेगा। भारत पाकिस्तान के समक्ष आत्म समर्पण नहीं करेगा।

चीन भी पाकिस्तान की सहायता मे आया। परन्तु हमें विश्वास है जो हाल पाकिस्तान का हुआ है वही हाल चीन का भी होगा। भारत का साहस बहुत ही ऊंचा है। हम शांति चाहते हैं परन्तु हमें यथार्थ का सामना करना है। सत्य और अहिंसा और शांति को मानते हुए भी हमें आक्रमणकारी कहा जा रहा है। प्रश्न होता है कि हमने किस देश पर आक्रमण किया है। इंग्लैंड आज क्यों झूठ बोल रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है कि ब्रिटेन के कतिपय अखबार हमें आक्रान्ता कह रहे हैं। इस संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि इंग्लैंड में सेवानिवृत 'आइ० सी० एस०' भारत के विरूद्ध प्रचार करते है। हमें उसका सामना करना ही चाहिये। हमें अपने प्रचार कार्य को बढ़ाना होगा और संसार को बताना होगा कि तथ्य क्या है। हमें अपने घर में ही बैठ कर ही बहादुरी की बातें नहीं करनी चाहिए। बाहर निकल कर अपने आप को सिद्ध करना होगा।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि ब्रिटन का रवैया बहुत ही खेदजनक रहा है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि ब्रिटेन से सम्बन्ध तोड़ लेना चाहिए। यह भी कहा गया है कि राष्ट्रमंडल को संगठित होकर इंग्लैंड को राष्ट्र मंडल से निकाल बाहर करना चाहिए। एक बात समझ लेनी चाहिए कि इंग्लैंड राष्ट्र मंडल का केवल सदस्य है, मालिक नहीं है। यह हमारा अगला पग होना चाहिए ताकि उसे कुछ तो सबक सिखाया जाय। सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए।

हम घुसपैठियों की बात करते हैं। हमें बिना प्रतीक्षा किये उन्हें बाहर निकाल फैंकना चाहिए। हमें पाकिस्तान को सात दिन का अवसर देना चाहिए और कह देना चाहिए कि यदि वे सात दिन में नहीं निकले तो मामला गम्भीर हो जायेगा। उनको निकाले बिना युद्ध विराम का कोई प्रश्न ही नहीं

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

है। समय आ गया है कि विश्व राष्ट्रों के प्रति हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति का परीक्षण करें। हमें अब इस तथ्य को मान्यता देनी होगी कि विश्व में हमारे कौन कौन मित्र देश है और कौन देश हमारे शत्रु है। मित्रता का प्रमाण पत्र किसी देश से लेने की हमें जरूरत नहीं। हमें यह भी देखना चाहिये कि कौन से ऐसे देश है जो भविष्य में हमारे मित्र रह सकते हैं। हमें एक बार मित्रता का हाथ बढ़ा कर पुन: उसे वापिस नहीं लेना चाहिए। हमें अमरीका को यह महसूस करा देना चाहिए कि पाकिस्तान का वर्तमान भारत पर हमला उसकी सैनिक सहायता का परिणाम है। अब समय आ गया है कि अमरीका को यह सहायता बन्द कर देनी चाहिए। मैं एक बार पुन: कहता हूं कि हमें किसी भी हालत में 5 अगस्त वाली स्थिति में नहीं जाना चाहिए।

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव पाकिस्तान की कूटनीतिक हार है। वह हमारे विरुद्ध नहीं जाता। इस प्रस्ताव का लागू किये जाने वाला अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में आप पाकिस्तान और भारत के रवैये में भद देख सकते है। हमारे प्रधान मंत्री ने 15 सितम्बर के अपने पत्र में युद्ध विराम स्वीकार कर लिया था। परन्तु राष्ट्रपति आयूब ने इसे स्वीकार करने के साथ शर्त लगा दी थी। परन्तु जो प्रस्ताव सुरक्षा परिषद् ने स्वीकार किया है उसमें "मतदान" का कही उल्लेख नहीं है। प्रस्ताव की प्रस्तावना की शब्दावलि से स्पष्ट हो जाता है कि सुरक्षा परिषद् ने युद्ध विराम के प्रश्न पर भारत तथा पाकिस्तान द्वारा अपनाये गये भिन्न भिन्न रवैय्ये को स्वीकार किया है। भारत ने युद्ध विराम के लिए किसी शर्त के स्वीकार करने के लिए आग्रह नहीं किया है परन्तु पाकिस्तान ने अपनी शर्तें प्रस्तुत की है। मेरा निवेदन यह है कि काश्मीर के सम्बन्ध में यह एक महत्वपूर्ण बात है जनमत। और जैसा कि मैंने कहा है सारे प्रस्ताव में उसका कोई उल्लेख नहीं है। यह भी याद रखने वाली बात है कि हमने संयुक्त राष्ट्र संघ से पाकिस्तान के हमले की शिकायत की थी। वह आक्रमण आज भी जारी है और हमें यह बात मानना चाहिए कि प्रस्ताव हमारे विरूद्ध नहीं जाता। सुरक्षा परिषद् को यह सोचना होगा कि आखिर हमला करने वाला कौन है? यदि यह सिद्ध हो जाय कि पाकिस्तान ने हमला किया तो फिर उसकी निन्दा करनी चाहिये। और सुरक्षा परिषद् को इस बात से संकोच नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ने हमला किया है कि नहीं, यह ही तथ्य इस समय सुरक्षा परिषद के सामने होना चाहिए। दुःख यह है कि सुरक्षा परिषद् यह बात कहती नहीं है।

प्रस्ताव का कार्यान्वित किये जाने वाला अंश भी पाकिस्तान की ही निन्दा करता है। प्रस्ताव में अधिक से अधिक निर्णय करने की तिथि 5 अगस्त है। यह वह तिथि है जिससे पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया है। यह बात इस बात को सामने रख कर समझनी चाहिए कि महासचिव ने भी अपने प्रतिवेदन में 5 अगस्त की तारीख का ही उल्लेख किया है और कहा है कि इस तारीख को बहुत से सशस्त्र लोगों ने पाकिस्तान की ओर से भारत की भूमि पर घुसपैठ किया था। इस प्रस्ताव में इस तिथि को मान्यता देने का स्पष्ट अर्थ यह है कि पाकिस्तान की निन्दा की गयी है।

जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत पर तीन बार हमला किया। प्रथम बार उसने 1947-48 में हमला किया। फिर कच्छ पर हमला किया और तीसरी बार अब हमला किया। पहले भी पाकिस्तान ने यह बात स्वीकार नहीं की थी कि पाकिस्तान ने हमला किया है परन्तु बाद में सर मुहम्मद जफरूल्ला ने इसे स्वीकार कर लिया। मैं इस बात को फिलहाल न लेकर सेनाओं की वापिसी की ही बात करूंगा जिसका कि सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव में उल्लेख है। मैंने यह बात सुरक्षा परिषद् में स्पष्ट कर दी थी कि सशस्त्र सेनाओं को हटाने का क्या अर्थ है। इसके तीन अर्थ है, और तीनों को अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए। प्रथम बात यह है कि पाकिस्तान यह स्वीकार करे कि इन घुस पैठ करने वालों को उसने भेजा था। दूसरी बात यह कि घुस पैठ करने वालों को वापिस बुलाया जायेगा। और तीसरी बात यह कि पाकिस्तान उस सब की जिम्मेवारी ले कि ऐसी स्थिति पैदा की जायेगी जिसमें भविष्य में पुन: ऐसा करना नितान्त असम्भव होगा। इसके अतिरक्त प्रस्ताव में सभी देशों से यह अनुरोध किया गया है

कि वे देश इस प्रकार की कोई कार्यवाही न करे जिससे स्थिति और बिगड़ती हो। सभी राज्यों से कहा गया है कि वे संघर्ष में हस्तक्षप न करे और इसको न बढ़ाय। इस में इशारा चीन की ओर हैं यद्यपि वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं हैं

इसके अतिरिक्त दोनों सरकारों से यह कह गया है कि वर्तमान संघर्ष के पीछे जो राजनीतिक समस्या है उसको शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाया जाये और उनमें वे सभी तरीके अपनाये जाने सम्मिलित होंगे जिनका अनुच्छेद 33 में उल्लेख है। मेरा निवेदन यह है कि इसमें भी न तो काश्मीर का उल्लेख है और न ही जनमत संग्रह का। हमें केवल यह कहा गया है कि इस उद्देश्य के लिए हमें शांतिपूर्वक उपायों को अपनाने के लिए कहा है जिसका चार्टर के अनुच्छेद 33 में उल्लख है। अन्त में कहा गया है कि महासचिव जहां तक हो सके इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करवाने का प्रयास करे और इसका रिपोर्ट सुरक्षा परिषद् को दे। मैंने उस समय यह बात कई बार पाकिस्तानी प्रतिनिधिसे पूछी कि क्या वह युद्ध विराम को उसी तरह बिना शर्त स्वीकार करते है जिस प्रकार भारत के प्रधान मंत्री ने स्वीकार किया है। अभी यह चल ही रहा था कि पाकिस्तान के विधि मंत्री श्री जफर ने युद्ध की धमकी दे दी। मैंने सुरक्षा परिषद को बताया कि अभी एक हमला समाप्त नहीं हुआ और दूसरा आ रहा है। पाकिस्तान ने जो दो दिन प्रस्ताव को नहीं माना इसका कारण शायद यह था कि इस अवधि के दौरान पाकिस्तान को चीन की सहायता का विश्वास हो गया था, परन्तु जब कोई सहायता न मिली तो उसने युद्ध विराम स्वीकार कर लिया।

18 सितम्बर की स्थिति के बारे में भी मैंने सुरक्षा परिषद् में कहा था कि सुरक्षा परिषदको यह बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि जहां तक हमारे देश की प्रादेशिक आखण्डता का प्रश्न है, काश्मीर का मामला काफी समय हुआ समाप्त हो चुका है। इस तरह देखने पर ही मेरा यह निवदेन है कि सुरक्षा परिषद ने जो प्रस्ताव पास किया है वह भारत के विरूद्ध नहीं है। क्योंकि हमने इस तथ्य पर अपनी स्थिति बिलकुल स्पष्ट कर दी थी। यह भी स्पष्ट बता दिया गया था कि भविष्य में इस मामले को लेकर हमारा दृष्टिकोण क्या होगा। इस बारे में सदन को किसी प्रकार की भ्रांति में नहीं रहना चाहिए।

हम राष्ट्रपति अय्यूब से वार्ता के लिये तयार है परन्तु इस सम्बद्ध में प्रधान मंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि काश्मीर के बारे में कोई बात नहीं हो सकती। मैंने यह बात पिछले साल सुरक्षा परिषद में भी कही थी। सुरक्षा परिषद का संकल्प हमारे विरुद्ध नही है।

अब समय आ गया है जबकि हमें अपनी विदेश नीति पर पुनः विचार करना चाहिये। विश्व में नये नये गठजोड़ बन रहे हैं। हम अपने पुराने रवैये पर जमे हुए नहीं रह सकते। इस समय इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

सुरक्षा परिषद् में मलेशिया ने जो हमारी सहायता की है मैं उसकी खुले रूप से सराहना करना चाहता हूं। मलेशिया के प्रतिनिधि का भाषण मानो भारत के प्रतिनिधि का भाषण था।

मैं सोवियत संघ के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। जब संकल्प का मसौदा तयार हो रहा था तो रूस ने हमारे पक्ष में बात कही। अमरीका का रवैया भी हमारे प्रति इस बार अच्छा था। विश्व को पता चल गया है कि पाकिस्तान ने आक्रमण किया है और काश्मीर में कोई क्रान्ति नहीं हुई है।

जार्डन के बारे में हमें बहुत खेद है क्योंकि उसने पाकिस्तान का पक्ष लिया था। जब से मेरा सार्वजनिक जीवन आरम्भ हुआ है मैं एक बात विशेष रूप से समझा हूं कि अन्ततः एक देश का अपना बल ही काम में आता है। विश्व में चाहे जितने भी सिद्धान्त हो सब व्यर्थ ही जाते हैं। मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए गर्व अनुभव हुआ है। एक तो जो वीरता हमारे जवानों

6—42 Lok Sabha/65

[श्री मु० क० चागला]

ने दिखाई है उससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। हमने पाकिस्तान को अमरीका से मिले पैटन टैंको को समाप्त कर के रख दिया है। दूसरे भारत में हिन्दू, मुसलमान, सिख सभी ने मिलकर सरकार की सहायता की और आक्रमणकारी को असफल कर दिया। पाकिस्तान ने समझा था घुसपैठियों को काश्मीर में भेजकर गड़बड़ करायी जायेगी और वहां के लोग पाकिस्तान का साथ देंगे परन्तु इस में पाकिस्तानी बुरी तरह असफल रहे है।

Dr. Ram Manohar Lohia (Furrukhabad) : Mr. Deputy Speaker, Shri Chagla has correctly said that the Security Council Resolution was not satisfactory to Pakistan. To this extent this House might be grateful to him—and to anybody else whosoever is responsible for it—but while he attempted to clarify that Security Council Resolution was not unsatisfactory for India, several things struck me. In order to prove his point he read out extracts of his speech in the Security Council but he should have told us what Mr. Goldberg and the Russian representative said there.

If we are to rely on what he said during his 31 minutes' Speech as a lawyer, we would have to face a very grave situation. I want to advise not only Shri Chagla but his colleagues also that this world is made not by lawyers alone but by lawyers soldiers and mostly by those who are half lawyers and half soldiers.

At present the Security Council in New York is afflicted by the same malady which proved fatal for its predecessor, the League of Nations. The main reason why the U.N. had failed to solve world problems is that where Big Power interests such as those of the United States and Soviet Union were involved, the Security Council found itself incapable of action. It was unable and unwilling to pass any resolution about the United States action in Vietnam or Russian action in Hungary. It passes resolutions against those countries only which are helpless and militarily weak. It would be better if our Government and the U.N. Secretary General could learn a lesson from this because I do not want the Security Council to meet the same fate as the League of Nation. Unless there were fundamental changes in the U.N., the organisation could not succeed in attaining its objectives. When problems of other countries were involved, these were not solved on merit but on the basis of compromise and bargaining.

The Security Council resolution was based on this principle of bargaining and compromise and not on justice. This resolution envisaged return to the positions held on 5th August and talks on Kashmir. Both these factors might prove dangerous not only for Indo-Pak relations but also for the whole world. As proposed in the Resolution, if we were to discuss the political problem of Kashmir with Pakistan, it may go against us. The talks may in fact lead to a stalemate resulting in continued bitterness between the two countries.

I, therefore, wanted to convey to the U.N. Secretary General through the Government, that in order to save the U.N. from meeting the same fate as the League of Nations, he should change its *modus operandi*.

As far as my views about the British Government are concerned I have come to the conclusion that it is always the most wretched Government irrespective of the Party which runs it. I feel that they had entered into a written or unwritten understanding with Mr. Jinnah to come to his rescue in all eventualities. I have been told about this understanding by an Afghan Leader who had talks

with the late Mr. Jinnah on the issue of Pakhtoonistan. Mr. Jinnah told him that the British were behind Pakistan and there was no prospect of achieving Pakhtoonistan so long as that support remained.

So far the situation had been that, whereas India's [redacted] was with Russia, her limbs were with Britain. All our trade was with Bri[redacted] our forces were equipped with British weapons, whereas in our thought we are inclined towards Russians. This relationship would have to be readjusted. Only then the situation would be straightened. I am glad that Shri Bhagwat Jha Azad has spoken the truth raising himself above party affiliations. I plead that our existing relationship with Britain should be snapped or at least be made less intimate.

In France, President De Gaulle is trying to transform his romantic people into a militarised nation.

Our foreign policy is a total failure as far as the Afro-Asian countries are concerned—barring Malayasia to whom Government is grateful. We should also understand that Jordon is still being ruled by British overlords.

The Government would have to bring about fundamental changes in their policy. On the one hand they should pay increased attention to our neighbouring countries like Afghanistan, Nepal and Malayasia, on the other we should try into win the friendship of other countries like Thailand. Though Russia and America have been friendly towards us, to a certain extent, yet we might improve our relations with them.

At present we are facing two difficulties—one regarding Indo-Pak conflict and the other one is regarding world poverty. Our foreign policy should be judged on the criteria to solve these two difficulties. Our attitude towards the United States and Soviet Union should be guided by the support we receive from them on the issue of Indo-Pakistan relations and the solution of the problem of poverty.

During Indo-Pak conflict, we have abundantly proved it that if need be, we would fight on the very soil of the enemy. Moreover Pakistan's military pride also got a blow. If this culminates in the change of prevailing atmosphere or leadership in Pakistan, it will be good and the people like me can have some say here or in Pakistan.

It was said that we would not go from one cease-fire to another but unfortunately, this has not been adhered to and we were shifting from one cease-fire to another.

It so looks that the Prime Minister has given a promise not to vacate Uri-Punchh Bulge. But there is no reference to it in the Security Council Resolution.

As things had come out, India would have to agree to talks on Kashmir issue and it would be very dangerous. If Pakistan is not satisfied, the conflict would not end. If the talks end in favour of India, the bitterness on the side of Pakistan would increase and a danger of fresh Pakistani attack will remain. Shri Bhutto also alluded to this. Shri Shastri should bear this in mind and refer to it during the negotiations.

7—42 Lok Sabha/65

[Dr. Ram Manohar Lohia]

India should have occupied Lahore and Sialkot within five to six days. May be that it could not be done because our army was incapable of it; it was also possible that those areas could not be occupied in the first instance and then it might have been felt th[redacted]rther efforts would result in much loss to life and material and consequent[redacted]would not be able to face China. If this were the approach of the Government, I would categorically say that no foreign or military policy could be a success. Our policy should be that we must achieve our aim in the teeth of difficulties. Had we occupied Lahore and Sialkot, we might have shattered Pakistan's military pride. The Government should not be afraid of China. If need be we can face China also.

The word "Secularism" which was used most during the Indo-Pak conflict has done us much harm because very few persons understand the meaning of this word properly.

Khan Abdul Gaffar Khan and other prominent leaders have been behind the bars in Pakistan for about fifteen years. This would prove harmful to her if she launches a fresh attack on India.

I plead that the Government should revise its policy in relation to China and Pakistan. India should also solve her food problem.

During the Indo-Pak conflict no discussion was allowed in the House on this subject. I hope that this practice will not be followed in future.

If India sincerely pursued secularism and democracy, the time would surely come, may be as a result of an armed conflict or otherwise, when India and Pakistan would cease to be separate entities and would combine to form only one unit that is, Hindusthan.

श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित (फुलपुर) : पिछले कुछ सप्ताह में देश को बहुत कठिन परिस्थितियों में से गुज़रना पड़ा है। पाकिस्तान ने बड़े धोखे से तीसरी बार हमारे देश पर आक्रमण किया है परन्तु हमे गर्व है कि हमने बहुत अच्छी तरह उसका उत्तर दिया है। हमने उन्हें बता दिया है कि वह हमारे सिद्धान्तो को नष्ट नहीं कर सकता।

मैं प्रधान मंत्री की बड़ी सराहना करती हूं जिन्होंने देश को बहुत अच्छा नेतृत्व दिया है। साथ ही मैं उन वीरों को भी श्रद्धांजली अर्पित करती हूं जिन्होंने देश की रक्षा तथा उसके सिद्धान्तों की रक्षा के लिये अपने आप को बलिदान कर दिया। देश उनको कभी नही भुलेगा।

राजनीति के तरीके बहुत निराले है। हमने अपने पक्ष को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है। मुझे आशा है कि जो सैनिक और मनोवैज्ञानिक लाभ हमें हुआ है उसे व्यर्थ नही जाने दिया जायेगा और भविष्य में भी हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये अटल और अडिग रहेंगे। हमें साथ साथ अपनी शक्ति में भी वृद्धि करनी है। उस लडाई में हमें उन देशों के बारे में स्पष्ट रूप से पता चल गया है जिन्हें हम अपना मित्र समझते थे। इस बार हमारा प्रचार कार्य भी ठीक तरह से हुआ है। उसकी आलोचना की गुंजाइश नहीं है।

जब हम राष्ट्रमंडल में शामिल हुए तो विश्व में बहुत तनाव था। उस समय युद्ध समाप्त हो रहा था। हमारे नेताओं ने सोचा कि कुछ ऐसे उपाय करने चाहिये कि स्थिति न बिगड़े। हमारे प्रधान मंत्री ने राष्ट्रमंडल में शामिल होने से पहले सोचा था की नये स्वतन्त्र हुए देशों

के लिये इस संगठन में शामिल होने से सभी को लाभ होगा और सभी सदस्य देश समान भागीदार होंगे। हमें आशा थी कि हम अपने शान्तिमय सहअस्तित्व आदि के सिद्धान्तों की पूर्ति में सफल होंगे और पश्चिम तथा पूर्व में एक कड़ी का कार्य करेंगे। इससे सम्पूर्ण विश्व को लाभ होगा। परन्तु खेद की बात कि हम इन आदर्शों को व्यवहारिक रुप नहीं दे सके।

ब्रिटेन का रवैया सदैव एक वरिष्ट सदस्य का रहा है। उसने दूस[redacted]दस्य देशों को घटिया समझा है। जब मैं वहां पर भारत की ओर से राजनैतिक प्रतिनिधि थी तो मैं ने देखा कि महत्व-पूर्ण निर्णय करते समय अन्य सदस्य देशों से सलाह नहीं की जाती थी। इस बात की पुष्टि के लिये और भी कई प्रमाण दिये जा सकते हैं।

जब स्वेज नहर का राष्ट्रपति नासिर ने राष्ट्रीयकरण किया तो इंग्लैंड में बहुत जोश था। हमें कहा गया था कि हम इस नहर को अन्तर्राष्ट्रिय नियन्त्रण में रखने के लिये राष्ट्रपति नासिर से कहें। इसमें हमारे देश को भी वित्तीय लाभ हो सकता था। परन्तु हमने ऐसा नहीं किया। हम नहर को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का आखाड़ा नहीं बना सकते थे।

ब्रिटेन के समाचार पत्रों ने बहुत पक्षपात दिखाया है। ब्रिटेन का रवैया भी बहुत खराब रहा है। उसने पाकिस्तान को और भारत को समान स्तर पर रखा है। ब्रिटेन ने दोनों देशों भली प्रकार जानते हुए भी पक्षपात दिखाया है। वे जानते हैं कि भारत उन का पिट्ठू नहीं बन सकता जब कि पाकिस्तान उनके कहे पर नाचता है। भारत आत्म-सम्मान रखने वाला देश है।

ब्रिटेन द्वारा अपनायी गई नीति पर हमें बहुत खेद है। उसने एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतन्त्र सरकार के मुकाबले में एक मध्य कालिन धार्मिक विचारों वाली सरकार का समर्थन किया है। ऐसी स्थिति में हमें अपनी नीति में आवश्यक परिवर्तन करना चाहिये। हमें अपने राष्ट्रीय हितों को सन्मुख रख कर अपनी नीति निर्धारित करनी चाहिये।

मैं एक स्त्री हूं मुझे युद्ध की बातें करना शोभा नही देता परन्तु जिस स्थिति में हम है उसमें और कोई चारा नहीं है। हमें अपनी नीति में परिवर्तन करके आत्मनिर्भर बनना है। हमें अपने प्रतिरक्षा सम्बन्धी उत्पादन में वृद्धि करनी है। साथ में खाद्यपदार्थों के उत्पादन को भी बढ़ाना है। हमें भारत के हित को सदैव सर्वोपरि रखना है।

श्री मुहम्मद इस्माइल (मंजरी) : सब से पहले में अपनी सुरक्षा सेवाओं के प्रति आभार प्रगट करता हूं जिन्होंने देश की रक्षा में इतना शानदार कार्य कर दिखाया है परन्तु खेद है कि हमारे राजनयिक प्रतिनिधियों ने ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया क्योंकि सुरक्षा परिषद् में किसी भी पक्ष को दोषी नहीं ठहराया गया। इससे पता चलता है कि हमारे राजनयिक प्रतिनिधी उन्हें इतना भी नहीं बता सके कि आक्रमणकारी कौन है। अब भी पुराने प्रश्न दोहराये जा रहे है और आत्म निर्णय की चर्चा हो रही है। इस अधिकार की मांग स्वयं किसी क्षेत्र की जनता करती है परन्तु काश्मीर की जनता ने घुसपैठियों को पकड़ा है और उन्हें पकड़ने में सक्रिय सहायता की है। इस प्रकार उन्होंने दिखा दिया है कि वे भारत के साथ अपना भविष्य जोड़ चुके हैं और अपने इसी निश्चय पर दृढ़ हैं। आज कुछ लोग आत्म निर्णय की बात करते हैं परन्तु यह वही लोग हैं जिन्होंने पहले अपना भविष्य भारत से जोड़ा था। स्मरण रहे कि ऐसे निश्चय एक बार होने के पश्चात बदला नहीं करते।

जबकि हमने सुरक्षा परिषद् के युद्ध बन्दी के सुझाव को सहर्ष स्वीकार किया है, दूसरे पक्ष ने अन्त तक आनाकानी की है और अन्तिम समय तक नागरिकों, धार्मिक स्थानों आदि पर बम वर्षा करता रहा है जिसकी हर सभ्य व्यक्ति और देश को निन्दा करनी चाहिये।

[श्री मुहम्मद इस्माइल]

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

इस युद्ध से पूर्व हम बहुत से मित्र देशों का दावा करते थे परन्तु इसके पश्चात हमें पता लगा कि वास्तव में[redacted]रा मित्र कौन है। एक छोटे से देश ने, जो अभी अपना अस्तित्व भी सुदृढ़ नहीं कर पाया है, सचाई का समर्थन करके कमाल की हिम्मत का परिचय दिया है। यदि राजनयिक स्तर पर ठीक से प्रयास किये गये होते तो हमारी स्थिति वह न होती जो इस समय दिखाई देती है। खेद है कि आक्रमण के पक्के प्रमाण होते हुये भी पाकिस्तान को आक्रमणकर्ता नहीं ठहराया गया। यदि सुरक्षा परिषद् यह सीधी बात भी कहने योग्य नहीं है तो युद्ध विराम का क्या भरोसा है और इस प्रकार यह संस्था किस प्रकार प्रभावी रुप से इसे क्रियान्वित करवा सकती है ?

हमारा देश बहुत विशाल है जहां प्रजातंत्र का महान प्रयोग हो रहा है और स्वाभाविक ही है कि विश्व के बहुत से हमारे साथ सहयोग करने को तैयार होंगे परन्तु यह सब तभी संभव है जब हमारी कूट नीति इतनी दक्ष और इतनी प्रभावशाली हो कि अन्य देश भी ऐसा करने में अपना लाभ अनुभव करें परन्तु इसी क्षेत्र में इसे असफलता मिली है। आशा है हम अपनी विदेशी नीति का पुनरिक्षण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे और हमारा देश इस त्रुटि को दूर करने के लिये हर संभव पग उठाएगा।

क्योंकि युद्ध विराम से वास्तविक शान्ति नहीं हो सकती इसलिये हमें हर संभावना के लिये हर समय तैयार रहना है। हमारी यह तैयारी, हमारे सन्मान, देश की अखण्डता तथा सुरक्षा की सब से बड़ी गारंटी है। इसलिये मेरा कहना है कि हमें सदा ही इस बल को बनाये रखना है और मेरा विश्वास है कि प्रत्येक देशवासी इसके लिये सरकार के हर प्रयत्न का समर्थन करता है और हर संभव सहयोग देने को तैयार है।

श्री जी० भ० कृपालानी (अमरोहा) : यद्यपि हमारी जनता को वर्षों से कई कठिनाईयों तथा असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है परन्तु वर्तमान संकट के क्षणों में उसने एक होकर हर संभव सहायता दी है। हमारी सुरक्षा सेनाओं ने भी अनुपम वीरता का परिचय दिया है आशा है कि देश अपने आपको उनके अपूर्व बलिदान से योग्य सिद्ध कर सकेगा। आज का युग तीव्र परिवर्तनों का युग है और हमें आख बन्द करके अपने पुराने मार्ग पर ही नहीं चलते रहना है। हम निर्पेक्ष रहकर भी अपनी नीतियों और अपने राजनीति को गतिशील और लचीली बना सकते हैं। इन्हें समय स्थान और परिस्थिति के अनुसार बदलना चाहिये। हमारे न तो स्थाई शत्रु होने चाहिये और न ही मित्र। यद्यपि हमारा पक्ष सच्चा था और सभी जानते है कि पाकिस्तान ने युद्ध विराम रेखा पार करके भारत पर आक्रमण किया है परन्तु मलयेशिया और सिंगापुर के अतिरिक्त किसी भी देश ने ऐसा नहीं कहा। हम इन दो देशों के आभारी हैं। परन्तु याद रहे कि ऐसा उन्होंने आपने ही हित के लिये किया था और जबतक हम अन्य राष्ट्रों के साथ मित्रता नहीं करेंगे और उन्हें समझने का प्रयत्न नहीं करेंगे हमारी वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कम से कम पश्चिम के प्रजातंत्रामत्क देशों के लिये पाकिस्तान के विरूद्ध हमारे पक्ष को समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये परन्तु लगता है वे समझना ही नहीं चाहते क्योंकि वे जानते हैं कि यदि भारत को साम्प्रदायिकता के आधार पर बांट दिया जाए तो 5 करोड़ मुसलमानों का वहां कोई स्थान नहीं है इसलिये यदि वे इसी आधार पर काश्मीर पास्किस्तान को सौंपना चाहते है तो यह बिल्कुल गलत है। यह भी सच है कि हमने अपनी स्थिति को उन्हें उचित रुप से नहीं समझाया। यह अच्छा लक्षण है कि काश्मीर सहित सारे भारत के मुसलमान द्वि-जातीय सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते। हमने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। हमारा ढांचा प्रजातांत्रिक है और

यद्वि ऐसे देश भी इसे नहीं समझते तो अवश्य ही वह पक्षपात से काम ले रहे हैं और इसमें उनका कोई स्वार्थ निहित है जो उन्हें सच की अपेक्षा झूठ का साथ देने पर बाध्य किये हुए हैं। हमें अपनी अन्तर्राष्ट्रीय नीति का पुनरावलोकन करना चाहिये और जिन्हों ने मित्रता के प्रतिकूल रवैया अपनाया है उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिये।

गांधीजीने भी यह कभी नहीं कहा था कि स्वतंत्र भारत में कोई सेना नहीं होगी और न ही उसका उपयोग किया जाएगा।

डा० लोहिया ने ठीक ही कहा है कि संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद पर बड़े राष्ट्र छाये हुये हैं और छाये रहेंगे। इस ने एक संकल्प पारित किया है परन्तु यह 17 वर्ष पूर्व भी हुआ था। समस्या तो बनी ही रही। इस संकल्प में भी मुझे कई खतरनाक और भयानक बातें दिखाई देती हैं, अर्थात् हमें 5 अगस्त से पूर्व की स्थिति पर लौट जाना है और यह कि इस प्रश्न का राजनीतिक हल होना चाहिये और इस सब को हमने विश्व की सद्भावना के लिये मान लिया है यद्यपि विश्व ने हमारे प्रति कोई सद्भाव प्रदर्शित नहीं किया।

मुझे रुसके इस सुझाव में भी खतरे का आभास होता है कि हम रुस में पाकिस्तान के साथ बातचीत करें। वास्तव में बातचीत तब तक असंभव है जबतक वह विष उगलता रहेगा और जबतक वह अपना रवैया नहीं बदलता और यह नहीं मान लेते कि राष्ट्रीयता और धर्म का एक होना आवश्यक नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र भी अपनी पूर्वज संस्था की भान्ति शक्ति संतुलन और शक्तियों की राजनीति पर आधारित है और जब स्थिति यह है तो फिर इस संस्था से सत्य की आशा कैसे की जा सकती है और जबतक हम ऐसी संस्था की बात मान कर नई रेखाएं बनाते रहेंगे कष्ट झेलते रहेंगे। मैं समझता हूं कि पहली रेखा भी वैज्ञानिक तथा सैनिक दृष्टि से ठीक प्रकार नहीं खींची गई। इसलिये हमें सुरक्षा परिषद से स्पष्ट कह देना होगा कि यदि वे ठीक व्यक्ति को ठीक और गलत को गलत नहीं कह सकती तो उनकी राय भी किसी काम की नहीं है। 1948 में हम पाकिस्तानी आक्रमण का प्रश्न लेकर वहां गये थे परन्तु वे यह भी निश्चय न कर सके कि आक्रमण हुआ भी है अथवा नहीं। इस-बार भी उन्होंने पाकिस्तान को आक्रमणकारी नहीं ठहराया यद्यपि यह बिलकुल स्पष्ट था। यह बहुत खतरनाक बात है और हमें उन से स्पष्ट कह देना होगा कि हमें उनपर कोई विश्वास नहीं रह गया। हमें अपने बल पर भरोसा करके अपनी विदेश तथा आन्तरिक नीतियों का पुनर्गठन करना चाहिये।

अरब देशों को हम अपना मित्र मानते आये थे, हमने उनके संगठन को अन्तर्राष्ट्रीय सरकार के बराबर माना, यहां तक कि इजराइल को भी जो हमारी मित्रता का इच्छुक था, रुष्ट किया परन्तु उन्होंने कुछ ने मौन रहने के अतिरिक्त हमारी क्या सहायता की है? आशा है विदेश नीति पर पुनर्विचार करते समय हम इस बात पर भी विचार करेंगे।

गृह नीति के बारे में मेरा कहना है कि हमें अमरीका से कोई सहायता नहीं लेनी चाहिये और मेरा विश्वास है कि देश एक होकर अन्न के मामले में भी आत्मनिर्भर बनने में सफल होगा हां उन्हें अच्छे बीज, खाद और पानी उचित समय पर देने की आवश्यकता है। हम अपनी घरेलू मण्डी को पनपने नहीं दे रहे हैं और हम अपना धन उन निर्धन लोगों में नहीं बांटते जिन में क्रय शक्ति है और यह हम तभी कर सकते हैं जब हम अपनी अर्थ व्यवस्था और उद्योगों को बखेर देंगे।

हमें अपनी जनता को बलवान बनाना है और इसके लिये आवश्यक है कि पहले राजनीतिक नेता बलवान और दृढ़ निश्चय वाले हों। कांग्रेस दल को एक उदाहरण देश के सामने रखना होगा तभी उसे सभी अन्य दलों का समर्थन भी प्राप्त होगा। पहले भी जनता ने अपूर्व बलिदान दिया था

[श्री जी० भ० कृपलानी]

और धन भी दिया था जिसके बारे में अभी तक यही नहीं बताया गया कि यह किस प्रकार उपयोग किया गया। हमें जन साधारण पर विश्वास करना सीखना है जैसा गांधीजी ने किया था और तभी हम वज्र की भान्ति हर संकट का मुकाबला करने योग्य हो सकते हैं।

Shri Yashpal Singh : Sir, on this occassion, sometime should have been given to those Members like S. Surjit Singh Majithia, Ch. Lahiri Singh, Shri H. P. Chatterjee, whose sons and relations have laid down their lives in the battlefront.

Mr. Speaker : You are right but I am sorry we have no time left. The hon. Prime Minister.

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मैं सभा के प्रत्येक सदस्य का आभारी हूं क्योंकि प्रत्येक दल से मैंने एक ही स्वर में यही कहते सुना है कि हम अपने देश की प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखण्डता की हर मूल्य पर रक्षा करेंगे। यह सारे भारत की आवाज़ है जो यहां प्रतिध्वनित हुई है। आज सारे देश में हार्दिक एकता है और इस संकट में यही एकता हमारा सबसे महान बल सिद्ध हुआ है।

यद्यपि युद्ध विराम हो गया है परन्तु पाकिस्तान की आनाकानी से भविष्य में कई उलझने पैदा हो सकती हैं विशेषकर जब पाकिस्तानी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री अब भी धमकियां दे रहे हैं मैंने भारत का पक्ष संयुक्त राष्ट्र के महा-सचिव को भेजे गये अपने 14 सितम्बर के पत्र में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। सुरक्षा परिषद के तीनों संकल्पों से जो अर्थ हम निकाल पाये हैं वह यही है कि ये पाकिस्तान की नियमित सेनाओं तथा घुसपैठियों दोनों पर बराबर लागू होते हैं। पाकिस्तान को इन घुसपैठियों को स्वीकार करना होगा और उन्हें वापिस बुलाना होगा। परन्तु स्वयं महा-सचिव की रिपोर्ट के बावजूद पाकिस्तान इस उत्तरदायित्व से इन्कार करता रहा है और यदि वह इस रवैया पर अड़ा रहा तो हमें स्वयं उन्हें निकाल बाहर करना होगा।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य के संबंध में हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट और दृढ़ है कि यह भारत का अभिन्न अंग है। वहां की जनता को पहले ही आत्म निर्णय का अधिकार मिल चुका है और तीन आम चुनावों द्वारा वे अपना निर्णय दे चुके हैं।

भविष्य में भावी खतरे को देखने हुये हमें अपनी तैयारी में ढील नहीं बरतनी है और निश्चय ही उसका सामना करने के लिये तैयार हैं।

जैसा श्री अल्वारेस ने कहा कि लगता है रुस काश्मीर समस्या को दुबारा जीवित करने पर तैयार हो गया है, ठीक नहीं है। आज रुस शान्ति का सच्चा समर्थक है और क्योंकि वह युद्ध भयंकरता को समझता है इसलिये मित्रता के नाते भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों में सुधार चाहता है। उनके इरादे शुद्ध हैं और इसीलिये हमने उनकी पहल का स्वागत किया है।

क्योंकि श्री भागवत झा आज़ाद के गैर-सरकारी संकल्प पर चर्चा अब अगले सत्र में होगी इस लिये इस बारे में मुझे अभी कुछ नहीं कहना।

विदेशों में हमारे राजनैतिक मिशनों द्वारा किये जा रहे कार्य के बारे में मैं सभा को सच्चे हृदय से यह बता सकता हूं कि इस अवसर पर हमारे सभी मिशन सतर्क तथा सचेत रहे हैं। उन्होंने उन सरकारों को, जिनके साथ वह सम्बन्धित हैं, होने वाली घटनाओं तथा हमारे ध्येय के औचित्य

से पूर्णतया अवगत करने के कार्य को बहुत अच्छे ढंग से किया है। कुछ सरकारें जो रवैया अपनाती है, वह, मेरे विचार में, इस बात पर निर्भर नहीं करता है अथवा उस पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जो कुछ हमारे राजदूतों को कहना होता है। वहां पर उन्हें पूर्वनिश्चित दृष्टिकोणों तथा प्रतिकूल प्रभावों का विरोध करना पड़ता है। फिर भी हमें अपने मामले पर अत्याधिक अच्छे ढंग प्रकाश डालने तथा संसार के सभी भागों में भारत के मित्रों की संख्या बढ़ाने के लिये निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ घरेलू मामलों के बारे में भी कहना चाहता हूं। जहां हमें राष्ट्र उत्पन्न हुए उत्साह को बनाये रखना है वहां हमें अपनी प्रतिरक्षा के लिये निरंतर तैयारी करते रहना है और अपनी सभी सीमाओं पर सतर्क रहना है। अपनी प्रतिरक्षा करने हेतु सुदृढ़ कार्यवाही करने के लिये समूचे राष्ट्र को काफी बलिदान करने पड़ेंगे। हो सकता है कि हम सभी लोगों को कुछ त्याग भी करने पड़ें और अपने आर्थिक विकास सम्बन्धी कार्यों में भी ढील देनी पड़े ताकि हमारी प्रतिरक्षा कमजोर न होने पाये।

हमारे सम्मुख जो आज महान कार्य पड़ा हुआ है, हमें उसे यथार्थता की भावना से निपटाना होगा तथा इस तथ्य के प्रति हमें पूर्णतः सचेत रहना होगा कि आत्म-विश्वास ही हमारा सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिये। इन ऐतिहासिक अवसरों पर सभा द्वारा दिये गये शानदार समर्थन के लिये मैं इस महा सभा का आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं सभा से अपील करता हूं कि वह हमारे प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा सशस्त्र सेना ने जो सराहनीय कार्य किया है, उस के लिये उनके प्रति इस सभा की प्रशंसा तथा कृतज्ञता व्यक्त करने को हेतु आपको अधिकृत करें।

आपकी अनुमति से मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि सभासदों को उन सैनिकों, वायु सैनिकों, पुलिस के कर्मचारियों तथा नागरिकों की स्मृति में खड़े होकर एक मिनट मौन रहना चाहिये जिन्होंने अपनी मातृ-भूमि की रक्षा करते हुए वीर गति पाई है।

अध्यक्ष महोदय : सभासद अब एक मिनट के लिये मौन खड़े हों।

(इसके पश्चात् सदस्य एक मिनट के लिये मौन खड़े रहे।)

(The Members then stood in silence for a minute.)

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति
PRESIDENT'S ASSENT TO BILL

सचिव : श्रीमान्, मैं चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये निम्नलिखित चार विधेयक, जिन पर 17 सितम्बर, 1965 को सभा में पिछली बार प्रतिवेदन देने के पश्चात् राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई है, सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) प्रेस तथा पुस्तक रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1965

(2) लोक-प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1965

(3) स्वर्ण (नियंत्रण) विधेयक, 1965

(4) भाण्डागारण निगम (अनुपूरक) विधेयक, 1965।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे सभा को यह भी बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से यह सन्देश मिले हैं :—

(एक) कि राज्य सभाको लोक-सभा से निम्नलिखित विधेयकों के बारे में कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(1) विनियोग (रेलवे) संख्या 3 विधेयक, 1965

(2) विनियोग (रेलवे) संख्या 4 विधेयक, 1965

(3) केरल विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1965

(4) केरल विनियोग (संख्या 4) विधेयक , 1965

(5) विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1965

(6) विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1965

(दो) कि लोक-सभा द्वारा 15 सितम्बर, 1965 को पारित किये गये जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 1965 से राज्य-सभा अपनी 23 सितम्बर, 1965 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई ।

(तीन) कि लो-सभा द्वारा 10 सितम्बर, 1965 को पारित किये गये बीमा (संशोधन) विधेयक, 1965, से राज्य-सभा अपनी 23 सितम्बर, 1965 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई ।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned *sine die.*

GIPN—S6—42 Lok Sabha/65—22-7-66-600

P.L.S. 48. XLVI. 29-65(N)
600

© 1965 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक,
भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक द्वारा मुद्रित ।

© 1965 BY LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NASIK.

42 L. S./65